[2020] 6 एस. सी. आर. 719

रामनाथ एंड कंपनी।

वी.

आय कर का आयुक्त

(सिविल अपील सं। 2506-2509 2020 का)

05 जून, 2020

[ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

आयकर अधिनियम, 1961-एस। 80 - ओ-अपीलार्थी-निर्धारिती कुछ विदेशी खरीदारों को सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए थे

जमे हुए समुद्री भोजन और/या समुद्री उत्पाद-अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि विदेशी उद्यमों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए उन्हें प्राप्त आय

यू/एस कटौती के लिए योग्य है। 80 - आयकर अधिनियम का ओ, जो 1993-94 से 1997-98 तक संबंधित मूल्यांकन वर्षों के दौरान लागू होता है -

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्होंने विदेशी उद्यमों को तकनीकी मार्गदर्शन या सलाह या जानकारी प्रदान की-आयोजितः समझौतों के सभी खंडों को एक साथ पढ़ने से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि अपीलकर्ता केवल एक खरीद एजेंट था और यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी थी कि मूलधन की संतुष्टि के लिए उचित पैकिंग में उचित वस्तुओं की आपूर्ति की जाए-महत्वपूर्ण रूप से, अपीलार्थी को भुगतान, चाहे वह जो भी लेबल ले गया हो, केवल माल से संबंधित चालान की राशि के आधार पर था किसी भी निर्दिष्ट भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

तथाकथित विश्लेषण या तकनीकी मार्गदर्शन या सलाह के लिए अपीलार्थी द्वारा एजेंट के रूप में प्रदान की गई सेवाएं भारत में प्रदान की गई थीं-भले ही

निर्धारिती द्वारा प्रधानाचार्यों को कुछ जानकारी भेजी गई थी, जानकारी ऐसी पेशेवर सेवाओं या जानकारी की श्रेणी में नहीं आती थी जो कटौती के लिए उसके दावे को उचित ठहरा सके। 80 - ओ.

अधिनियम के आगे, समझौते में डिफ़ॉल्ट खंडों ने यह और अधिक स्पष्ट कर दिया कि यदि माल की गुणवत्ता प्रधानाचार्यों के लिए असंतोषजनक पाई गई थी, तो उनके पास एजेंट की फीस का भुगतान करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी यदि यह अपीलकर्ता द्वारा कुछ प्रस्तुत करने का मामला था। तकनीकी जानकारी, अपीलार्थी को कुछ पेशेवर शुल्क प्राप्त होने की संभावना थी, हालांकि, बिना भुगतान के लिए समझौता प्रदान किया गया था

वस्तुओं के साथ असंतोष के मामले में-इसके अलावा, अपीलकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहे कि विशेष प्रकृति या विशेषज्ञता की ऐसी जानकारी क्या थी जो उसके द्वारा दी गई थी और विदेशी उद्यमों द्वारा इसका उपयोग कैसे किया गया था और विदेशी मुद्रा का कितना हिस्सा था।

रसीद को ऐसी विशेष सेवा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था-इसलिए, अपीलार्थियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं एस के उद्देश्यों के लिए योग्य नहीं हैं। 80 - अधिनियम का ओ। कानूनों की व्याख्या-कर प्रोत्साहन प्रावधान-आयोजित किए गएः दिलीप कुमार की संविधान पीठ में निर्धारित सिद्धांत और

कंपनी, जब कटौती जैसे प्रोत्साहन प्रावधानों पर लागू किया जाता है, तो यह होगा कि इसकी प्रयोज्यता साबित करने का बोझ निर्धारिती पर है।

उसके मामले में; और यदि कटौती खंड में कोई अस्पष्टता है, तो वह इस परिणाम के साथ सख्त व्याख्या के अधीन है कि इस तरह की अस्पष्टता का लाभ निर्धारिती द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है; बल्कि इसकी व्याख्या राजस्व के पक्ष में की जाएगी।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांत, जब प्रोत्साहन प्रावधानों पर लागू होते हैं जैसे कि

कटौती, यह भी होगी कि निर्धारिती पर अपने मामले में अपनी प्रयोज्यता साबित करने का बोझ है; और यदि कटौती खंड में कोई अस्पष्टता है, तो यह इस परिणाम के साथ सख्त व्याख्या के अधीन है कि ऐसी अस्पष्टता का लाभ निर्धारिती द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसकी व्याख्या राजस्व के पक्ष में की जाएगी। दिलीप कुमार एंड कंपनी में संविधान पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए, कुछ अन्य निर्णयों के संदर्भ में बेबी मरीन एक्सपोर्ट्स में सामान्यीकृत टिप्पणियों, कि एक कर प्रोत्साहन प्रावधान को उदार व्याख्या मिलनी चाहिए, को कानून का एक ठोस बयान नहीं माना जा सकता है; बल्कि लागू सिद्धांत वुड पेपर्स लिमिटेड में प्रतिपादित होंगे, जिन्हें संविधान पीठ द्वारा सटीक रूप से अनुमोदित किया गया है। इस प्रकार, कटौती का दावा करने के लिए पात्रता का पता लगाने के चरण पर और तब तक, इसकी प्रयोज्यता के उद्देश्य के लिए प्रावधान के दायरे और दायरे का विस्तार या विस्तार नहीं किया जा सकता है और

यह सख्त व्याख्या के अधीन रहता है, लेकिन एक बार इस तरह की कटौती का दावा करने वाले व्यक्ति के पक्ष में पात्रता तय हो जाने के बाद, इसे अन्य आवश्यकताओं के संबंध में उदारता से समझा जा सकता है, जो

प्रकृति में औपचारिक या निर्देशिका हो सकती है। [पैरा 20] [775-ई-एफ; 776-ए सी]

2. यह सामान्य बात है कि लिखित पाठ के निर्माण की कोई भी प्रक्रिया मुख्य रूप से मैदान की समझ के साथ शुरू होती है। प्रयोग की गई भाषा। एक वैधानिक रामनाथ एंड कंपनी की समझ की ऐसी प्रक्रिया में।

वी. आय कर का आयुक्त

प्रावधान, उसमें उपयोग किए गए किसी भी शब्द या वाक्यांश के अर्थ को उसके प्राकृतिक, सामान्य या व्याकरणिक अर्थ में समझा जाना चाहिए जब तक कि वह कुछ बेतुका न हो या जब तक कि क़ानून का उद्देश्य इसके विपरीत न हो। कराधान कानून के संदर्भ में, भाषा को स्पष्ट रूप से देखने की आवश्यकता अधिक है।

इरादे या अनुमान के लिए कोई जगह नहीं के साथ उच्चारण। इस प्रक्रिया में, यदि किसी भी शब्द या वाक्यांश का प्राकृतिक, साधारण या व्याकरणिक अर्थ निर्विवाद रूप से उपलब्ध है और क़ानून की योजना और उद्देश्य में फिट बैठता है, तो उसे लागू करने की आवश्यकता हो सकती है। व्याख्या के अन्य मार्गदर्शक नियम आंतरिक सहायक होंगे जैसे कि क़ानून में ही परिभाषा या व्याख्या खंड। फिर भी आगे, अगर आंतरिक सहायक पूरा नहीं करते हैं

3. विदेशी संस्थाओं के साथ अपीलार्थी के समझौते मुख्य रूप से दर्शाते हैं कि अपीलार्थी अनिवार्य रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए था उचित पैकिंग में और प्रधानाचार्यों की संतुष्टि के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाले माल की पर्याप्त मात्रा। यह अनिवार्य रूप से एक खरीद एजेंट का काम रहा है। हालांकि

"विशेषज्ञ जानकारी और सलाह", "विश्लेषण",

" समझौतों में तकनीकी मार्गदर्शन आदि का उपयोग किया गया है, लेकिन इन अभिव्यक्तियों को संदर्भ से बाहर नहीं पढ़ा जा सकता है और समझौते के उद्देश्य को समझा नहीं जा सकता है। समझौतों के सभी खंड पढ़े गए

एक साथ यह पूरी तरह से स्पष्ट करें कि अपीलकर्ता केवल एक खरीद एजेंट था और यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी थी कि मूलधन की संतुष्टि के लिए उचित पैकिंग में उचित वस्तुओं की आपूर्ति की जाए। में उल्लिखित अन्य सभी सेवाएँ या गतिविधियाँ

समझौते केवल एजेंट के रूप में इसके मुख्य कार्य के लिए आकस्मिक थे। महत्वपूर्ण रूप से, अपीलार्थी को भुगतान, चाहे वह किसी भी लेबल पर हो [2020] 6 एस. सी. आर.

ले गए हैं, केवल माल से संबंधित चालान की राशि के आधार पर था। तथाकथित विश्लेषण के लिए संदर्भित किसी विशिष्ट भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं था या

तकनीकी मार्गदर्शन या सलाह। किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, अपीलार्थी की सेवाएँ और कुछ नहीं बल्कि एक एजेंट की थीं, जो इसके प्रधानाचार्यो के लिए माल की खरीद कर रहा था; और ऐसी सेवाएँ -

अपीलार्थी, एजेंट के रूप में, भारत में प्रस्तुत किए गए थे। भले ही निश्चित हो

सेवाएँ या जानकारी जो अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती के लिए अपने दावे को उचित ठहरा सकती है। दूसरे शब्दों में, समझौतों की शर्तों के समग्र दृष्टिकोण में, इस न्यायालय को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी केवल एक खरीद एजेंट था, जैसे कि उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से वर्णित। [पैरा 32] [793-जी-एच; 794-ए-डी]

4. दोनों समझौतों में, डिफ़ॉल्ट खंड यह स्पष्ट करते हैं कि यदि अपने-अपने देशों में निरीक्षण के बाद माल की गुणवत्ता प्रधानाचार्यो के लिए असंतोषजनक पाई गई, तो एजेंट की फीस का भुगतान करने की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यदि यह अपीलार्थी की कुछ तकनीकी या भौतिक जानकारी प्रस्तुत करने की बात थी जो विदेशी उद्यमों के लिए उपयोगी थी।

सामान्य परिस्थितियों में, ऐसी सेवा के पूरा होने और विदेशी उद्यमों द्वारा इसके उपयोग के बाद, खरीद के लिए निर्णय लेने पर, अपीलार्थी को ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पेशेवर सेवा शुल्क प्राप्त होने की संभावना थी, लेकिन इसके विपरीत और इसके विपरीत, समझौतों में माल से असंतुष्ट मूलधन की स्थिति में अपीलार्थी को कोई भुगतान नहीं करने का प्रावधान है। ये पूर्वनिर्धारित खंड अपीलार्थी के मामले को प्रभावी रूप से ध्वस्त कर देते हैं और राजस्व की प्रस्तुतियों को मजबूत करते हैं कि अपीलार्थी केवल एक खरीद एजेंट था और इससे अधिक कुछ नहीं। [पैरा 33.1] [795-ए-सी]

5. इस मामले को एक और कोण से देखा जा सकता है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के अंतिम पैराग्राफ में संकेत दिया है।

यदि यह मान लिया जाए कि समझौतों में उल्लिखित विभिन्न कार्यों में से, उनमें से कुछ में ऐसी सेवाएं शामिल थीं जो धारा 80-0 की आवश्यकताओं का जवाब देती थीं, तो निश्चित रूप से अपीलार्थी से यह स्थापित करने की आवश्यकता थी कि उसके द्वारा दी गई विशेष प्रकृति या विशेषज्ञता की ऐसी जानकारी क्या थी और रामनाथ एंड सी. ओ. कैसे थी।

वी. आय कर का आयुक्त

इसका उपयोग, यदि बिल्कुल भी हो, तो विदेशी उद्यमों द्वारा किया गया था; और विदेशी मुद्रा रसीद का कितना हिस्सा ऐसी विशेष सेवा के लिए जिम्मेदार था। जाहिर है, अपीलार्थी ने ऐसी आपूर्ति नहीं की

विवरण। जैसा कि देखा गया है, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील से एक स्पष्ट प्रश्न किया कि क्या समझौते में उल्लिखित सभी सेवाएं धारा 80-ओ के दायरे में आएंगी। इस प्रश्न का गुप्त जवाब

अपीलार्थी की ओर से यह कहा गया था कि यदि सेवाओं का प्राप्तकर्ता बाहर स्थित है, तो समझौते के संदर्भ में निर्धारिती द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं प्रावधान के दायरे में आती हैं। अपीलार्थी की ओर से यह विशेष रूप से तर्क दिया गया था कि यह स्थापित करना कि 'इसकी कौन सी सेवा कटौती के लिए योग्य है, इसका कोई परिणाम नहीं है, बल्कि अनावश्यक है'। इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, यह प्रतिक्रिया की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी

अधिनियम की धारा 80-ओ, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा महाद्वीपीय निर्माण और बी. एल. पासी में समझाया और लागू किया गया है और जैसा कि इसके द्वारा भी लागू किया गया है

खुर्शीद अनवर में मद्रास उच्च न्यायालय। बल्कि, इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, यह रुख अपीलार्थी के मामले पर अंतिम पर्दा डालता है क्योंकि विचाराधीन समझौतों में अधिकांश सेवाएँ थीं

आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले अभिकर्ता के विवरण; और यदि धारा 80-ओ के साथ सह-संबंधित सेवाओं का कोई हिस्सा है, तो विवरण अत्यधिक महत्वपूर्ण थे और मौलिक रूप से आवश्यक थे जो अपीलार्थी ने कभी प्रदान नहीं किए थे। केवल किसी विदेशी उद्यम के साथ अनुबंध करने और केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करने से अधिनियम की धारा 80-ओ लागू नहीं होती है। [पैरा 34] [795 डी-एच; 796-ए]

सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी और अन्य। (2018) 9 एससीसी 1: [2018] 7 एस. सी. आर. 1191; धन आयुक्त-कर, आंध्र प्रदेश बनाम। प्रभारी अधिकारी (कोर्ट ऑफ वार्ड), पैगाह (1976) 105

इसके बाद आई. टी. आर. 133 आया।

मेसर्स कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम के आयुक्त आयकर, केंद्रीय-I (1992) 195 आईटीआर 81 (एससी); यूओआई बनाम। वुड पेपर्स लिमिटेड (1990) 4 एस. सी. सी. 256; सी. सी. ई. बनाम। हरि

चांद श्री गोपाल (2011) 1 एस. सी. सी. 236; बी. एल. पासी बनाम। आय आयुक्त-कर 2018 (404) आईटीआर 19 (एससी)

पर भरोसा किया।

एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभिराम सिंह बनाम। एल. आर. द्वारा सी. डी. कमाचेन (मृत)। और ओआरएस। (2017) 2 एससीसी 629: [2017] 1 एससीआर 158; जे। बी. बोडा एंड कंपनी प्रा. लिमिटेड वी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली (1997) 223 आईटीआर 271 (एससी)-विशिष्ट।

आयकर आयुक्त, तिरुवनंतपुरम बनाम। बेबी मरीन एक्सपोर्ट्स, कोल्लम (2007) 290 आईटीआर 323 (एससी); केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली और अन्य। वी. ओबेरॉय होटल्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड (1998) 239 आई. टी. आर. 148 (एस. सी.); आयकर आयुक्त-IV, तमिलनाडु बनाम। बी. सुरेश (2009) 313 आईटीआर 149 (एससी); के. रवींद्रनाथन

नायर बनाम. आयकर आयुक्त, एर्नाकुलम (2001) 247 आईटीआर 178 (एससी); सी पर्ल इंडस्ट्रीज बनाम। सीआईटी कोचीन

2001 (127) ईएलटी 649 (एससी); आई. पी. सी. ए. प्रयोगशाला लिमिटेड v. डी. आयकर आयुक्त, मुंबई (2004) 266 आईटीआर 521 (एससी); बजाज टेंपो लिमिटेड बनाम। आयकर आयुक्त, बॉम्बे (1992) 196 आईटीआर 188 (एससी); आईपीसीए

प्रयोगशाला लिमिटेड v. डी. आयकर आयुक्त, मुंबई (2004) 266 आईटीआर 521 (एससी); बजाज टेंपो लिमिटेड बनाम। आयकर आयुक्त, बॉम्बे (1992) 196 आई. टी. आर. 188 (एस. सी.); सन एक्सपोर्ट कार्पोरेशन। वी. सीमा शुल्क कलेक्टर (1997) 6 एस. सी. सी. 564; सी. सी. ई. बनाम। पारले एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड (1989) 1 एस. सी. सी. 345; लिबर्टी इंडिया बनाम। सी. आई. टी. (2009) 9 एस. सी. सी. 328 -

संदर्भित किया गया।

थॉमस (2012) 72 डी. टी. आर. (केरल); आयकर आयुक्त बनाम। मित्तल निगम (2005) 272 आईटीआर 87 (दिल्ली); ली एंड फंग इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम। आयकर आयुक्त (2008) 305 आईटीआर 105 (दिल्ली); आयकर आयुक्त बनाम। चाकियत एजेंसियां (पी) लिमिटेड : (2009) 314 आई. टी. आर. 200 (एम. ए. डी.); आयकर आयुक्त बनाम. इंचकेप इंडिया (पी) लिमिटेडः (2005) 273 आई. टी. आर. 92 (दिल्ली); आयकर आयुक्त बनाम. खुर्शीद अनवर

(2009) 311 आई. टी. आर. 468 (मैड)-संदर्भित। क्रॉफर्ड बनाम। स्पूनर (1846) 4 एम. आई. ए.179 का उल्लेख किया गया है।

रामनाथ एंड कंपनी। वी. आय कर का आयुक्त

मामला कानून संदर्भ

[2018] 7 एससीआर 1191

पीछा किया।

पै

रा 17

[2017] 1 एससीआर 158

प्रतिष्ठित

पै

रा 22

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 2506

2509 2020 से।

उच्च न्यायालय के 09.06.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

केरल के एर्नाकुलम में आई. टी. ए. सं. 132/2002 , 11/2003 , आई. टी. ए. सं. 761 / 2009 & 294/2009 .

2020 का सी. ए. सं. 2510

एस. गणेश, अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अनिल डी. नायर, प्रकाश रंजन

नायक, सुश्री पूर्णिमा भट, सुश्री शिरीन खजुरिया और श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

ब्रीफ आउटलाइन के साथ प्रारंभिक संबंध

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इनके खिलाफ इन अपीलों में संकल्प का आह्वान करने वाला संक्षिप्त बिंदु

एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय द्वारा अपीलों के एक समूह में पारित सामान्य निर्णय यह है कि क्या अपीलकर्ताओं द्वारा विदेशी उद्यमों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में प्राप्त आय, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 ओ के तहत कटौती के लिए योग्य है, जैसा कि संबंधित मूल्यांकन वर्षों के दौरान लागू होता है।

3. संक्षेप में कहें तो इन अपीलों में शामिल प्रश्न है -

1961 के अधिनियम की धारा 80-ओ, जैसा कि प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के लिए लागू होता है। इन दोनों मामलों में, संबंधित निर्धारण अधिकारी/धारा 2 ने अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष के साथ कटौती के लिए इस तरह के दावे का खंडन किया कि सेवाएँ ' इसके बाद इसे '1961 का अधिनियम' या 'अधिनियम' 2 'एओ' के रूप में संक्षिप्त [2020] 6 एस. सी. आर. के लिए भी संदर्भित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलीय प्राधिकरण, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण 3, कोच्चि पीठ ने अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत इस तरह की कटौती के दावे को मूल्यांकन वर्ष के लिए निर्धारिती रामनाथ एंड कंपनी 4 के मामले में निष्कर्ष के साथ स्वीकार कर लिया कि निर्दिष्ट विदेशी उद्यमों के साथ समझौतों के अनुसार, निर्धारिती ने आवश्यक जानकारी पारित की थी जिसका उपयोग संबंधित विदेशी उद्यमों द्वारा कर निर्धारण करने के लिए किया गया था। खरीदने या न खरीदने का निर्णय; और इसलिए, यह एक था

भारत से प्रदान की गई सेवा। इसी निर्णय का पालन आई. टी. ए. टी. द्वारा इस निर्धारिती के मामले में अन्य मूल्यांकन वर्षों के लिए किया गया था।

अन्य निर्धारिती मेसर्स लक्ष्मी एजेंसियों के मामले में भी विचार। राजस्व ने वर्तमान अपीलार्थियों और कुछ अन्य निर्धारिती के पक्ष में आई. टी. ए. टी. द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। इन अपीलों पर केरल उच्च न्यायालय द्वारा एक साथ विचार किया गया है और समान परिस्थिति वाले निर्धारकों के संबंध में अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती के लिए पात्रता के बारे में इसी तरह के प्रश्नों का निर्णय दिनांक 09.06.2016 के विवादित सामान्य निर्णय द्वारा किया गया है। उच्च न्यायालय ने अनिवार्य रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि निर्धारिती केवल विदेशी उद्यमों के लिए समुद्री उत्पाद खरीद एजेंट थे, जिनका भारत के बजाय विदेशों में उपयोग करने में सक्षम विशेषज्ञता के लिए कोई दावा नहीं था और इसलिए, उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं 1961 के अधिनियम की धारा 80-0 के उद्देश्य के लिए 'भारत से प्रदान की गई सेवाओं' के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करती हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय ने आई. टी. ए. टी. के संबंधित आदेशों को दरकिनार करते हुए राजस्व की अपीलों को स्वीकार कर लिया है। व्यथित, निर्धारिती ने इन अपीलों को प्राथमिकता दी है।

4. हमारे समक्ष अपील में दो निर्धारिती से संबंधित बुनियादी तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलू प्रकृति में कमोबेश समान हैं लेकिन,

3 ' आई. टी. ए. टी. 'संक्षेप में 4 एस. एल. पी. (सिविल) सं. से उत्पन्न अपील से संबंधित है। 23535-23538 2016 से। 5 2016 की एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 23699 से उत्पन्न अपील से संबंधित।

" यहाँ की अपीलें आई. टी. ए. सं. से संबंधित हैं। 132 2002 की धारा 11,2003 की धारा 11,2009 की धारा 761 और 2009 की धारा 294 के साथ-साथ 2009 की धारा 771 भी, जिसका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा 2002 की धारा 131 के नेतृत्व में अपीलों के समूह में दिए गए दिनांकित सामान्य विवादित निर्णय में किया गया था।

रामनाथ एंड कंपनी। वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि आई. टी. ए. टी. ने निर्धारिती-अपीलार्थी रामनाथ एंड कंपनी के संबंध में निर्धारण वर्ष के लिए अपने दिनांक 19.11.2001 के आदेश के आधार पर अन्य सभी अपीलों का निर्णय लिया था और उच्च न्यायालय ने भी इस निर्धारिती से संबंधित तथ्यों के संदर्भ में अनिवार्य रूप से सामान्य निर्णय दिया है (अन्य निर्धारिती ने समान तर्कों को अपनाया है), इनमें उठाए गए प्रश्नों से निपटने के लिए समान तथ्यों और पृष्ठभूमि पहलुओं को स्पष्ट करना उचित प्रतीत होता है। अपीलें करें।

प्रासंगिक तथ्य और पृष्ठभूमि के पहलू:

5. अपीलार्थी रामनाथ एंड कंपनी भारतीय समुद्री उत्पादों के विदेशी खरीदारों को सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। द.

अपीलार्थी ने निर्धारण वर्ष के लिए अपनी आय की विवरणी 29.10.1993 पर दाखिल की, जिसमें कुल कर योग्य आय रु। 6,21,710 / - 50 प्रतिशत कटौती का दावा करते हुए (रु। 22,39,825 / -) रुपये की राशि के संबंध में अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत। 44,79,649 / - इसे विदेशी उद्यमों से सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ? .

5.1 . अधिनियम की धारा 80-0 के तहत इस तरह की कटौती के लिए अपने दावे पर जोर देते हुए, अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि इसने असंख्य प्रस्तुत किया था।

विदेशी उद्यमों को ऐसी अन्य संबंधित जानकारी देना। अपीलार्थी ने दावा किया कि विदेशी उद्यमों के साथ समझौतों के नियमों और शर्तों के अनुसार, उसे उक्त सेवा प्राप्त हुई थी प्रभार और इसकी सेवाओं ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी उद्यमों को अपने व्यवसाय को व्यवस्थित करने, विकसित करने, विनियमित करने और सुधारने में सहायता की थी।

' निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 1 के निर्धारण आदेश में यह देखा गया कि निर्धारिती बहुत लंबे समय से समुद्री उत्पादों के निर्यात के व्यवसाय में था और निर्धारण वर्ष 2 तक, निर्धारिती 1961 के अधिनियम की धारा 80 एचएचसी के तहत कटौती का दावा कर रहा था, जो वस्तुओं या माल के निर्दिष्ट वर्ग के निर्यात से प्राप्त लाभ के संबंध में कटौती का प्रावधान करता है।

5.2 . सी. टी. की धारा 80-ओ के तहत कटौती के लिए इस तरह के दावे के संबंध में, ए. ओ. ने अपने दिनांकित पत्र 29.01.1996 द्वारा निम्नलिखित मुद्दे उठाए और अपीलार्थी से स्पष्टीकरण मांगाः

" 1. निर्धारिती द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का स्थान हो सकता है -

उल्लेख किया गया है कि क्या भारत के बाहर कोई सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

2. क्या निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई तकनीकी/व्यावसायिक सेवाओं का उपयोग विदेशी उद्यमों द्वारा कहीं भी किया गया था।

भारत या भारत के बाहर निर्धारिती से स्वतंत्र रूप से। 3. क्या निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई तकनीकी/व्यावसायिक सेवाओं का उपयोग भारत में विदेशी उद्यमों द्वारा किया गया था,

स्वतंत्र रूप से और निर्धारिती के बिना।

4. यह स्पष्ट करना कि क्या निर्धारिती द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी/व्यावसायिक सेवाएं सक्षम हैं या विदेशी द्वारा उपयोग की जा रही हैं।

उद्यम स्वतंत्र रूप से और निर्धारिती के बिना। 5.3 . जवाब में, अपीलार्थी ने कटौती के लिए अपने दावे को उचित ठहराया

: अधिनियम की धारा 80-0 अपने दिनांकित 19.02.1996 पत्र के माध्यम से

: निम्नलिखित रूप में दावा करनाः

" 1. हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी/पेशेवर सेवाएं "भारत से" हैं। 2. जिन विदेशी खरीदारों को हमने ये सेवाएं प्रदान की हैं, वे जापान, यू. एस. ए., यू. के. और फ्रांस में स्थित हैं। इनमें से किसी भी विदेशी उद्यम ने भारत के किसी भी हिस्से में हमारी सेवाओं का उपयोग नहीं किया है। लेकिन हमारी सेवाओं के पूरे लाभ का उपयोग उन्होंने अपने-अपने देशों में भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रभावी वितरण और विपणन में किया।

3. हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि विदेशी उद्यमों का भारत में कोई व्यवसाय नहीं है और न ही वे किसी भी वस्तु या वस्तु का विपणन करते हैं।

भारत में सेवाएँ।

4. सेवाओं के बिना विदेशी उद्यमों द्वारा भारत से समुद्री उत्पादों का आयात संभव नहीं होगा।

5.4 . आई. डी. 1 दिनांकित अपने मूल्यांकन आदेश में, निर्धारणकर्ता ने विदेशी उद्यमों के साथ अपीलार्थी के समझौतों का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़े और उनकी प्रासंगिक शर्तों को पुनः प्रस्तुत किया।

तो। एओ के क्रम का यह हिस्सा, जिसमें एम. एन. ए. टी. एच. एंड सी. ओ. की भौतिक शर्तें शामिल हैं।

वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]मेन्ट्स, वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक होने के कारण, के रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाता है

: :

" निर्धारिती के उपरोक्त दावे के संदर्भ में, निर्धारिती द्वारा किए गए समझौतों को देखना आवश्यक है - विदेशी उद्यमों के संबंधों की प्रकृति का पता लगाने के लिए

विदेशी उद्यमों के साथ निर्धारिती। मैं गुजर चुका हूँ

होको फिशिंगको के साथ निर्धारिती द्वारा किए गए समझौते लिमिटेड ने समुद्री उत्पादों के संबंध में समझौता किया है और वह

GELAZURE S. A. के साथ एजेंसी समझौते के बारे में लिखा गया है

समुद्री उत्पाद। होको के साथ समझौते के अनुच्छेद 1 से 4

मछली पकड़ने वाली कंपनी लिमिटेड नीचे के रूप में पढ़ती हैः अनुच्छेद 1: होको वाणिज्यिक का लाभ उठाना चाहता है

आर. सी. सी. एन. खाद्य पदार्थ/अच्छी गुणवत्ता के समुद्री उत्पादों का तकनीकी ज्ञान अनुभव और कौशल।

अनुकूल शर्तें और इस तरह के वाणिज्यिक और तकनीकी ज्ञान, विशेषज्ञ और कौशल और अन्य संबंधित सेवाओं के उपयोग के लिए "आर. सी.-सी. एन". को पारिश्रमिक देने के लिए तैयार है।

अनुच्छेद 2: " आर. सी.-सी. एन. "होको" को निम्नलिखित प्रस्तुत करने के लिए सहमत है

निरंतर आधार पर सेवाएँ।

क) गुणवत्ता के विश्वसनीय स्रोतों का पता लगाना और जमे हुए समुद्री खाद्य/समुद्री उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करना। एच. ओ. के. द्वारा आयात करें और अपनी विशेषज्ञ राय दें

और होको को सलाह "।

बी) आर. सी. सी. एन. द्वारा प्रदान की जाने वाली उपरोक्त सेवाओं के अलावा, यह विशेष रूप से ऑर्गेनोलेप्टिक/बैक्टीरियोलॉजिकल विश्लेषण के लिए ई. आई. ए./एल. एल. ओ. वाई. डी. एस./एस. जी. एस. जैसी एजेंसियों के साथ घनिष्ठ संपर्क भी रखेगा और अपनी विशेषज्ञ टिप्पणी और सलाह के साथ निरीक्षण के परिणामों को संप्रेषित करेगा।

ग) समुद्री खाद्य आपूर्ति की स्थिति और कीमतों का पूर्ण और विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध कराना।

घ) होको को सलाह देना और उन्हें विनिर्माण में नवीनतम रुझानों/प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग और बाजारों के बारे में सभी मूल्यवान वाणिज्यिक और आर्थिक जानकारी से अवगत रखना। सरकारी नीतियां, आदान-प्रदान

उतार-चढ़ाव, बैंकिंग कानून जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से HOKO को व्यवस्थित करने, नियंत्रण विकसित करने या भारत से उनके आयात व्यवसाय को विनियमित करें।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ङ) जमे हुए समुद्री उत्पादों के भारतीय निर्यातकों के लिए कीमतों को बातचीत और अंतिम रूप देना और ऐसी और अन्य संबंधित जानकारी होको को देना।

अनुच्छेद 5 आर. सी.-सी. एन. "वह सब कुछ भी करेगा जो गुणवत्ता स्वच्छता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है और

विभिन्न स्थानों पर पर्यवेक्षण सहित उत्पादों की ताजगी चरण।

अनुच्छेद 4: होको आर. सी. को भुगतान करता है-सी एंड एफ आधार पर चालान राशि का सी. एन. 0.7% और यू. एस. $2,000.00 प्रति माह

कमीशन। जब जापान में निरीक्षण के बाद माल की गुणवत्ता होको के लिए असंतोषजनक पाई जाती है,

होको की एजेंट को भुगतान करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। शुल्क "।

इसी तरह, गिलाज़ुर एस. ए. के साथ समझौते के अनुच्छेद 1 से 4 को नीचे पढ़ा गया हैः

अनुच्छेद 1: ' गेलाज़ुर ने जमे हुए समुद्री भोजन के उत्पादों में अपनी खरीद को प्राथमिकता देने के लिए रामनाथ को एजेंट के रूप में नियुक्त किया

भारत में।

अनुच्छेद 2: 'रामनाथ' एजेंट के रूप में निम्नलिखित व्यवसाय करता है

गिलाज़ुर की ओर से "।

1) जमे हुए समुद्री खाद्य उत्पादों की खरीद के लिए स्थानीय पैकर्स के साथ बातचीत करना जिनकी 'गेलाज़ुर' को आवश्यकता होती हैः

2) मानक, मात्रा, मूल्य, गुणवत्ता, शिपमेंट के समय आदि के संबंध में सभी सटीक जानकारी "GELAZUR" को तुरंत देना,

3) प्रसंस्करण और उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन करना और सलाह देना। " परिणाम की प्रशंसा।

4) बाजार की स्थिति, यानी मछली पकड़ने की स्थिति, अन्य बाजारों द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमतें, फ्रांसीसी प्रतियोगियों द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमतें, व्यावसायिक अवसर, समुद्री भोजन की मासिक आपूर्ति-डेटा के बारे में नियमित रूप से GELAZURE को सूचित करना।

अनुच्छेद 3: माल प्राप्त करने के बाद, GELAZURE 'रामनाथ' कमीशन का भुगतान करेगा जिसकी गणना निम्नलिखित पर की जाएगी:

आधार:

रामनाथ एंड कंपनी। वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

-चाम आइस/पोरबंदर-वेरावल-बॉम्बेः

सेफलेपोड्स या मछलियाँः 1.5 % सी + एफ मूल्य

श्रीप्स-लॉबस्टर्सः

0.75 % सी + एफ मूल्य

अन्य पैकर

श्रीम्प्स और लॉब्सर्सः 1 % सी + एफ मान का

स्क्विड, कटलफिश, कॉकीज़

अमरीकी डॉलर

0.65/कि. ग्रा.

मसल्स और अन्य मछलियाँः

इसके बाद 'गिलाज़ुर' के लिए असंतोषजनक पाया गया

फ्रांस, GELAZURE में निरीक्षण नहीं होगा

अभिकर्ता के शुल्क के भुगतान के संबंध में जिम्मेदारी।

अनुच्छेद 4: यदि खरीद से या उसके संबंध में कोई दावा उत्पन्न होता है

रामनाथ इसके माध्यम से दावे का निपटारा करने की पूरी कोशिश करेगा।

निर्माताओं के साथ बातचीत। का समझौता

दावे को 60 दिनों के बाद पूरा करना होगा

माल का स्वागत "। 8

5.5 . दो समझौतों की सामग्री की जांच करने के बाद,

निर्धारण अधिकारी इस दावे से आश्वस्त नहीं था कि अपीलार्थी भारत से सेवाएं प्रदान कर रहा था ताकि अधिनियम की धारा 80-ओ के स्पष्टीकरण (iii) के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त कर सके। निर्धारण अधिकारी का दृढ़ मत था कि अपीलार्थी ने भारत से समुद्री उत्पादों की खरीद के मामले में केवल विदेशी उद्यमों के एजेंट के रूप में काम किया था और समझौतों में परिकल्पित सभी सेवाओं के बारे में कहा गया थाः अभिकर्ता के रूप में मुख्य कार्य को पूरा करने के लिए आनुषंगिक। निर्धारण अधिकारी ने अपनी टिप्पणियों और निष्कर्षों को इस प्रकार दर्ज कियाः -

..... ऊपर निकाले गए लेखों का गहन अध्ययन, यह स्थापित करेगा

कि निर्धारिती केवल विदेशी उद्यमों का अभिकर्ता है

भारत से समुद्री उत्पादों की खरीद के मामले में भारत।

निर्धारिती द्वारा की जाने वाली सभी आवश्यक सेवाएं

समझौतों के संदर्भ में निष्पादन के लिए आकस्मिक हैं

एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का प्राथमिक कार्य। निर्धारिती की भूमिका है

8 ध्यान दें: अभिलेख पर रखे गए कागजातों में इस विदेशी कंपनी का नाम 'गिलाज़ुर' और 'गिलाज़ुर' दोनों के रूप में उल्लिखित किया गया है। हमने निष्कर्षण में विवरणों को बरकरार रखा है जैसा कि संबंधित पत्रों में कहा गया है, लेकिन हमारी चर्चा में इसे 'गिलाज़ुर' के रूप में संदर्भित किया गया है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्धारिती के माध्यम से विदेशी उद्यमों द्वारा आयात के सी एंड एफ मूल्य का प्रतिशत। हालांकि, कमीशन का भुगतान विदेशी उद्यमों के निष्कर्ष पर सशर्त है। माल की गुणवत्ता संतोषजनक हो। इससे मेरे पहले के अवलोकन को बल मिलेगा कि निर्धारिती केवल एक अभिकर्ता है

भारत से समुद्री उत्पादों की खरीद के मामले में विदेशी उद्यम और समझौते में परिकल्पित सभी सेवाएं मुख्य कार्य को पूरा करने के लिए आकस्मिक हैं।

एजेंट के रूप में। ऐसा भी नहीं है कि विदेशी उद्यम पूरी तरह से भारत से दूर रहे। यद्यपि यह एक तथ्य हो सकता है कि किसी भी विदेशी उद्यम का भारत में कहीं भी कोई कार्यालय या शाखा नहीं थी, उपलब्ध जानकारी से संकेत मिलता है कि

भारत में विभिन्न पैकरों से समुद्री उत्पादों की खरीद के संबंध में विदेशी उद्यम भारत आते थे

और यह निर्धारिती पर आ गया कि वह इन व्यक्तियों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं की प्रसंस्करण सुविधाओं तक ले जाए और

स्वच्छता मानक। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास नंदपम, कोच्चि, कालीकट आदि में विभिन्न समुद्री खाद्य पैकेजरों के खरीदारों, प्रतिनिधियों की यात्रा के दौरान निर्धारिती द्वारा <ID1,122/- की राशि खर्च की गई है। स्मृति चिन्ह, प्रशंसा और मूल्य के नमूनों के लिए खर्च Rs.29,411.99 भी संभवतः विदेशी खरीदारों के प्रतिनिधियों की यात्रा के संबंध में किए गए हैं।

किसी भी एम. एन. ए. टी. एच. एंड सी. ओ. द्वारा वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

कल्पना का विस्तार, यह दावा नहीं किया जा सकता है कि सेवाएँ के प्रतिनिधियों की यात्रा के अवसरों पर प्रस्तुत किया गया

भारत में विदेशी उद्यम उपलब्ध नहीं थे। विदेश यात्राएँ

भारत में विदेशी उद्यमों के प्रतिनिधि। एक विदेशी एजेंट भारत में उद्यम अनिवार्य रूप से विदेशी की ओर से कार्य करता है

भारत में उद्यम और इसलिए, सेवाएँ, अर्थात् उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करना

और पैकेजिंग, प्रसंस्करण का पर्यवेक्षण, कीमतों पर बातचीत

सहायता से निर्यात किए जाने वाले समुद्री उत्पादों के संबंध में निर्धारिती का, भारत के बाहर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था

संपर्क किए जाने वाले पक्षों के रूप में, उत्पादों का निरीक्षण किया जाना है,

पर्यवेक्षित आदि के लिए प्रसंस्करण भारत में स्थित थे

केवल। मेरे विचार में जो सेवाएँ प्रदान करने में असमर्थ हैं भारत के बाहर सेवाओं की उस श्रेणी में नहीं आएगा जो

भारत से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए, इसमें कोई योग्यता नहीं है

निर्धारिती का तर्क कि इन सेवाओं को प्रदान किया गया था भारत में लेकिन भारत के भीतर नहीं।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

5.6 . अपीलार्थी ने परिपत्र सं. 700 दिनांकित पर भी भरोसा किया

. 1995 के समर्थन में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी

इकाइयाँ। निर्धारण अधिकारी ने उक्त परिपत्र द्वारा निपटाए गए मामले को वर्तमान मामले में शामिल मामले से अलग किया

पंखों का मार्गः -

..... निर्धारिती दिनांकित परिपत्र No.700 पर भी दृढ़ता से निर्भर करता है।

23/3/95 C.B.D.T द्वारा जारी किया गया। मेरे विचार में, पर निर्भरता

निर्धारिती द्वारा अपने मामले को पुष्ट करने के लिए उपरोक्त परिपत्र गलत है।

उपरोक्त परिपत्र का पैरा 3 और 4 जो प्रासंगिक है, पढ़ता है निम्नानुसारः

" 3. एक सवाल उठाया गया है कि क्या इसका लाभ धारा 80-ओ उपलब्ध होगी यदि तकनीकी और पेशेवर

सेवाएं, हालांकि भारत के बाहर प्रदान की जाती हैं, विदेशी द्वारा उपयोग की जाती हैं।

भारत में सरकार या उद्यम।

" 4. बोर्ड ने इस मामले पर विचार किया है। यह स्पष्ट किया जाता है

कि जब तक तकनीकी और पेशेवर सेवाएं हैं

भारत से दिया गया और भारत के बाहर किसी विदेशी सरकार या उद्यम द्वारा प्राप्त किया जाता है, धारा 80-ओ के तहत कटौती सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध होना, भले ही सेवाओं का विदेशी प्राप्तकर्ता इस तरह के लाभ का उपयोग करता हो।

भारत में सेवाएँ। "

सवाल यह है कि क्या धारा 80-ओ के तहत कटौती को इस आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है कि विदेशी उद्यम भारत में भारत के बाहर प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उपयोग करता है। यह स्पष्ट किया गया है कि केवल इसलिए कि विदेशी उद्यमों ने प्रदान की गई सेवाओं के लाभ का उपयोग किया भारत के बाहर, धारा 80-ओ के तहत कटौती से इनकार नहीं किया जा सकता है। C.B.D.T से पहले के मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि तकनीकी सेवाएं कहाँ प्रदान की गई थीं। मेरे सामने मामले में, इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि एक एजेंट के रूप में सेवाएं

केवल भारत में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। 132 आई. टी. आर. 637 में, बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक निर्धारिती मात्र एक कर दाता के रूप में कार्य कर रहा है।

उम्मीदवार और उनका जैव-डेटा एकत्र करना और विदेशी नियोक्ताओं को उम्मीदवारों के नाम देना प्रदान की गई सेवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। भारत के बाहर। इसी तरह, 145 आई. टी. आर. 673 में सियरल्स (इंडिया) लिमिटेड के मामले में, उसी उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भारत में नमूनों का परीक्षण किया जाएगा।

और विदेशी कंपनी को परिणाम और प्रमाण पत्र देना भारत के बाहर प्रदान की जाने वाली तकनीकी सेवाओं का प्रतिनिधित्व करता था। त्याग को देखते हुए

चर्चा करते हुए, मैं यह मानूंगा कि निर्धारिती धारा 80-ओ के तहत कटौती का हकदार नहीं है क्योंकि सेवाएं विदेशियों को उपलब्ध कराई गई हैं।

उद्यम भारत में प्रस्तुत किए गए थे। "

5.7 . मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, एओ ने अनुमति नहीं दी

अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती के लिए।

5.8 . अपीलार्थी द्वारा की गई अपील में, अपीलीय प्राधिकरण निर्धारण अधिकारी की राय से सहमत है, विशेष रूप से मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत है।1 और ओआरएस। वी. भारत संघः (1980) 121 कैप्टन के मामले में आई. टी. आर. 751 (दिल्ली) और आई. टी. ए. टी. दिल्ली की डी. बेंच। के. सी. सहगल बनाम कोई कर अधिकारीः (1995) 54 आई. टी. डी. 488 (दिल्ली) और इसलिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार अवलोकन करते हुए ओ. पी. एल. की अनुमति दी गईः -

" 14 ..... वर्तमान मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता बाजारों, सरकारी एम. एन. ए. टी. एच. एंड सी. ओ. के संबंध में जानकारी प्रदान कर रहा है।

वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

विदेशी उद्यमों को समुद्री-खाद्य पदार्थों की मासिक आपूर्ति आदि के संबंध में नीतियां, आदान-प्रदान में उतार-चढ़ाव, बैंकिंग कानून, आंकड़े आदि। दूसरा, भले ही अपीलकर्ता केवल विदेशी उद्यमों का एजेंट हो, वह विदेशी उद्यमों को झींगा, लॉबस्टर के निर्माताओं या संसाधकों के संपर्क में ला रहा है।

आदि और स्थानीय पैकर्स के साथ बातचीत कर रहा है और विदेशी उद्यमों के लिए जमे हुए समुद्री खाद्य पदार्थों के स्रोतों का पता लगा रहा है।

और अन्य जानकारी भारत से विदेशों को प्रदान की गई थी उद्यम।

15. धारा 80-ओ में, स्पष्टीकरण (iii) निम्नानुसार है: -

" भारत के बाहर प्रदान की जाने वाली या प्रदान करने के लिए सहमत सेवाओं में भारत से प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल होंगी लेकिन इसमें शामिल नहीं होंगी। भारत में प्रदान की जाने वाली सेवाएं "।

लोगों की आदतों को भारत में प्रस्तुत किया गया था यानी डेटा भारत में एकत्र किया गया था। हालाँकि, यह माना गया कि विश्लेषण के बिना और समझने योग्य हुए बिना केवल सूचना का एक समूह बी. बी. सी. के लिए उपयोगी नहीं होगा। इसलिए, जानकारी केवल डेटा नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक ज्ञान है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने गुणवत्ता का विश्वसनीय स्रोत पाया है और जापान, फ्रांस और अन्य देशों में विभिन्न विदेशी उद्यमों को जमे हुए समुद्री-खाद्य उत्पादों की सुनिश्चित आपूर्ति और विदेशी उद्यमों को समुद्री-खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण विवरण और सरकारी नीतियों, विनिमय उतार-चढ़ाव आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की। अपीलार्थी ने जमे हुए समुद्री-खाद्य उत्पादों के भारतीय निर्यातकों के लिए बातचीत की और कीमतों को अंतिम रूप दिया और विदेशी उद्यमों को इसकी जानकारी दी। इस प्रकार, अपीलार्थी ने इन विदेशी उद्यमों को भारत से सेवाएं प्रदान की हैं। यह देखा जा सकता है कि अपीलार्थी की जानकारी और अनुभव का विदेशी उद्यमों द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है [2020] 6 एस. सी. आर.

इस तथ्य से कि अपीलार्थी द्वारा किया गया निर्यात-चिंता

ए. वाई. 1991-92 में 20 करोड़ से बढ़कर ए. वाई. द्वारा 100 करोड़ हो गए हैं।

1996-97 . विचाराधीन वर्ष के लिए, निर्यात हैं -

लगभग 60 करोड़ जिस पर अपीलार्थी ने अर्जित किया है

रु. का कमीशन। 44.79 एक लाख।

16. इस मामले में तय किया जाने वाला प्रमुख मुद्दा यह है कि क्या

अपीलार्थी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को 'भारत से' कहा जा सकता है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, मेरी राय है कि सेवाएं भारत से प्रदान की गई हैं और इसलिए,

अपीलार्थी विशेष रूप से धारा 80-ओ के तहत कटौती के लिए पात्र है।

ई. पी. डब्ल्यू. डी कोस्टा और एक अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय

बनाम। भारत संघ (121 आई. टी. आर. 751) और I.T.A.T. दिल्ली 'डी' बेंच

कैप्टन के मामले में निर्णय। के. सी. सहगल बनाम। आई. टी. ओ. (54 आई. टी. डी.

488) . "

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

5.9 . उपरोक्त निर्णय से व्यथित राजस्व को वरीयता दी जाती है

आई. टी. ए. टी. के समक्ष अपील, जो आई. टी. ए. संख्या 84/कोच/1997 है, जिस पर आई. टी. ए. टी. द्वारा अपने दिनांक 19.11.2001 के आदेश द्वारा विचार और निर्णय लिया गया था। आई. टी. ए. टी. ने वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1961 के अधिनियम में अध्याय VI-ए और धारा 80-0 को लागू करने के इतिहास के साथ-साथ इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि धारा 80-0 में समय के साथ कई संशोधन किए गए थे। आई. टी. ए. टी. ने अपीलीय प्राधिकरण के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की कि अपीलार्थी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं ने विदेशी लोगों की मदद की।

भारत से समुद्री उत्पादों का आयात करने वाले पक्ष विशेषज्ञ और तकनीकी सेवाएँ थे और इस प्रकार, अपीलार्थी अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती का दावा करने का हकदार था। आई. टी. ए. टी. ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में अवलोकन और आयोजन कियाः -

" 9. राजस्व का मामला यह है कि निर्धारिती ने प्रदान किया है

केवल भारत में सेवाएँ और भारत से नहीं। अधिकार देने वाली सेवाएँ

धारा 80-ओ के तहत लाभ के लिए निर्धारिती ऐसा होना चाहिए

प्रकृति यह है कि इसे केवल भारत के बाहर ही प्रदान किया जा सकता है न कि सेवाओं के लिए।

जो भारत में प्रस्तुत किए जाने में सक्षम हैं। इसके अनुसार

राजस्व, निर्धारिती केवल एक सामान्यीकृत सेवा प्रदान कर रहा था जैसे बाजार अध्ययन, प्रसंस्करण का अध्ययन, आदि ताकि संतुष्ट किया जा सके।

निर्यात की गई सामग्री की गुणवत्ता, किसी भी अन्य सामान्य एजेंट की तरह।

अतः निर्धारिती निम्नलिखित लाभ का दावा करने का हकदार नहीं है - धारा 80-ओ। एम. एन. ए. टी. एच. एंड सी. ओ. के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए।

वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

हम उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। सीबीडीटी बनाम। ओबेरॉय होटल्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड. [1998] 233 आई. टी. आर. 148 'सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आधुनिक होटल के प्रबंधन के लिए समझौता,

सेवाएँ भले ही सेवाओं का विदेशी प्राप्तकर्ता भारत में ऐसी सेवाओं का लाभ उठाता हो। अब सवाल यह है कि क्या निर्धारिती ने कोई सेवा प्रदान की और विदेशी पक्ष को इसकी जानकारी दी। गेलाज़ुर एस. ए. और रामनाथ एंड कंपनी (निर्धारिती) के बीच किए गए समुद्री उत्पादों के संबंध में एजेंसी समझौते के अनुच्छेद 2 (4) में कहा गया है कि निर्धारिती को बाजार की स्थिति, यानी मछली पकड़ने की स्थिति, अन्य बाजारों द्वारा भुगतान की गई कीमतों, फ्रांसीसी प्रतियोगियों द्वारा भुगतान की गई कीमतों, व्यावसायिक अवसरों, समुद्री भोजन डेटा की मासिक आपूर्ति के बारे में नियमित रूप से "गेलाज़ुर" को सूचित करना है। यह इंगित करता है कि निर्धारिती को अपने द्वारा एकत्र किए गए डेटा को संप्रेषित करना होता है, और इसके आधार पर, विदेशी पक्ष या तो खरीदने के लिए कार्य करता है या नहीं। यह भी है यह सच है कि उक्त समझौते के अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि "यदि उत्पादों की खरीद से या उनके संबंध में कोई दावा उत्पन्न होता है, जिसके लिए 'गिलाज़ुर' की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो 'रामनाथ' निर्माताओं के साथ बातचीत के माध्यम से दावे का निपटारा करने की पूरी कोशिश करेगा"। यह इंगित करता है कि पार्टी सेवाओं की आपूर्ति भी कर रही है। लेकिन, सेवा का यह हिस्सा केवल पहले के परिणामस्वरूप है। होको फिशिंग कंपनी लिमिटेड, टोक्यो, जापान और निर्धारिती के बीच हुए समझौते में यह भी निर्धारित किया गया है कि निर्धारिती को "होको" को विनिर्माण में नवीनतम रुझानों/प्रक्रियाओं के अनुप्रयोगों और सभी मूल्यवान वाणिज्यिक के बारे में सूचित करना होगा।

और बाजार, सरकारी नीतियों, विनिमय उतार-चढ़ाव, बैंकिंग कानूनों के बारे में आर्थिक जानकारी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से "होको" को भारत से अपने आयात व्यवसाय को व्यवस्थित करने, विकसित करने, नियंत्रित करने या विनियमित करने में सहायता करेगी। इसके अलावा, निर्धारिती को विभिन्न चरणों में पर्यवेक्षण सहित उत्पादों की गुणवत्ता, स्वच्छता और ताजगी के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सेवाएं प्रदान करनी होती हैं।

उल्लिखित सेवाओं को सेवा माना जा सकता है।

नवीनतम रुझानों की तरह दूसरे पक्ष को प्रस्तुत और सूचित किया गया / विनिर्माण, वाणिज्यिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में प्रक्रिया अनुप्रयोग

आर्थिक, बाजारों के बारे में जानकारी, सरकार

नीतियाँ, विनिमय में उतार-चढ़ाव, बैंकिंग कानून आदि जो मदद करते हैं।

भारत से समुद्री उत्पादों का आयात करने वाला विदेशी पक्ष एक है

विशेष और तकनीकी सेवा। कि, हमारे विचार में, योग्य है

निर्धारिती धारा 80-ओ के तहत कटौती का दावा करेगा।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

5.10 . आई. टी. ए. टी. ने दोनों में सूक्ष्म अंतर का भी उल्लेख किया

वाक्यांशः ' भारत से प्रदान की गई सेवाएं 'और' भारत में प्रदान की गई सेवाएं '; और गोदरेज एंड बॉयस एम. एफ. जी. के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख करते हुए। कं. लिमिटेड बनाम। एस. बी. पोटनिस, प्रमुख आयुक्तः (1993) 203 आई. टी. आर. 947 (बी. ओ. एम.) और अन्य निर्णयों में कहा गया है कि यदि निर्धारिती ने आवश्यक जानकारी नहीं दी होती तो निर्यात संभव नहीं होता। आई. टी. ए. टी. के अनुसार, यदि निर्धारिती ने पैकिंग, शिपिंग आदि जैसी सेवाएं की होतीं, तो उस मामले में निर्धारिती केवल एक निर्यातक होता और यह दावा नहीं कर सकता था कि

धारा 80-ओ के तहत लाभ लेकिन, निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई सेवाएं विशेष प्रकृति की थीं, जिनका उपयोग विदेशी पक्ष द्वारा किया गया था। तदनुसार, आई. टी. ए. टी. ने राजस्व की अपील को खारिज करते हुए कहाः

" 10. यह सच है कि प्रदान की गई सेवाओं के बीच का अंतर

भारत से 'और' भारत में प्रदान की जाने वाली सेवाएं ' खंड के प्रावधान के नीचे स्पष्टीकरण वेफर-थिन है। लेकिन

फिर भी अंतर मौजूद है जब दृष्टिकोण से देखा जाए

भारतीय निर्यातक। भारत में प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं -

माल को निर्यात के लिए योग्य बनाना। दूसरी ओर, सेवाओं

भारत से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को वांछित सेवाओं के रूप में माना जा सकता है।

विदेशी पक्ष द्वारा, जिसे विशेषज्ञता की आवश्यकता है। अगर विदेशी

पार्टी विवरण या जानकारी या विशिष्ट विवरण में रुचि रखती है।

और इस तरह के विवरण भारतीय पक्ष द्वारा प्रदान किए जाते हैं और इस तरह

विवरण का उपयोग या तो खरीदने के लिए किया जाता है या न खरीदने के लिए।

भारत से, ऐसी सेवाओं को "सेवाओं" के रूप में माना जा सकता है।

और इसे प्रस्तुत किया जाता है, यह भारत से प्रदान की जाने वाली सेवा है, जबकि भारत में प्रदान की जाने वाली सेवाएं आवश्यक रूप से एम. एन. ए. टी. एच. एंड सी. ओ. द्वारा नहीं हैं।

वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड बनाम। एस. बी. पोटनिस, मुख्य आयुक्त [1993] 203 आई. टी. आर. 947 'माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक प्रावधान

सभी विपणन, औद्योगिक विनिर्माण के देने के लिए बनाया गया,

वाणिज्यिक और वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव और कौशल

विदेशी कंपनी का कुशल कार्य और प्रबंधन कर सकता है

निर्धारिती को पात्र बनाने वाली सेवाओं के रूप में माना जाए धारा 80-0 के तहत लाभ के लिए।

11. मित्तल निगम के मामले (ऊपर) में, दिल्ली पीठ-डी

न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 80-0 का उद्देश्य और भावना थी -

मुख्य रूप से विदेशों में भारतीय तकनीकी ज्ञान और कौशल को प्रोत्साहित करना और

चूंकि यह जानकारी इंडिया पार्टी के बाहर दी गई थी और यह थी

भारत के बाहर उपयोग किया जाता था और परिवर्तनीय विदेशी में भुगतान प्राप्त किया जाता था

विनिमय, कटौती की अनुमति देने के लिए आवश्यक शर्त

धारा 80-ओ के पूरा होने के बारे में कहा जा सकता है। के मामले में

ई. पी. डब्ल्यू. दा कोस्टा (ऊपर) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि निर्धारिती द्वारा दी गई जानकारी व्यावहारिक प्रकृति की होती है और

कुछ ठोस चीज़ बनाने या बनाने का परिणाम था और

ऐसी जानकारी का उपयोग विदेशी पक्ष द्वारा किया गया है, जैसे कि धारा 80-0 के तहत लाभ का दावा करने के लिए जानकारी पर्याप्त है।

12. अलग होने से पहले, आइए हम नकारात्मक तरीके से सोचें। अगर

निर्धारिती ने विपणन जैसी जानकारी नहीं दी थी,

साकार नहीं हुआ होगा। इस जानकारी से कम, यदि निर्धारिती ने पैकिंग, शिपिंग आदि जैसी सेवाएं की थीं।

और गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित करने के लिए, निर्धारिती केवल एक निर्यातक और विचारित लाभ का दावा नहीं कर सकता है

धारा 80-ओ के तहत। अगर हम इस कोण से भी देखें, तो हम हैं

यह राय कि निर्धारिती सफल होने का हकदार है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

6. अभिलेख पर दी गई सामग्री से स्पष्ट तथ्य सामने आते हैं

इसी तरह के पैटर्न में, आई. टी. ए. टी. ने अपने पहले के आदेशों को देखते हुए मूल्यांकन वर्षों 1994-95,1995-96 और 1996-97 के लिए इस अपीलार्थी के दावे की भी अनुमति दी। जैसा कि देखा गया है, इन मूल्यांकन वर्षों के लिए आदेशों के खिलाफ अपीलों को एक साथ जोड़ा गया और उनका निपटारा किया गया

उच्च न्यायालय ने दिनांकित सामान्य निर्णय 09.06.2016 के माध्यम से,

एच इन अपीलों में चुनौती में है।

20] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय का विवादित फैसला

7. केरल उच्च न्यायालय ने अपने विवादित सामान्य निर्णय दिनांक 09.06.2016 में आई. टी. ए. टी. से असहमति जताई है और दावे को अस्वीकार कर दिया है।

अपीलार्थी द्वारा कटौती के लिए अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष के साथ कि अपीलार्थी विदेशी उद्यमों के लिए केवल एक समुद्री उत्पाद खरीद एजेंट था, भारत के बजाय विदेश में उपयोग करने में सक्षम विशेषज्ञता के लिए किसी भी दावे के बिना और इसलिए, कथित सेवाएं अधिनियम की धारा 80-0 के उद्देश्य से 'भारत से प्रदान की गई सेवाओं' के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करती हैं।

1961 .

8. प्रस्तुतियों और विषय को ध्यान में रखते हुए -

इन अपीलों में, हम विवादित निर्णय में टिप्पणियों और तर्क की जांच कर सकते हैं, जिसके कारण उच्च न्यायालय आई. टी. ए. टी. से असहमत हो गया है और अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती के लिए अपीलार्थी के दावे को अपेक्षित विशिष्टताओं में अस्वीकार कर दिया है। 10

8.1 . राजस्व की ओर से प्रस्तुतियों का मुख्य प्लैंक,

एक ओर निर्धारिती और दूसरी ओर दो विदेशी कंपनियों के बीच हुए समझौतों का संदर्भ यह था कि -

निर्धारिती केवल भारत से समुद्री उत्पादों की खरीद के लिए विदेशी उद्यमों का एक एजेंट था; कि इसकी सभी सेवाएं इसके लिए आकस्मिक थीं।

एक मछली-खरीद एजेंट के रूप में मुख्य कार्य; और यह कि निर्धारिती ने "भारत में" अपनी सेवाएं प्रदान कीं, जो "भारत से" अभिव्यक्ति के विपरीत है। राजस्व की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि भारत में स्थित निर्धारिती और विदेश में स्थित मूलधन के बीच केवल संचार उनके लेनदेन को धारा 80-ओ के दायरे में नहीं लाता है। राजस्व की ओर से प्रस्तुतियों का समर्थन किया गया आय कर आयुक्त बनाम मामले में उस उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय के साथ। थॉमस कुरियन (मृत) एल. आर. श्रीमती के माध्यम से। प्रिमारी सी. थॉमस, तब से (2012) 72 डी. टी. आर. (केर) के रूप में रिपोर्ट किए गए हैं। दूसरी ओर, निर्धारिती की ओर से यह तर्क दिया गया कि स्पष्टीकरण के खंड (iii) के साथ अधिनियम की धारा 80-0 के प्रमुख प्रावधान को पढ़ने पर, यह स्पष्ट था कि एक बार सेवा किसी भारतीय कंपनी (या

अन्य व्यक्ति जो भारत में निवासी है) और वही एक विदेशी द्वारा 'उपयोग' किया जाता है

10 पारित करते समय यह देखा जा सकता है कि निर्धारिती द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए प्रारंभिक बिंदुओं में से एक कम कर प्रभाव और व्यापक प्रभाव की कोई संभावना नहीं होने के कारण परिपत्र संख्या 21/2015 दिनांक 10.12.2015 के सामने राजस्व द्वारा अपीलों की स्थिरता पर था क्योंकि प्रावधान में संशोधन किया गया था।

बाद में। उच्च न्यायालय ने इस पहलू पर निर्धारिती से सहमति नहीं जताई और कहा कि आई. टी. ए. टी. ने 2002 के आई. टी. ए. संख्या 131 से संबंधित अपने प्रारंभिक आदेश का पालन करते हुए सभी आदेश पारित किए हैं। और आरोपित आदेश का एक कैस्केडिंग प्रभाव होता है। इन अपीलों में मामले का यह पहलू हमें चिंतित नहीं करता है और इसलिए, आगे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

रामनाथ एंड कंपनी। वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

भारत के बाहर होने के कारण, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सलाह भारतीय धरती से दी जाती है या नहीं। न्यायालय के इस प्रश्न के संबंध में कि क्या समझौते में उल्लिखित सभी सेवाएं धारा 80-0 के दायरे में आएंगी, निर्धारिती की ओर से प्रतिक्रिया यह थी कि 'यदि सेवाओं का प्राप्तकर्ता बाहर स्थित है, तो समझौते के संदर्भ में निर्धारिती द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं प्रावधान के दायरे में आती हैं'। इसलिए, निर्धारिती की ओर से यह तर्क दिया गया कि निर्धारिती का यह स्थापित करना कि 'उसकी कौन सी सेवा कटौती के लिए योग्य है, कोई परिणाम नहीं है, बल्कि अनावश्यक है'। थॉमस कुरियन (उपरोक्त) में निर्णय को निर्धारिती की ओर से इन तथ्यों के संदर्भ में अलग किया गया था कि निर्धारिती को केवल इसमें शामिल किया गया था

समुद्री उत्पादों की गुणवत्ता और योग्यता के सत्यापन में लेकिन विदेशी खरीदारों को भारत से कोई वाणिज्यिक या तकनीकी जानकारी प्रदान नहीं की गई जबकि वर्तमान मामले में निर्धारिती वाणिज्यिक और तकनीकी जानकारी की आपूर्ति कर रहा था और निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करते हुए, विदेशी कंपनियों ने भारत के बाहर निर्णय लिया था

इस बारे में कि वे माल कैसे खरीद सकते हैं। निर्धारिती की ओर से प्रस्तुतियों का समर्थन उक्त परिपत्र संख्या 700 दिनांक 23.03.1995 और मैसर्स कॉन्टिनेंटल में निर्णयों पर निर्भरता के साथ किया गया था।

कंस्ट्रक्शन लिमिटेड v. आयकर आयुक्त, केंद्रीय-1: (1992) 195 आई. टी. आर. 81 (एस. सी.); आयकर आयुक्त बनाम. मित्तल

निगमः (2005) 272 आईटीआर 87 (दिल्ली); ली एंड फंग इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम। आयकर आयुक्तः (2008) 305 आई. टी. आर. 105 (दिल्ली); आयकर आयुक्त बनाम. चाकियत एजेंसियां (पी) लिमिटेड : (2009) 314 आई. टी. आर. 200 (एम. ए. डी.); आयकर आयुक्त बनाम. इंचकेप इंडिया (पी) लिमिटेडः (2005) 273 आईटीआर 92 (दिल्ली); केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली और अन्य। वी. ओबेरॉय होटल्स (इंडिया) प्रा. लि. : (1998) 231 आईटीआर 148 (एससी) और ई. पी. डब्ल्यू. दा कोस्टा (उपरोक्त)।

8.2 . इस प्रकार प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने अपने स्पष्टीकरण (iii) के साथ अधिनियम की धारा 80-ओ का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़े। प्रावधानों के प्रासंगिक पाठ को पुनः प्रस्तुत करने के बाद, उच्च न्यायालय ने उनके शब्दकोश अर्थों के संदर्भ में 'से' और 'में' के उपसर्गों के शाब्दिक शब्दार्थ में प्रवेश किया। फिर, अधिनियम की धारा 80-0 पर लौटते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें स्थिरांक भारतीय एजेंट, विदेशी प्रधान और भारत से सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय एजेंट थे, लेकिन चर इस बारे में थे कि सेवाओं का उपयोग 'कैसे' और 'कहाँ' किया गया था। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 80-0 के पीछे के इरादे और उद्देश्य को देखा और निम्नानुसार टिप्पणी कीः

विदेशी मुद्रा अर्जित करें। प्रोत्साहन के अलावा विदेशी मुद्रा में कर योग्य आय से कटौती की सुविधा है जो कि धारा 80-ओ है। इस प्रावधान के पीछे विधायी इरादे की तलाश करना दूर की बात नहीं है। सरकार उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कंपनियों द्वारा पहल और नवाचार। एक तरह से, राष्ट्र किसी भी भारतीय प्रदर्शन को प्रोत्साहित करता है

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बुद्धि। वह स्वीकार किया गया, अगर भारतीय

प्रौद्योगिकी, ज्ञान-कैसे, आदि का उपयोग भारत में ही एक विदेशी कंपनी द्वारा भी किया जाता है, यह न केवल भारत का बल्कि एक बौद्धिक उद्यम है भारत में भी। हम मानते हैं कि उपयोग का अर्थ है जानकारी का अंतिम उपयोग या जानना-कैसे, लेकिन इसका केवल प्रसंस्करण नहीं है।

भारत को कार्यक्रम; और हालाँकि यह जानकारी भारत के निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई थी, लेकिन इसका उपयोग पूरी तरह से दूसरे देश में किया गया था। मित्तल निगम (उपरोक्त) में निर्णय के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा कि निर्धारिती को कुछ विदेशी उद्यमों के खरीद एजेंट के रूप में कमीशन प्राप्त होता है और यह माना गया कि यह आवश्यक नहीं है कि निर्धारिती को तकनीकी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, यहां तक कि जहां भी हो। इसे केवल वाणिज्यिक जानकारी प्रदान करने के लिए विचार प्राप्त हुआ। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि उक्त निर्णय से यह एकत्र नहीं किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई वाणिज्यिक जानकारी कैसे एकत्र की गई।

निर्धारिती का उपयोग भारत के बाहर विदेशी उद्यमों द्वारा किया जाता था जो 'प्रावधान के अनुप्रयोग को निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू' था।

रामनाथ एंड कंपनी। वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

ओबेरॉय होटल्स (ऊपर) में निर्णय के संबंध में, उच्च न्यायालय ने फिर से कहा कि तथ्यात्मक पृष्ठभूमि स्पष्ट नहीं थी, लेकिन चूंकि समझौते में नाइजीरियाई कर्मियों को निर्धारिती का प्रशिक्षण शामिल था, इसलिए यह माना गया कि अनुबंध के तहत निर्धारिती को निस्संदेह भारत के बाहर अपनी वाणिज्यिक और वैज्ञानिक विशेषज्ञता के साथ-साथ अनुभव और कौशल का उपयोग करना चाहिए। जहां तक इंचकेप इंडिया (उपरोक्त) के मामले का संबंध है, यह बताया गया कि निर्धारिती को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों आदि के मौजूदा मानकों के अनुसार कपड़ा परीक्षण, सॉफ्ट लाइनों, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निरीक्षण में काम करना था। यह भी बताया गया कि यह मुद्दा अधिनियम की धारा 80-0 में स्पष्टीकरण (iii) को शामिल करने से बहुत पहले उठा था। ली एंड फंग में निर्णय के संदर्भ में

(ऊपर), उच्च न्यायालय ने बताया कि इसमें, निर्धारिती ने एक खरीद एजेंट के रूप में भारत से बाहर तकनीकी सेवाएं प्रदान करने का दावा किया है और दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि निर्धारिती द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए ज्ञान, विशेषज्ञता और अनुभव की आवश्यकता होती है; और इसलिए, भारत से बाहर उपयोग के लिए भारत से भेजी गई वाणिज्यिक जानकारी की आपूर्ति के लिए विदेशी उद्यमों से प्राप्त शुल्क अधिनियम की धारा 80-0 के तहत कटौती के लिए पात्र था। न्यायालय ने कहा कि उक्त निर्णय ने बोर्ड के इस स्पष्टीकरण को न्यायिक महत्व नहीं दिया है कि यदि

निर्धारिती भारत से भारत के बाहर किसी विदेशी सरकार या उद्यम को तकनीकी या पेशेवर सेवाएं प्रदान करता है, वह कटौती का दावा कर सकता है, भले ही विदेशी प्राप्तकर्ता 'भारत में ऐसी सेवाओं के लाभ' का उपयोग करता हो। विचार की इस पंक्ति में, उच्च न्यायालय ने अंत में चकियाथ एजेंसियों (उपरोक्त) के मामले में निर्णय का उल्लेख किया और बताया कि उसमें, निर्धारिती, एक शिपिंग एजेंट, को यह सुनिश्चित करना था कि जहाज का मालिक माल उठाता है और समय के भीतर और सहमत दरों पर इसका परिवहन करता है; और जहाज के मालिकों और उनके गंतव्यों को बार-बार अंतराल पर माल की उपलब्धता के बारे में जानकारी ने जहाज के मालिकों को भारतीय तटों को छूने वाले जहाजों की यात्रा का कार्यक्रम बनाने में सक्षम बनाया। दिए गए तथ्यों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारिती ने भारत के बाहर अपने उपयोग के लिए विदेशी शिपिंग मालिक को वाणिज्यिक सेवा प्रदान की थी और इसमें एक कमीशन प्राप्त किया था। परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा, जो इसे अधिनियम की धारा 80-0 के लाभ के लिए हकदार बनाती है। उपरोक्त निर्णयों के संबंध में इस तरह की चर्चा के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 80-ओ के दो महत्वपूर्ण पहलू उसमें विचार के लिए नहीं आए हैं: भारतीय संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की सेवाएँ प्रावधान के दायरे में आती हैं और 'भारत के बाहर उपयोग' अभिव्यक्ति का वास्तविक महत्व क्या है। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहाः

" 46 उपरोक्त घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए, हम, हालांकि, यह इंगित करना आवश्यक महसूस करते हैं कि उनमें से किसी में भी, अधिनियम की धारा 80-0 के दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार नहीं किया गया हैः (i) किसी भारतीय संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की सेवाएँ प्रावधान के दायरे में आती हैं; (ii) इसका वास्तविक महत्व क्या है?

अभिव्यक्ति 'भारत के बाहर उपयोग'?

अपने कर्मचारियों के माध्यम से। जहां तक प्राप्तियों की लेबलिंग के आधार पर कटौती के दावे का संबंध है, इस न्यायालय ने कहा कि कर या कर कटौती के लिए किसी वस्तु की पात्रता को पार्टियों द्वारा उसे दिए गए लेबल पर निर्भर करने के लिए मुश्किल से बनाया जा सकता है, जिसमें एक निर्धारिती धारा 80-0 के तहत कटौती का दावा करने का हकदार नहीं था क्योंकि कुछ प्राप्तियां थीं अनुबंध में रॉयल्टी, शुल्क या कमीशन के रूप में वर्णित और साथ ही, एक विशिष्ट लेबल की अनुपस्थिति किसी निर्धारिती के कटौती का दावा करने के अधिकार को नष्ट नहीं कर सकती है, यदि वास्तव में, प्राप्तियों के लिए विचार धारा में बताए गए स्रोतों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने महाद्वीपीय निर्माण के इस कथन पर भी ध्यान दिया कि यह राजस्व का कर्तव्य है और निर्धारिती का यह देखने का अधिकार है कि अनुबंध के तहत भुगतान किया गया प्रतिफल ऐसी जानकारी और सेवाओं के लिए वैध रूप से जिम्मेदार है।

धारा के अधीन इस प्रकार के विचार की सीमा तक। 8.5 . उच्च न्यायालय ने आयकर आयुक्त बनाम के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भी ध्यान दिया।

खुर्शीद रामनाथ एंड कंपनी। वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

अनवरः (2009) 311 आई. टी. आर. 468 (एम. ए. डी.) जिसमें निर्धारिती के पास इटली में स्थित एक उद्यम के लिए मशीनरी और उपकरणों के लिए भारत में बिक्री अनुबंध को बढ़ावा देने और समाप्त करने के लिए एक विशेष एजेंसी थी। समझौते के बल पर, निर्धारिती ने विदेशी उद्यम के साथ काम किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत लाभ केवल पूछने के लिए निर्धारिती के लिए उपलब्ध नहीं था; रिकॉर्ड और सामग्री को दावे का समर्थन करना चाहिए और उक्त धारा के लाभ का दावा अधिकार के मामले के रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह तथ्य का सवाल है, जिस पर एओ द्वारा रिकॉर्ड के आधार पर विचार किया जा सकता है। उस मामले में, अपीलीय प्राधिकरण ने एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया था कि निर्धारिती ने केवल विदेशी उद्यम द्वारा निर्मित मशीनरी और पुर्जों की बिक्री को प्रभावित किया है और इसलिए, निर्धारिती को केवल बिक्री आयोग प्राप्त हुआ, जो तकनीकी या व्यावसायिक सेवाओं से संबंधित किसी भी गतिविधि के लिए नहीं था और इसलिए, निर्धारिती अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती का दावा करने का हकदार नहीं था।

8.6 . उच्च न्यायालय ने आवश्यकताओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया

महाद्वीपीय निर्माण और खुर्शीद अनवर (ऊपर) में निर्णयों के अनुपात से निम्नानुसारः -

यह धारा के दायरे में आने वाली सेवाओं के लिए है। इन तथ्यों में से कोई भी-अनुबंध का अस्तित्व और परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा की प्राप्ति-इस धारणा की ओर ले नहीं जाता है कि आयोग अधिनियम की धारा 80-ओ में दिए गए प्रावधान के अनुसार कटौती योग्य है।

फ्रांसीसी और जापानी कंपनियों के साथ क्रमशः, यह अभिनिर्धारित किया गया कि निर्धारिती द्वारा निर्वहन किए गए कुछ कार्य अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं हो सकते हैं; और किसी भी अपील में, निर्धारिती ने उस प्रावधान के तहत अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में कोई भी सामग्री रखी थी।

8.8 . उच्च न्यायालय की धारा 80-0 के स्पष्टीकरण (iii) का उल्लेख करते हुए कहा गया कि केवल विदेशों में जानकारी स्थानांतरित करने से यह सुनिश्चित होगा कि सेवा भारत से प्रदान की जाती है न कि भारत में।

सी. ई. आई. पी. टी. रियायत के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सकते हैं; कि सेवाओं की सीमा लाल से लेकर अधिनियम की धारा 80-ओ में संपर्क का धागा है

उसमें उल्लिखित बौद्धिक प्रयास। उच्च न्यायालय ने संक्षेप में कहा

निम्नलिखित परिच्छेदों में चर्चाः

" 56. संक्षेप में, हम यह निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि न्यायाधिकरण ने दो मामलों में यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि निर्धारिती धारा के तहत कटौती के लाभ के हकदार हैं। 80 - अधिनियम का ओः सबसे पहले, केवल

किसी विदेशी उद्यम को सूचना का संचरण,

भारत से प्रस्तुत किया गया, लेकिन भारत में नहीं। एक तत्व के साथ निश्चित रूप से, हम यह भी कह सकते हैं कि एक बार अनुबंध होने पर, एक

विदेश में एक विदेशी उद्यम के लिए तकनीकी ज्ञान-कैसे। यदि केवल वही 'भारत में प्रदान की गई सेवाओं' के संदर्भ के बिना कटौती के लिए योग्य है, तो स्पष्टीकरण (iii) में अभिव्यक्ति ही वैकल्पिक हो जाती है। ट्राइट यह देखने के लिए है कि वैधानिक अधिशेष एक तय कैनन नहीं है निर्माण; बल्कि इससे बचा जाना चाहिए।

57. प्रावधान का उद्देश्य प्रोत्साहन प्रदान करना है।

स्वदेशी लोगों को पता है कि जो भी प्रकृति कैसे पहुँचती है विदेशी राष्ट्रों के तट और वहाँ लागू होता है। द.

परिणामस्वरूप फल भारत में भी रिस सकते हैं, जैसा कि ई. पी. डब्ल्यू. दा कोस्टा और कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन में है, यहां तक कि जिसमें एपेक्स भी है।

अदालत ने माना है कि सभी रसीदें रियायत का दावा नहीं कर सकती हैं।

यदि हम निर्धारिती के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा नियोजित सादृश्य का उल्लेख करते हैं, तो भारत में एक अधिवक्ता भारत में लंबित मामले के संबंध में विदेश में तैनात एक विदेशी मुवक्किल को सेवाएं प्रदान कर सकता है। यह न केवल भारत से, बल्कि भारत में भी प्रदान की जाने वाली सेवा है। दूसरी ओर, यदि उस पेशेवर सलाह का उपयोग विदेश में किया जाता है, यहां तक कि भारतीय मूल के ग्राहकों या इस देश के कानूनों को भी शामिल किया जाता है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में होता है, तो पारिश्रमिक लाभ के लिए योग्य है।

58. एक बार जब हम में संदर्भित सेवाओं की सीमा को देखते हैं

खंड 80-0 में हम संपर्क के सूत्र को समझ सकते हैं

उसमें उल्लिखित सभी बौद्धिक प्रयास

पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया, या इसी तरह के रामनाथ एंड को।

वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

संपत्ति का अधिकार, या औद्योगिक, वाणिज्यिक से संबंधित जानकारी

या उपलब्ध कराया गया वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल या

उपलब्ध कराने के लिए सहमत या ऐसे लोगों को प्रदान किया जाता है

निर्धारिती द्वारा सरकार या उद्यम। यह भी हो सकता है प्रदान की गई तकनीकी या व्यावसायिक सेवाओं पर विचार करना या

भारत के बाहर ऐसी सरकार को सौंपने पर सहमति व्यक्त की गई या

निर्धारिती द्वारा उद्यम। उन्हें पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है

अलग और अलग। सेवाओं की एक हवा है

किसी विदेशी उद्यम को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, अन्यथा व्याख्या (iii) के लिए हिंसा करने के बराबर होना चाहिए। "

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

8.9 . मामले पर समापन करते हुए, उच्च न्यायालय ने संदर्भित किया

"प्रतिपादन" अभिव्यक्ति का शब्दकोश अर्थ और अवलोकन किया कि " प्रस्तुतिकरण में "प्रदान करना" और "प्रदर्शन करना" दोनों शामिल हैं; और यह कि अधिनियम की धारा 80-ओ के संदर्भ में, सेवाएं भारत में प्रदान की जा सकती हैं लेकिन उन्हें विदेशी धरती पर किया जाना है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि निर्धारिती ने कुछ ऐसी सेवाएं प्रदान की हैं जो कटौती के लिए योग्य हैं, तो वे उस संबंध में कोई सामग्री रखने में विफल रहे हैं और विचाराधीन समझौतों में केवल यह बताया गया है कि निर्धारिती विदेशी उद्यमों के लिए समुद्री उत्पाद खरीद एजेंट थे, जिनका भारत के बजाय विदेशों में उपयोग करने में सक्षम विशेषज्ञता के लिए कोई दावा नहीं था।

तदनुसार, उच्च न्यायालय ने राजस्व के पक्ष में कानून के सवाल का जवाब दिया और आई. टी. ए. टी. द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ

अपीलार्थी की ओर से तर्कों का नेतृत्व करें

9. धारा की प्रयोज्यता के प्रश्न से संबंधित बहस पर

80-0 विदेशी उद्यमों को दी गई सेवाओं के बदले में अपीलार्थी द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के लिए अधिनियम के अनुसार, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने व्याख्या की प्रक्रिया, धारा 80-ओ की योजना और उद्देश्य पर व्यापक रूप से जोरदार प्रस्तुतियाँ की हैं और उन निर्णयों का भी उल्लेख किया है जो उसके तर्क में, सार और सिद्धांतों पर वर्तमान मामले को शामिल करते हैं।

9.1 . अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने बहुत मेहनत की है

तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने पूरे मामले को पूरी तरह से गलत कोण से और भाषाई और पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण [2020] 6 एस. सी. आर. के साथ संपर्क किया है।

अधिनियम की धारा 80-0 के मूल उद्देश्य और उद्देश्य की अनदेखी करते हुए व्याख्या करना, जिसका उद्देश्य विदेश से कमाई करने के लिए प्रोत्साहन देना है।

विनिमय करें। अभिराम सिंह बनाम में निर्णय के संदर्भ में। एल. आर. द्वारा सी. डी. कमाचेन (मृत)। और ओआरएस। : 2017 (2) एस. सी. सी. 629, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय ने एक बनाने के खिलाफ आगाह किया है

' लेकिन उच्च न्यायालय शब्दकोश पर अत्यधिक निर्भरता के साथ आगे बढ़ा है और केवल पाठ को इसके संदर्भ और उद्देश्य के बिना देखा है और इस तरह के दृष्टिकोण के साथ, आई. टी. ए. टी. के सुविचारित निर्णय को अनुचित रूप से उलट दिया है। विद्वान वकील ने आयकर आयुक्त, तिरुवनंतपुरम बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया है। बेबी मरीन एक्सपोर्ट्स, कोल्लमः (2007) 290 आई. टी. आर. 323 (एस. सी.), यह प्रस्तुत करने के लिए कि एक प्रोत्साहन प्रावधान को उद्देश्यपूर्ण, व्यापक और उदारता से समझा जाना चाहिए; और अधिनियम की धारा 80-0 जैसे प्रावधान के लिए, जब मूल उद्देश्य विदेशी आय अर्जित करना है।

कर-IV, तमिलनाडु बनाम। बी. सुरेशः (2009) 313 आई. टी. आर. 149 (एस. सी.), विद्वान वकील ने बताया है कि इसमें, विदेश में एक भारतीय फिल्म प्रदर्शित करने के लिए पांच साल का लाइसेंस भी माल के निर्यात का माना गया था और अधिनियम की धारा 80 एच. एच. सी. और अधिनियम की धारा 80-ओ. द्वारा कवर किया गया माल, विदेशी आय अर्जित करने के लिए प्रोत्साहन के लिए समान रूप से एक प्रावधान है।

9.2 . विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क होगा कि धारा 80-0 के एक सादे पठन पर, यह स्पष्ट है कि यह भारत के बाहर उपयोग के लिए किसी विदेशी उद्यम से निर्धारिती द्वारा प्राप्त रॉयल्टी, कमीशन, शुल्क या किसी भी समान भुगतान के माध्यम से आय पर लागू होता है। अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशी उद्यमों को "औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल से संबंधित जानकारी" उपलब्ध कराई जाती है, बशर्ते कि आय भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त की जाती है; और धारा 80-ओ के स्पष्टीकरण (iii) में यह स्पष्ट किया गया है कि

यह धारा भारत से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर भी लागू होगी, जिन्हें इस धारा के उद्देश्य के लिए भारत के बाहर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के रूप में माना जाना है। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि धारा 80-ओ किसी भी तरह से उपयोगकर्ता को बौद्धिक संपदा अधिकार देने तक सीमित नहीं है या

बौद्धिक गतिविधियाँ, जैसा कि राजस्व द्वारा तर्क दिया गया है और जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा देखा गया है। इस संबंध में, विद्वान वकील ने फिर से "औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक रामनाथ एंड कंपनी से संबंधित जानकारी" शब्दों का उल्लेख किया है।

वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

धारा 80-ओ के उत्तरार्ध में "ज्ञान, अनुभव या कौशल" और तर्क दिया है कि ये शब्द इस धारा के प्रारंभिक भाग से अलग हैं, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के उपयोग से संबंधित हैं। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि 'कमीशन', जो सामान्य वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित हो सकता है, भी धारा 80-0 द्वारा कवर किया जाता है।

9.3 . जे. बी. बोड़ा एंड कंपनी के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा करते हुए। प्रा. लिमिटेड वी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,

नई दिल्ली - (1997) 223 आईटीआर 271 (एससी), विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि इसमें, पुनर्बीमा दलाल द्वारा प्राप्त एक कमीशन, जिसने केवल विदेशी पुनर्बीमा कंपनी को शामिल जोखिम और अन्य संबंधित डेटा के बारे में जानकारी भेजी थी, को भी अधिकार दिया गया था

पूरे आयोग के संबंध में अधिनियम की धारा 80-ओ का लाभ। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि पुनर्बीमा दलाल की गतिविधि संभवतः इसे बौद्धिक गतिविधि या तकनीकी या पेशेवर सेवा के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है और जे. बी. बोड़ा एंड कंपनी के मामले में, गतिविधि में केवल एक प्रस्तावित पुनर्बीमा अनुबंध के बारे में भारत से वाणिज्यिक जानकारी भेजना शामिल था, जिसके आधार पर पुनर्बीमा कंपनी ने अनुबंध में प्रवेश करने का वाणिज्यिक निर्णय लिया। द.

विद्वान वकील ने बताया है कि उस मामले में, इस न्यायालय ने सीबीडीटी द्वारा जारी परिपत्र का विशेष रूप से निर्देश दिया था कि भारतीय पुनर्बीमा दलाल द्वारा प्राप्त कमीशन पर धारा 80-ओ के तहत कटौती की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही यह केवल विदेश में कंपनी को किए गए प्रेषण से कटौती की गई थी और विदेशी मुद्रा का कोई वास्तविक आंतरिक प्रेषण नहीं था। विद्वान वकील के अनुसार, यह निर्णय राजस्व के रुख को निर्णायक रूप से नकारता है कि धारा 80

ओ केवल बौद्धिक संपदा अधिकारों के उपयोग या बौद्धिक गतिविधियों के लिए भुगतान पर लागू होता है। विद्वान वकील का तर्क होगा कि जे. बी. बोड़ा एंड कंपनी में धारा 80-ओ की व्यापक, उदार और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का महत्वपूर्ण महत्व है और इसका सादृश्य अपीलार्थी पर लागू होता है। 9.4 . अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने ई. पी. डब्ल्यू. दा कोस्टा (ऊपर) में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

प्रस्तुतियाँ कि इसमें, भारतीय निर्धारिती ने केवल भारत में रेडियो श्रोताओं का बाजार सर्वेक्षण किया और लंदन में बीबीसी को जानकारी दी; और बीबीसी ने उस जानकारी का उपयोग हिंदी को तैयार करने के लिए किया भारत में भाषा प्रसारण। हालाँकि, बी. बी. सी. द्वारा निर्धारिती को ऐसी सेवाओं के लिए किए गए भुगतान को भी अधिनियम की धारा 80-ओ के दायरे में लिया गया था।

9.5 . जहाँ तक अपीलार्थी की सेवाओं और गतिविधियों का संबंध है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपील के निष्कर्षों का उल्लेख किया है।

प्राधिकरण और आई. टी. ए. टी. ने भी प्रस्तुत किया है कि उक्त निष्कर्ष इस आशय के हैं कि अपीलकर्ता ने अपने विदेशी ग्राहकों को विभिन्न भारतीय बाजारों में उपलब्ध समुद्री भोजन, उनकी गुणवत्ता, मूल्य सीमा आदि के बारे में जानकारी देकर भारत से सेवाएं प्रदान कीं। ; और,

न्यायालय ने कहा कि जब तक सेवाएँ विदेश में प्रदान नहीं की जाती हैं, तब तक प्राप्त राशि धारा 80-0 के लाभ के लिए योग्य नहीं होगी, जो धारा 80-O के स्पष्टीकरण (iii) में निहित सादे प्रावधान के सीधे विपरीत है और यह परिपत्र संख्या 700 दिनांक 23.09.1995 के विपरीत भी है, जिसमें स्पष्ट किया गया था। कि धारा 80-ओ में न केवल भारत के बाहर प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल हैं, बल्कि भारत से भारत के बाहर किसी पक्ष को प्रदान की जाने वाली सेवाएं भी शामिल हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेवा का उपयोग बाद में भारत में विदेशी ग्राहक द्वारा किया जाता है या नहीं। अपीलार्थी के मामले के संबंध में, विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि वास्तव में, अपीलार्थी से संबंधित विदेशी उद्यमों का भारत में कोई संचालन या व्यवसाय का स्थान नहीं है और ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी द्वारा भारत में ग्राहकों को सेवा प्रदान करने का कोई सवाल ही नहीं था। इस प्रकार, विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, विचाराधीन गतिविधियाँ अधिनियम की धारा 80-ओ द्वारा पूरी तरह से कवर की जाती हैं।

रामनाथ एंड कंपनी। वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

उत्तरदाता-राजस्व

10. अपीलार्थी की ओर से इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों के विपरीत, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील-राजस्व ने भी उल्लेख किया है -

धारा 80-ओ में निहित प्रावधानों के पीछे का उद्देश्य और उद्देश्य अधिनियम के; व्याख्या के नियम, जो उनके तर्क में, इन प्रावधानों पर लागू होने चाहिए; और, अपीलार्थी की ओर से उद्धृत निर्णयों में अंतर करने की कोशिश करते हुए, अन्य निर्णयों पर भरोसा किया है, जो उनके अनुसार, वर्तमान मामले में लागू होते हैं और जो विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का विधिवत समर्थन करते हैं।

10.1 . राजस्व के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया है

कि धारा 80-ओ के समान प्रावधान मूल रूप से आयकर अधिनियम, 1961 की पूर्व धारा 85-सी में उपलब्ध थे, जिसे भारतीय उद्योगों को तकनीकी ज्ञान और सेवाओं को विकसित करने और इसे विदेशों में उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पेश किया गया था।

कंपनियां ताकि हमारे देश की विदेशी मुद्रा आय को बढ़ाया जा सके और विदेशों में भारतीय तकनीकी ज्ञान की प्रतिष्ठा स्थापित की जा सके। अधिनियम की धारा 80-0 की सामग्री पर लौटना, जैसे कि

हाथ में मामले पर लागू, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि इसके

शीर्षक में ही यह उद्देश्य इंगित किया गया है कि यह रॉयल्टी आदि के संबंध में प्रोविडिन कटौती के लिए है, जो कुछ विदेशों से प्राप्त होती है।

उद्यम। इस प्रावधान के प्रासंगिक भागों को विच्छेदित करते हुए, विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि इसके लिए कुछ आवश्यक आवश्यकताएँ

आविष्कार या इसी तरह की बौद्धिक संपदा या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान से संबंधित जानकारी और सेवाएं भारत के बाहर प्रदान की जानी चाहिए। विवादित निर्णय में टिप्पणियों को दोहराते हुए और जोरदार रूप से रेखांकित करते हुए, विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि धारा 80-ओ को लागू करने के पीछे विधायिका का इरादा केवल उस आय के लिए कटौती प्रदान करना था जो इसके माध्यम से प्राप्त होती है। बौद्धिक गतिविधि/बौद्धिक प्रयास और सरल व्यापारिक गतिविधि के लिए हालांकि कुछ वाणिज्यिक या औद्योगिक जानकारी की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इसे इस प्रावधान के दायरे में नहीं लिया जा सकता है। धारा 80-ओ के स्पष्टीकरण (iii) के संदर्भ में, विद्वान वकील का तर्क होगा कि मूल प्रावधान विशेष रूप से कहता है कि इसमें "बाहर" प्रदान की गई सेवाएं शामिल हैं।

भारत "और स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि भारत के बाहर प्रदान की जाने वाली या प्रदान करने के लिए सहमत सेवाओं में भारत [2020] 6 एस. सी. आर. से प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल होंगी।

लेकिन इसमें भारत में प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल नहीं होंगी और इसलिए, निर्धारिती द्वारा किसी विदेशी संस्था को प्रदान की जाने वाली सेवाएं बाहर प्रदान की जानी चाहिए।

सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम दिलीप कुमार एंड कंपनी और अन्यः (2018) 9 एस. सी. सी. 1 यह प्रस्तुत करने के लिए कि अब यह संदेह से परे तय हो गया है कि कर लगाने वाले कानून सख्त नियमों के अधीन हैं।

व्याख्या, किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं छोड़ना; और

छूट अधिसूचना या छूट खंड के मामले में अस्पष्टता राजस्व के पक्ष में होनी चाहिए, क्योंकि कराधान से छूट से करदाताओं के गैर-छूट वाले वर्ग पर बोझ बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। विद्वान वकील के अनुसार, वही सिद्धांत अधिनियम की धारा 80-ओ पर लागू होंगे और संविधान पीठ द्वारा घोषित कानून के लिए, बेबी मरीन एक्सपोर्ट्स (उपरोक्त) में अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णय पर, जो अन्यथा भी धारा से संबंधित है, लागू होंगे।

10.3 . तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि अपीलार्थी द्वारा विदेशी को कथित रूप से दी गई गतिविधियाँ संबंधित समझौतों के अनुसार संस्थाएं तकनीकी या तकनीकी नहीं थीं।

पेशेवर सेवाएँ ताकि प्रावधान के मुख्य भाग द्वारा कवर की जा सकें; और इसके अलावा, उन्हें धारा 80-0 के स्पष्टीकरण (iii) के आधार पर बाहर रखा गया है, क्योंकि उन्हें "भारत में" प्रस्तुत किया गया है न कि "भारत से"। विद्वान वकील इन दलीलों के बारे में विस्तार से बताएगा कि समझौतों के अनुसार, अपीलकर्ता केवल समुद्री उत्पादों के विश्वसनीय और आश्वस्त आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाने, मूल्य निर्धारण को अंतिम रूप देने और निर्यात करने से पहले, भारत से विदेशी इकाई को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करने और विदेशी इकाई को इसके बारे में सूचित करने के लिए था। इसके अलावा, भुगतान चालान राशि के आधार पर किया गया था; और विदेशी इकाई को दिए गए किसी विशेष वाणिज्यिक या तकनीकी ज्ञान के आधार पर नहीं। विद्वान वकील ने विशेष रूप से गेलाज़ुर के साथ उपरोक्त निर्दिष्ट समझौते के अनुच्छेद 3 का उल्लेख किया है ताकि यह बताया जा सके कि यदि फ्रांस में निरीक्षण के बाद माल की गुणवत्ता या पैकेजिंग असंतोषजनक पाई गई थी, तो विदेशी कंपनी का एजेंट के शुल्क का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं था। इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार, जिन गतिविधियों के संबंध में अपीलार्थी द्वारा समझौते किए गए थे, वे केवल 'खरीद या खरीद एजेंट' की थीं और धारा रामनाथ एंड कंपनी के दायरे में नहीं आती हैं।

वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

80-0 अधिनियम की धारा 80-ओ; और प्रमाणन की प्राथमिक गतिविधि, जो भारत में की जाती है, और माल की प्राप्ति, जो भारत में भी की जाती है, अधिनियम की धारा 80-ओ इसके स्पष्टीकरण (iii) के बल के अनुसार लागू नहीं होती है। विद्वान वकील ने अभी तक उच्च न्यायालय की टिप्पणियों का समर्थन करते हुए आगे प्रस्तुत किया है कि यदि कोई यह मान लेता है कि अपीलार्थी ने कुछ सेवाएं प्रदान की थीं जो कटौती के लिए योग्य हैं, तो उस संबंध में कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है।

10.4 . राजस्व के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने मुख्य रूप से दो निर्णयों का संदर्भ देकर अपनी इस दलील का समर्थन किया है कि अधिनियम की धारा 80-ओ अपीलार्थी पर लागू नहीं होती है। सबसे पहले, विद्वान वकील ने बी. एल. पासी बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। आय-कर आयुक्तः 2018 (404) आई. टी. आर. 19 (एस. सी.) इस दलील के साथ कि यह निर्णय वर्तमान मामले के सभी चार पक्षों पर लागू होता है। इसमें, निर्धारिती ने कहा कि समझौते के अनुसार, कारों के दरवाजों पर मुहर लगाने के लिए डाई के निर्माण के लिए खाका प्रदान करना था, हालांकि कोई खाका नहीं भेजा गया था और यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि बिक्री निर्धारिती द्वारा दी गई जानकारी के कारण प्रभावित हुई थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती केवल एक प्रबंध अभिकर्ता था और था अधिनियम की धारा 80-ओ के अर्थ के भीतर 'तकनीकी सेवाएँ' प्रदान नहीं करना। इसलिए कटौती देने का कोई आधार नहीं था। इसके बाद, विद्वान वरिष्ठ वकील ने थॉमस कुरियन (उपरोक्त) के मामले में केरल उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया है, जहां केवल निर्धारिती था

निर्यातकों द्वारा संसाधित मछली की गुणवत्ता और प्रकार की जांच करना और विदेशी खरीदार को शिपमेंट के लिए योग्यता प्रमाणित करना, जो भारत से भेजे गए माल को स्वीकार करने के लिए बाध्य था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि निर्दिष्ट सेवाओं को "भारत में" प्रदान किया गया था और इसलिए, धारा 80-0 की पहली पात्रता शर्त, कि सेवाओं को भारत के बाहर प्रदान किया जाना चाहिए, पूरी नहीं की गई थी और इसलिए, अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती का लाभ उपलब्ध नहीं था, भले ही विदेश से प्राप्त करने की दूसरी शर्त उपलब्ध हो।

विनिमय पूरा हुआ। विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि

उक्त निर्णयों में उपलब्ध सिद्धांत सीधे यहाँ लागू होते हैं और अपीलार्थी धारा 80-ओ के तहत कटौती का दावा करने का हकदार नहीं है।

10.5 . दूसरे पक्ष द्वारा उद्धृत निर्णयों में अंतर करने की कोशिश करते हुए, राजस्व के लिए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि जे. बी. बोडा एंड कंपनी (ऊपर), मुद्दा केवल विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की विधि के बारे में था जो धारा 80-ओ कटौती के लिए योग्य होगी, जो वर्तमान अपीलों में विवाद में नहीं है; और [2020] 6 एस. सी. आर. के परिपत्र पर निर्भर है।

जो अपीलार्थी के मामले का समर्थन कर सकता है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि ई. डब्ल्यू. पी. दा कोस्टा (उपरोक्त) का मामला पूरी तरह से अलग गतिविधि का था क्योंकि इसमें, सांख्यिकीय तालिकाओं को निर्धारिती द्वारा संख्यात्मक डेटा के द्रव्यमान का विश्लेषण करने के बाद संकलित किया गया था, जिसे मूल्यांकन और विश्लेषण करने के लिए भारत में दर्शकों के शोध अध्ययनों के साथ एकत्र किया गया था। बी. बी. सी. के लिए भारतीयों की रेडियो सुनने की आदतें; और ऐसी सेवाओं को अत्यधिक तकनीकी माना जाता था, जो वैज्ञानिक ज्ञान से संबंधित थी और केवल डेटा संग्रह नहीं थी क्योंकि उन सेवाओं ने बी. बी. सी. को न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रसारित करने में सक्षम बनाया। जहां तक बी. सुरेश (ऊपर) में निर्णय का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया है कि उस मामले में, फीचर फिल्मों के अधिकारों का हस्तांतरण 'बाहर' शोषण के लिए किया गया था।

भारत 'और मुख्य मुद्दा केवल यह था कि क्या धारा 80 एचएचसी के अर्थ के भीतर' बिक्री 'कहा जा सकता है, जो प्रस्तुत करने के लिए अप्रासंगिक है। मामला।

पूरा अनुबंध, जिसमें राजस्व को विभाजित करने और प्रदान की गई प्रत्येक सेवा को देखने का निर्देश दिया गया था। प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुतियों के अनुसार, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में इस निर्णय पर भरोसा किया, लेकिन इस न्यायालय में यह महसूस करते हुए इसे छोड़ दिया कि यह राजस्व के पक्ष में है; और यदि अनुपात लागू किया जाता है, तो सबसे अच्छा, धारा का लाभ। 80-0 यदि अपीलार्थी ने प्रदान की गई वास्तविक सेवाओं के बारे में कोई सामग्री रखी थी, लेकिन अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई थी, तो इसे गतिविधि-वार माना जा सकता था।

10.6 . एक ही निर्धारिती द्वारा विभिन्न सेवाओं के संबंध में, जिनमें से कुछ रामनाथ एंड कंपनी पर भरोसा करने के अलावा कटौती के लिए योग्य नहीं हो सकते हैं।

वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

महाद्वीपीय निर्माण (उपरोक्त) में टिप्पणियों में, राजस्व की ओर से सीबीडीटी के दो परिपत्रों का भी संदर्भ दिया गया है, अर्थात परिपत्र संख्या 187 दिनांक 23.12.1975 और परिपत्र संख्या 253 दिनांक 30.04.1979। यह इंगित किया गया है कि 23.12.1975 दिनांकित परिपत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया है कि एक समग्र समझौते के मामले में, जिसमें उन उद्देश्यों के लिए विचार के रूप में एक समेकित राशि निर्दिष्ट की गई है, जिसमें धारा 80-ओ के दायरे से बाहर के मामले शामिल हैं, सी. बी. डी. टी. ऐसे समझौते को मंजूरी नहीं दे सकता है। धारा 80-ओ के प्रयोजनों के लिए, यदि धारा 80-ओ के लिए अर्हता प्राप्त करते हुए, कैसे या तकनीकी सेवाओं आदि के प्रावधान से संबंधित विचार की राशि का ठीक से पता लगाना और निर्धारित करना संभव नहीं था। इस प्रकार, इस तरह के समझौते के तहत प्राप्य रॉयल्टी, कमीशन, शुल्क आदि की पूरी राशि को धारा 80-ओ के लाभ से वंचित किया जा सकता था। इसके बाद, दिनांक 30.04.1979 के परिपत्र द्वारा, यह निर्णय लिया गया कि समग्र समझौते के ऐसे मामलों में, समझौते की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, गैर-योग्य सेवाओं के लिए उपयुक्त अस्वीकृति के अधीन, सी. बी. डी. टी. द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा, ताकि रॉयल्टी/शुल्क आदि की शेष राशि, जो धारा 80-0 द्वारा कवर की गई सेवाओं के लिए थी, को छूट दी जा सके। इस परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि व्यापार पूछताछ धारा 80-ओ के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं होगी और साथ ही भारत में प्रदान की जाने वाली तकनीकी सेवाएं भी। यह तर्क दिया गया है कि यदि अपीलार्थी कुछ ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहा था जो कटौती के लिए योग्य हो सकती थीं, तो उसने सेवाओं का ऐसा कोई विवरण नहीं दिया था और

संबंधित प्राप्तियाँ और इसलिए, अधिनियम की धारा 80-ओ का लाभ अपीलार्थी के लिए उपलब्ध नहीं है।

10.6. 1 . जहाँ तक अपीलार्थी के वकील द्वारा दिए गए परिपत्र के संबंध में, अर्थात, परिपत्र संख्या 700 दिनांक 23.03.1995, राजस्व की ओर से यह तर्क दिया गया है कि यह अपीलार्थी के लिए कोई सहायता नहीं है क्योंकि, उसके पैराग्राफ 3 और 4 के अनुसार, सेवाओं को होना चाहिए

यह केवल यह स्पष्ट करता है कि सेवाओं का विदेशी प्राप्तकर्ता भारत में ऐसी सेवाओं का लाभ उठा सकता है, जबकि वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने केवल भारत में सेवाएं प्रदान की हैं और

केवल एक एजेंट के रूप में।

10.7 . राजस्व के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि आई. टी. ए. टी. द्वारा प्राप्त तथ्यों के निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से चुनौती दी गई थी

2002 के आई. टी. ए. सं. 131 में उच्च न्यायालय के समक्ष और किसी भी मामले में, यह धारा 80-ओ और इसके स्पष्टीकरण (iii) की वैधानिक भाषा की व्याख्या का मामला होने के कारण, निष्कर्षों को चुनौती देने की इच्छा के बारे में अपीलार्थी की ओर से तर्क आधारहीन है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी की ओर से प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ

11. प्रत्यर्थी की ओर से की गई प्रस्तुतियों को प्रत्यर्थी प्रस्तुतियों के माध्यम से अपीलार्थी की ओर से विधिवत खारिज कर दिया गया है।

11.1 . जहां तक दिलीप कुमार एंड कंपनी (उपरोक्त) के मामले में व्याख्या के सिद्धांतों का संबंध है, यह पक्षकार की ओर से तर्क दिया गया है

अपीलार्थी कि उक्त निर्णय का संदर्भ पूरी तरह से अनुचित है क्योंकि यह एक छूट अधिसूचना की व्याख्या से संबंधित है न कि धारा 80-0 जैसे प्रोत्साहन प्रावधान से, जिसकी व्याख्या जे. बी. बोडा एंड कंपनी (ऊपर) या धारा 80 एच. एच. सी. में की गई है, जिसकी व्याख्या बी. सुरेश और बेबी मरीन एक्सपोर्ट्स (ऊपर) में की गई है।

11.2 . राजस्व पर निर्भर निर्णयों के संबंध में

अधिनियम की धारा 80-ओ के आवेदन में यह प्रस्तुत किया गया है कि बी. एल. पासी (उपर्युक्त) के मामले का संदर्भ पूरी तरह से गलत है।

क्योंकि उसमें, निर्धारिती ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी थी कि उसने विदेशी ग्राहक को कोई सेवा प्रदान की थी; और इसलिए, सेवा की प्रकृति के बारे में कोई मुद्दा भी नहीं उठा। जहाँ तक थॉमस कुरियन (उपरोक्त) मामले में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया है कि उसमें प्रदान की गई सेवाओं की प्रकृति अपीलार्थी की सेवाओं से बहुत अलग थी क्योंकि उक्त निर्धारिती

केवल एक निरीक्षक और प्रमाणक था; और अन्यथा भी, उक्त निर्णय किसी भी बल का नहीं है क्योंकि जे. बी. बोड़ा एंड कंपनी (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय पर उसमें विचार नहीं किया गया था और ई. पी. डब्ल्यू. दा कोस्टा (ऊपर) में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को राजस्व और राजस्व विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था।

अंतिम बनने की अनुमति दी गई थी, उस पर भी विचार नहीं किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जे. बी. बोड़ा एंड कंपनी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों के आधार पर प्रस्तुतियों के लिए उत्तरदाताओं द्वारा कोई ठोस या विशिष्ट उत्तर नहीं है और यह दोहराया गया है कि पुनर्बीमा दलाल की गतिविधि को भी धारा 80-0 के लाभ के लिए शामिल किया गया था, हालांकि ऐसी गतिविधि को संभवतः एक बौद्धिक गतिविधि या तकनीकी या पेशेवर सेवा के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। यह दावा किया गया है कि धारा 80-ओ के प्रोत्साहन प्रावधान की व्याख्या करने के लिए इस न्यायालय द्वारा आईडी1 एंड कंपनी में अपनाया गया एक उदार और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण वर्तमान मामले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों में आगे यह तर्क दिया गया है कि एक ओर जे. बी. बोडा एंड कंपनी और ई. पी. डब्ल्यू. दा कोस्टा और दूसरी ओर अपीलार्थी के मामलों के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है। और इन निर्णयों के संबंध में उत्तरदाताओं की ओर से की गई सतही टिप्पणियां निरर्थक रहती हैं।

रामनाथ एंड कंपनी। वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

11.2. 1 . इसी तरह, 23.12.1975 और 30.04.1979 दिनांकित परिपत्रों के संबंध में, यह तर्क दिया गया है कि इन परिपत्रों का संदर्भ हैः

पूरी तरह से गलत क्योंकि वे विदेशी ग्राहकों के साथ एक समझौते के सीबीडीटी द्वारा अनुमोदन के मामले से निपटते हैं लेकिन इस तरह की आवश्यकता

सी. बी. डी. टी. की मंजूरी बहुत पहले धारा 80-ओ के संशोधन द्वारा दी गई थी और इन परिपत्रों का वर्तमान मामले में शामिल मुद्दों से कोई लेना-देना नहीं है।

11.3 . अपीलार्थी की गतिविधि की प्रकृति और आई. टी. ए. टी. के निष्कर्षों से संबंधित प्रस्तुतियों की पुनरावृत्ति के साथ, यह तर्क दिया गया है कि उत्तरदाताओं का यह तर्क कि अपीलार्थी की प्राथमिक गतिविधि केवल खरीद एजेंट की थी, असमर्थनीय है। यह भी हुआ है

तर्क दिया कि आई. टी. ए. टी. के तथ्य के निष्कर्ष के अनुसार, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रदान की गई पूरी सेवाएं और विदेशी मुद्रा में उसके द्वारा प्राप्त पूरी राशि अधिनियम की धारा 80-ओ के अंतर्गत आती है और प्रत्यर्थी की ओर से यह सुझाव देने का प्रयास कि अपीलार्थी द्वारा प्राप्त राशि का केवल एक हिस्सा ही धारा 80-ओ के लाभ के लिए पात्र हो सकता है, आधारहीन है। प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों में, यह भी संकेत दिया गया है कि प्रतिवादियों द्वारा महाद्वीपीय निर्माण (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ अप्रासंगिक है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा इस पर भरोसा नहीं किया गया है।

12. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार किया है और लागू कानून के संदर्भ में अभिलेखों की जांच की है।

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ओ

13. विषय-वस्तु और उससे जुड़े प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, इसमें निहित प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा।

1961 के अधिनियम की धारा 80-ओ और आरंभ में स्पष्टीकरण के खंड (iii) में। इस धारा 80-ओ से कई बार गुजर चुका है। समय-समय पर संशोधन, लेकिन वर्तमान उद्देश्य के लिए, उनमें प्रासंगिक और महत्वपूर्ण प्रावधानों को निकालने के लिए पर्याप्त होगा, जो प्रासंगिक समय पर मौजूद हैं और जो वर्तमान अपील पर लागू होते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया हैः -

" 80 - ओ. रॉयल्टी आदि के संबंध में कुछ लोगों से कटौती

विदेशी उद्यम। जहाँ एक की सकल कुल आय

निर्धारिती, जो एक भारतीय कंपनी या एक व्यक्ति (एक कंपनी के अलावा अन्य) है, जो भारत में निवासी है, उसमें किसी भी पेटेंट, [2020] 6 एस. सी. आर. के भारत के बाहर उपयोग के लिए किसी विदेशी राज्य की सरकार या विदेशी उद्यम से निर्धारिती द्वारा प्राप्त रॉयल्टी, कमीशन, शुल्क या किसी भी समान भुगतान के माध्यम से कोई भी आय शामिल है।

आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया, या इसी तरह

संपत्ति का अधिकार, या औद्योगिक, वाणिज्यिक से संबंधित जानकारी

या उपलब्ध कराया गया वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल या

उपलब्ध कराने के लिए सहमत या ऐसे लोगों को प्रदान किया जाता है

निर्धारिती द्वारा सरकार या उद्यम, या प्रदान की गई या सहमत तकनीकी या पेशेवर सेवाएँ

भारत के बाहर ऐसी सरकार या उद्यम को

निर्धारिती, और ऐसी आय परिवर्तनीय विदेशी में प्राप्त की जाती है भारत में विनिमय, या परिवर्तनीय विदेशी में प्राप्त किया गया है

भारत के बाहर विनिमय, या परिवर्तनीय में परिवर्तित किया गया है

भारत के बाहर विदेशी मुद्रा, भारत में, द्वारा या उस पर लाई जाती है

उस समय के लिए किसी भी कानून के अनुसार निर्धारिती की ओर से

विदेश में भुगतान और लेन-देन को विनियमित करने के लिए लागू होना

विनिमय, वहाँ अनुमति दी जाएगी, और विषय के अनुसार

इस धारा के प्रावधानों के लिए, के बराबर राशि की कटौती

इस प्रकार प्राप्त या भारत में लाई गई आय का पचास प्रतिशत,

निर्धारिती की कुल आय की गणना करने के लिए:

***

*

**

***

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

*

**

***

***

भारत से प्रदान की जाने वाली सेवाओं में शामिल होंगे लेकिन इसमें शामिल नहीं होंगे भारत में प्रदान की जाने वाली सेवाएं;

*

*** 11

***

***

14. इसमें थोड़ी सी सैर करना भी सार्थक होगा।

अधिनियम की धारा 80-ओ से संबंधित इतिहास के प्रासंगिक हिस्सों में आयकर, 1961 के प्रावधानों से संबंधित विकास की कुछ विशेषताओं पर एक नज़र डालते हुए, किसी निर्धारिती द्वारा विशिष्ट बौद्धिक संपदा प्रदान करने, या निर्दिष्ट जानकारी देने, या विदेशी राज्य या विदेशी उद्यम को निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने के विचार में रॉयल्टी, कमीशन आदि के माध्यम से प्राप्त आय के विशेष वर्ग के संबंध में ऐसी कटौती से संबंधित है।

14.1 . 1961 के अधिनियम के आगमन के प्रारंभिक चरणों में, अध्याय

VI-A, VII और VIII क्रमशः इन में की जाने वाली कटौती से संबंधित हैं -

11 1 1 यह निष्कर्षण अधिनियम की धारा 80-ओ के अन्य भागों को हटाने के बाद है, जिसमें इसके प्रावधान और स्पष्टीकरण के अन्य खंड शामिल हैं, जो निम्नलिखित प्रश्न के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। हाथ।

रामनाथ एंड कंपनी। वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

कुल आय, आय के छूट प्राप्त भागों और छूटों और राहतों की गणना करते हुए, लेकिन इन अध्यायों के कई प्रावधानों के साथ-साथ अध्याय XII के कुछ प्रावधानों को भी पुनर्गठित किया गया और इन्हें एक साथ रखा गया।

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1967 द्वारा नए बनाए गए अध्याय VI-A का प्रभाव 01.04.1968 से होगा, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे सभी प्रोत्साहन या राहत सीधे कुल आय से ही कटौती के माध्यम से प्रदान किए गए थे। अपने ढांचे में, जबकि इस अध्याय VI-A के भाग A में परिभाषाओं सहित सामान्य प्रावधान हैं, इसके भाग B में कुछ भुगतानों के संबंध में कटौती का प्रावधान है और भाग C में निम्नलिखित में कटौती का प्रावधान है -

कुल आय की गणना में कुछ आयों का संबंध। आय के विशेष वर्ग या व्यक्तियों के लिए प्रावधान करने वाले भाग सीए और भाग डी को बाद में पेश किया गया था।

14.2 . वर्तमान मामले का मुख्य पहलू यह है कि

कुछ विदेशी कंपनियों से प्राप्त रॉयल्टी आदि पर कर की कटौती से संबंधित प्रावधान के लिए 1961 के अधिनियम में धारा 85-सी थी, जिसे 1966 के अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित किया गया था। उक्त धारा 85-सी और अध्याय VII के कई अन्य प्रावधानों को वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1967 की तीसरी अनुसूची, मद 14 के साथ पठित धारा 33 द्वारा हटा दिया गया था। उक्त धारा 85-सी को हटाने का कारण यह था कि संशोधित आवश्यकताओं के साथ इसी तरह का प्रावधान नए अध्याय VI-A122 _ 1 3 में धारा 80-0 के माध्यम से पेश किया गया था।

1 2 संदर्भ के उद्देश्य से, हम उक्त निरस्त धारा 85-सी को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत कर रहे हैंः

कंपनी जिसने किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया, या इसी तरह के संपत्ति अधिकार, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने या प्रदान करने या उपलब्ध कराने के लिए सहमत होने या निर्धारिती द्वारा विदेशी कंपनी को प्रदान करने या तकनीकी सेवाओं के विचार में भारत के भीतर (इसके बाद, इस धारा में, विदेशी कंपनी के रूप में संदर्भित) लाभांश की घोषणा और भुगतान के लिए निर्धारित व्यवस्था की है। निर्धारिती द्वारा संबद्ध निर्धारण वर्ष के 1 अक्टूबर से पहले इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक समझौते के तहत विदेशी कंपनी को दिए गए या दिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की गई, निर्धारिती उस आय ई-कर से कटौती का हकदार होगा, जिसके साथ वह निर्धारण वर्ष के लिए अपनी कुल आय पर आय-कर की राशि के इतने हिस्से के लिए प्रभार्य है, जिसकी गणना आय-कर की औसत दर पर की जाती है, जो इस प्रकार शामिल आय पर पच्चीस प्रतिशत की राशि से अधिक है। वहाँ से "।

13 संदर्भ के उद्देश्य से, हम धारा 80-0 को उसके मूल रूप में भी पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसा कि वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1967 द्वारा अंतःस्थापित किया गया हैः

14.3 . अध्याय VI-A में प्रस्तुत धारा 80-O में दावा करने के लिए पात्र संस्थाओं के संबंध में कई संशोधन/परिवर्तन किए गए हैं।

कटौती के साथ-साथ स्वीकार्य कटौती की सीमा (जो प्रतिशत है), लेकिन उद्देश्य का मूल भारतीय तकनीकी ज्ञान के निर्यात को प्रोत्साहित करना रहा-देश के विदेशी मुद्रा भंडार को कैसे और बढ़ाया जाए। जबकि राहत को मूल रूप से धारा 80-ओ में केवल एक विदेशी कंपनी के साथ काम करने के लिए स्वीकार किया गया था, लेकिन बाद में, एक विदेशी सरकार या विदेशी उद्यम के साथ काम करना शामिल किया गया और इस तरह, कवरेज और गतिविधियों का दायरा काफी हद तक बढ़ाया गया। हालाँकि, जैसा कि पूर्ववर्ती धारा 85-सी और मूल रूप से अंतःस्थापित धारा 80-0 से देखा गया है, विदेशी संस्था के साथ ऐसे किसी भी समझौते के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है और इस आवश्यकता को बाद में बदलकर सी. बी. डी. टी. की मंजूरी कर दी गई। धारा 80-ओ के विकास और संचालन से संबंधित विभिन्न अन्य विशेषताओं और पहलुओं, जो उस समय मौजूद थे, पर राजस्व की ओर से संदर्भित दो परिपत्रों, अर्थात् परिपत्र संख्या 187 दिनांक 23.12.1975 और परिपत्र संख्या 253 दिनांक 30.04.1979 द्वारा विचार किया गया था। वास्तव में, ये परिपत्र अपने पूर्ण के लिए सामने आए

महाद्वीपीय निर्माण (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण, जैसा कि हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। इस समय हम उपयोगी हो सकते हैं

इन दो अधिसूचनाओं के प्रासंगिक पाठ को पुनः प्रस्तुत करें जो उस समय मौजूद और लागू प्रावधानों पर प्रकाश डालते हैं। उक्त परिपत्रों के प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैं:

" परिपत्र सं. 187, दिनांक 23 दिसंबर, 1975।

विषयः आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-0-समझौतों के अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश।

" 800. कुछ विदेशी कंपनियों से प्राप्त रॉयल्टी आदि के संबंध में कटौती। - जहां एक भारतीय कंपनी होने के नाते किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया, या इसी तरह के संपत्ति अधिकार, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या संबंधित जानकारी के उपयोग के लिए किसी विदेशी कंपनी से रॉयल्टी, कमीशन, शुल्क या इसी तरह का कोई भुगतान शामिल है। निर्धारिती द्वारा विदेशी कंपनी को उपलब्ध कराया गया या प्रदान किया गया या प्रदान करने के लिए सहमत किया गया वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल, या निर्धारिती द्वारा विदेशी कंपनी को प्रदान की जाने वाली या प्रदान करने के लिए सहमत तकनीकी सेवाओं पर विचार करते हुए या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में एक समझौते के तहत संबंधित वर्ष के 1 अक्टूबर से पहले विदेशी कंपनी को प्रदान करने के लिए सहमत किया गया।

निर्धारण वर्ष में ऐसी आय से साठ प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती की अनुमति होगी। निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में। एमएनएटीएच एंड कंपनी।

वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

" भारतीय तकनीकी ज्ञान के निर्यात को प्रोत्साहित करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ-कैसे और विदेशी मुद्रा में वृद्धि

देश के संसाधन, आयकर अधिनियम की धारा 80-ओ, 1961 , रॉयल्टी, कमीशन, शुल्क या किसी विदेशी सरकार या विदेशी उद्यम से प्राप्त किसी भी समान भुगतान के माध्यम से आय के संबंध में रियायती कर उपचार का प्रावधान है, जो उक्त धारा में निर्धारित कुछ शर्तों की संतुष्टि के अधीन है।

2. धारा 80-ओ के तहत कर रियायत की उपलब्धता के लिए शर्तों में से एक यह है कि समझौते को निम्नलिखित द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए -

इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। समझौते की मंजूरी के लिए आवेदन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को निर्धारण वर्ष के 1 अक्टूबर के पहले दिन से पहले किया जाना आवश्यक है, जिसके संबंध में पहली बार मंजूरी मांगी जाती है। इस उद्देश्य के लिए आवेदन पत्र को मानकीकृत किया गया है।

और एक नमूना परिशिष्ट में दिया गया है।

3. इस प्रावधान का उद्देश्य जब इसे पहली बार आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 85 सी के रूप में पेश किया गया था, तो बोर्ड के 1966 के परिपत्र (एलएक्सएक्सवीआई-61) में कहा गया था, ताकि भारतीय कंपनियों को अपनी तकनीकी जानकारी-कैसे और कौशल विदेशों में निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

और देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों को बढ़ाना। बोर्ड के परिपत्र No.72 में वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1971 द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों की व्याख्या करते हुए इसे दोहराया गया था। इस कर प्रोत्साहन के पीछे के उद्देश्य और वैधानिक प्रावधानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने इस तरह की मंजूरी देने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार किए हैं: -.....

***

***

(ix) एक समग्र समझौते के मामले में जो उन उद्देश्यों के लिए विचार के रूप में एक समेकित राशि निर्दिष्ट करता है जो

धारा 80-0 के दायरे से बाहर के मामले शामिल हैं (जैसे,

कैसे या तकनीकी सेवाएँ, आदि, उद्देश्यों के लिए अर्हता प्राप्त करना धारा 80-0 का निर्धारण आयकर अधिकारी द्वारा संबंधित तथ्यों की उचित समझ के बाद मूल्यांकन के समय अलग से करना होगा। तथापि, जहां बोर्ड की राय में, विचार की राशि [2020] 6 एस. सी. आर. का ठीक से पता लगाना और निर्धारित करना संभव नहीं होगा।

धारा 80-0 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले जानकार या तकनीकी सेवाओं आदि के प्रावधान से संबंधित, बोर्ड अधिनियम की धारा 80-0 के उद्देश्यों के लिए ऐसे समझौते को मंजूरी नहीं दे सकता है।

***

*****

***

परिपत्र No.253, दिनांक 30 अप्रैल, 1979।

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-0-समझौतों के अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश-आगे स्पष्टीकरण। - ध्यान दें।

बोर्ड के परिपत्र संख्या 187 (एफ. संख्या 473/15/73-एफ. टी. डी.), दिनांक 23 दिसंबर, 1975 को उपरोक्त विषय पर आमंत्रित किया जाता है।

धारा 80-ओ के तहत अनुमोदन प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश। द.

बोर्ड को उपरोक्त दिशानिर्देशों की पुनः जांच करने का अवसर मिला है और दिशानिर्देशों को नीचे बताए गए हद तक संशोधित करने का निर्णय लिया गया हैः

((i) पैरा। 3 (iii) दिनांकित 23-12-1975 के परिपत्र में यह प्रावधान किया गया है कि

3 (iii) दिनांकित 23-12-1975 के परिपत्र को इस प्रकार माना जा सकता है हटा दिया गया।

((ii) उक्त परिपत्र के पैरा (ix) में यह उल्लेख किया गया था कि -

व्यापार-चिह्न के उपयोग के लिए विचार बाहर होगा

धारा 80-ओ। अब यह तय किया गया है कि भुगतान

व्यापार चिह्नों के उपयोग के लिए बनाए गए, रॉयल्टी की प्रकृति के हैं, और, इसलिए, धारा 80-0 के दायरे में आता है।

(iii) यह 23-12-75 दिनांकित परिपत्र के पैरा 3 (ix) में भी कहा गया था।

कि एक समग्र समझौते के मामले में जो एक निर्दिष्ट करता है

उन प्रयोजनों के लिए प्रतिफल के रूप में समेकित राशि जो

बोर्ड ने धारा 80-ओ के दायरे से बाहर के मामलों को शामिल किया

के प्रयोजनों के लिए इस तरह के समझौते को मंजूरी नहीं दे सकता है

अधिनियम की धारा 80-0 यदि ठीक से करना संभव नहीं था

ज्ञान-कैसे या तकनीकी के प्रावधान से संबंधित सेवाएँ, आदि, धारा 80-ओ के लिए अर्हता प्राप्त करना। इस प्रकार, रामनाथ एंड कंपनी को लाभ होता है।

वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

धारा 80-ओ की पूरी राशि से इनकार किया जा सकता है

रॉयल्टी, कमीशन, शुल्क, आदि, इस तरह के एक के तहत प्राप्य

समझौता। तब से यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में

बोर्ड द्वारा अनुमोदन एक के अधीन दिया जाएगा गैर-अर्हता सेवाओं के लिए उपयुक्त अस्वीकृति,

समग्रता को ध्यान में रखते हुए समझौता, इसलिए रॉयल्टी/शुल्क आदि की शेष राशि, जो

धारा 80-ओ द्वारा कवर की गई सेवाओं के लिए, हो सकता है

छूट दी गई "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

14.4 . धारा 80-ओ में कई अन्य संशोधन किए गए थे।

समय-समय पर। वर्तमान उद्देश्य के लिए ध्यान देने योग्य प्रासंगिक पहलू

यह है कि धारा 80-ओ के तहत कटौती की सीमा में भी समय-समय पर बदलाव किया गया था और इसकी 100 प्रतिशत अनुमति भी दी गई थी। लेकिन वित्त अधिनियम, 1984 द्वारा इसे घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। निर्दिष्ट आय का। फिर, सीबीडीटी द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता को वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा मुख्य आयुक्त या महानिदेशक द्वारा अनुमोदन के लिए प्रतिस्थापित किया गया था। हालाँकि, 1991 के वित्त (संख्या 2) अधिनियम द्वारा, उस आवश्यकता को भी हटा दिया गया था। वास्तव में, 1991 के वित्त (सं. 2) अधिनियम ने धारा 80-ओ में कई बदलाव किए, जिसके तहत पहले और दूसरे प्रावधानों को हटा दिया गया और स्पष्टीकरण का उपर्युक्त खंड (iii) जोड़ा गया। शब्द "या एक व्यक्ति (एक कंपनी के अलावा) जो है

1991 के इसी वित्त (संख्या 2) अधिनियम द्वारा गैर-निगमित कर दाताओं के लिए भी धारा 80-ओ की पहुंच का विस्तार करते हुए भारत में निवासियों को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा, पहले की अभिव्यक्तियाँ "तकनीकी सेवाएँ" थीं

इसे "तकनीकी या पेशेवर सेवाओं" में भी बदल दिया गया। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 1991 के वित्त (संख्या 2) अधिनियम ने 1961 के अधिनियम की धारा 80-ओ का काफी पुनर्गठन किया और इसके दायरे और दायरे के क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार किया। ये संशोधन निर्धारण वर्ष 1992-93 के बाद से लागू किए गए थे और जाहिर है, यही कारण था कि अपीलार्थी जैसे निर्धारिती, जो पहले अपनी विदेशी मुद्रा की कमाई के संदर्भ में धारा 80 एचएचसी के तहत कटौती का लाभ ले रहे थे, ने कटौती के उद्देश्य से धारा 80-ओ के इस प्रावधान में स्थानांतरित करने का प्रयास किया। इसका प्रभाव

1991 के वित्त (संख्या 2) अधिनियम द्वारा धारा 80-ओ में किए गए संशोधनों के बारे में राजस्व द्वारा अपने परिपत्र संख्या 621 दिनांक 19.12.1991 में भी समझाया गया था, जिसके प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार निकाला जा सकता हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" परिपत्र सं. 621, दिनांक 19 दिसंबर, 1991:

' आय के संबंध में कटौती का दायरा बढ़ाना

रॉयल्टी, कमीशन, तकनीकी शुल्क आदि-37। इसके तहत

आय-कर अधिनियम की धारा 80-0 के मौजूदा प्रावधान, एक भारतीय कंपनी, जो रॉयल्टी, कमीशन, शुल्क के माध्यम से आय प्राप्त करती है

आदि, किसी विदेशी सरकार या किसी विदेशी उद्यम से

तकनीकी ज्ञान के प्रावधान पर विचार-कैसे या तकनीकी

एक अनुमोदित समझौते के तहत सेवाएं, कटौती का हकदार है, अपनी कर योग्य आय की गणना करने में, प्रति वर्ष 50 के बराबर राशि

प्रतिशत। ऐसी आय की बशर्ते ऐसी आय प्राप्त की जाए या लाई जाए

में, परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत। 37.1 इस प्रावधान को अन्य प्रावधानों के साथ समानता पर लाने की दृष्टि से

निर्यात क्षेत्र के लिए कर रियायतें और एक उपाय के रूप में भी

भारत में रहने वाले गैर-निगमित कर दाताओं को। रियायत पेशेवर सेवाओं के संबंध में भी अब उपलब्ध होगा

साथ ही भारत से विदेशी उद्यमों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए भी।

इसके अलावा, कर अधिकारियों की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता

इस संबंध को समाप्त कर दिया गया है।

तदनुसार, निर्धारण वर्ष 1992 के संबंध में लागू होगा - 93 और बाद के वर्षों में।

****

** : * 99

14.5 . इसके बारे में कई और स्पष्टीकरण दिए गए थे

1991 के वित्त (संख्या 2) अधिनियम द्वारा नवीनीकृत 80-0 पर; और राजस्व द्वारा स्पष्टीकरण परिपत्र सं।

ए. टी. ई. डी. 23.03.1995, जिस पर विद्वानों द्वारा दृढ़ता से भरोसा किया गया है

आर अपीलार्थी के लिए वकील। इस परिपत्र की प्रासंगिक सामग्री

निम्नलिखित रूप में भी निकाला जाना चाहिए:

" परिपत्र संख्या 700, दिनांक 23 मार्च, 1995

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ओ के तहत कटौती

के बारे में स्पष्टीकरण। - आय-कर की धारा 80-ओ

अधिनियम, 1961 में किसी व्यक्ति की आय में से 50 प्रतिशत की कटौती का प्रावधान है।

रॉयल्टी, कमीशन, शुल्क या इसी तरह के किसी भी रूप में भारतीय निवासी

विदेशी सरकार या उद्यम से भुगतान:

रामनाथ एंड कंपनी। वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

(क) किसी भी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया, आदि के भारत के बाहर उपयोग के लिए विचार में। ; या

((ख) भारत के बाहर ऐसी विदेशी सरकार या उद्यम को प्रदान की जाने वाली या प्रदान करने के लिए सहमत तकनीकी या व्यावसायिक सेवाओं पर विचार करते हुए।

दोनों ही मामलों में, आवश्यकता यह है कि आय परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होनी चाहिए।

2. धारा 80-ओ के स्पष्टीकरण (iii) में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत के बाहर प्रदान की जाने वाली या प्रदान करने के लिए सहमत सेवाओं में भारत से प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल होंगी, लेकिन इसमें भारत में प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल नहीं होंगी। 3. एक सवाल उठाया गया है कि क्या धारा 80-0 का लाभ उपलब्ध होगा यदि तकनीकी और व्यावसायिक सेवाएं,

यद्यपि भारत के बाहर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग भारत में विदेशी सरकार या उद्यम द्वारा किया जाता है।

4. बोर्ड ने इस मामले पर विचार किया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक तकनीकी और व्यावसायिक सेवाएं भारत से प्रदान की जाती हैं और भारत के बाहर किसी विदेशी सरकार या उद्यम द्वारा प्राप्त की जाती हैं, तब तक धारा 80-ओ के तहत कटौती सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगी, भले ही सेवा का विदेशी प्राप्तकर्ता भारत में ऐसी सेवाओं का लाभ उठाता हो। 5. इस परिपत्र की सामग्री को व्यापक प्रचार दिया जा सकता है और आपके अधीन सभी अधीनस्थ अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सकता है।

सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए शुल्क "।

14.6 . ऊपर जो देखा गया है, उसके सारांश में यह पता चलता है कि भारत के कामकाज को गति देने के उद्देश्यों के साथ

विदेशों को बौद्धिक संपदा या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए उद्योग, ताकि हमारे देश की विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि हो सके और साथ ही भारतीय तकनीकी ज्ञान की सद्भावना अर्जित हो सके कि कैसे विदेशों में धारा 85-सी पहले और धारा 80-ओ बाद में 1961 के अधिनियम में शामिल किए गए थे। यह ध्यान देने योग्य है कि समय-समय पर धारा 80-ओ के दायरे और दायरे का विस्तार किया गया और यहां तक कि विदेशी सरकार या विदेशी उद्यम के साथ लेनदेन को भी "विदेशी कंपनी" के स्थान पर शामिल किया गया जैसा कि शुरू में प्रदान किया गया था। ऐसे किसी भी [2020] 6 एस. सी. आर. के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता।

व्यवस्था को भी संशोधित किया गया और अंततः इसे समाप्त कर दिया गया। विशेष रूप से, जबकि शुरू में धारा 80-0 के लाभ की परिकल्पना केवल एक भारतीय कंपनी के लिए की गई थी, लेकिन बाद में इसे एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी बढ़ाया गया, जो भारत का निवासी है। कटौती की सीमा भी समय-समय पर भिन्न होती थी।

14.7 . मोटे तौर पर, 1961 के अधिनियम की धारा 80-ओ से संबंधित कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण कारक, इसकी पृष्ठभूमि के संदर्भ में

और इसका विकास, यह स्पष्ट करता है कि तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए कर प्रोत्साहन-हमारे देश से विदेशी लोगों को कैसे और समान विशिष्टताएँ

देशों ने अंततः इस तरह से आकार लिया कि विदेशी मुद्रा की कमाई, बौद्धिक संपदा प्रदान करने या औद्योगिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक ज्ञान से संबंधित जानकारी प्रदान करने या विदेशी सरकार या विदेशी उद्यम को तकनीकी या व्यावसायिक सेवाओं के प्रदान करने के माध्यम से, कुल आय की गणना में 50 प्रतिशत की कटौती के लिए पात्र बनाया गया था। इस प्रकार प्राप्त आय का। धारा 80-0 के स्पष्टीकरण (आई. आई.) में पाए जाने वाले बारीक विवरण। इस बात का भी ध्यान रखा गया कि धारा 80-ओ द्वारा परिकल्पित सेवाओं को भारत के बाहर प्रदान किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें 'भारत से' प्रदान किया जा सकता है, यह स्पष्ट करते हुए कि 'भारत में' प्रदान की जाने वाली सेवाएं ऐसी कटौती के लिए योग्य नहीं होंगी।

व्याख्या के लिए प्रासंगिक सिद्धांत

15. इस प्रकार अधिनियम की धारा 1 के विकास के इतिहास और ऐतिहासिक दृष्टिकोण और विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों के प्रासंगिक भागों पर ध्यान देने के बाद, अब हम इस प्रावधान की व्याख्या और अनुप्रयोग के लिए सिद्धांतों की जांच कर सकते हैं। इस संबंध में, जैसा कि देखा गया है, बेबी मरीन एक्सपोर्ट्स और बी. सुरेश (ऊपर) में निर्णयों के संदर्भ में अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 80-ओ जैसे प्रोत्साहन प्रावधान का उद्देश्यपूर्ण, व्यापक रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए। और उदारतापूर्वक ताकि विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए अपने घोषित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इसके विपरीत, दिलीप कुमार एंड कंपनी (उपरोक्त) में संविधान पीठ के फैसले के संदर्भ में राजस्व की ओर से यह तर्क दिया गया है कि कर लगाने वाले कानून सख्त व्याख्या के नियम के अधीन हैं, और छूट अधिसूचना या छूट खंड के मामले में अस्पष्टता का लाभ राजस्व के पक्ष में जाना चाहिए; और वही सिद्धांत अधिनियम की धारा 80-ओ के संबंध में लागू होंगे।

15.1 . जहाँ तक बी. सुरेश (उपरोक्त) के मामले में निर्णय का संबंध है, उसी पर विस्तार करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता है क्योंकि रामनाथ एंड कंपनी।

वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

इसमें शामिल प्रश्न पूरी तरह से अलग था, यानी कि क्या पट्टे के माध्यम से भारत के बाहर फिल्मों के शोषण के अधिकार को हस्तांतरित करके अर्जित विदेशी मुद्रा अधिनियम की धारा 80 एचएचसी के तहत कटौती के लिए स्वीकार्य थी, जहां विभाग ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि फिल्में/फिल्में वस्तु नहीं थीं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि

प्रस्तुतिकरण, हम आवश्यक विवरणों में अन्य उद्धृत निर्णयों के अनुपात को देख सकते हैं।

शिशु समुद्री निर्यात

16. वह प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष निर्धारण के लिए आया था

बेबी मरीन एक्सपोर्ट्स (उपरोक्त) के मामले में यह था कि क्या निर्धारिती द्वारा प्राप्त एक्सपोर्ट हाउस प्रीमियम धारा 80 एचएचसी के तहत कटौती की गणना करते समय 'व्यवसाय के लाभ' में शामिल था?

16.1 . बेबी मरीन एक्सपोर्ट्स के मामले में निर्धारिती घरेलू बाजार दोनों में समुद्री उत्पादों को बेचने के व्यवसाय में लगा हुआ था और इसे सीधे खरीदारों के साथ-साथ निर्यात घरों के माध्यम से भी निर्यात कर रहा था। निर्यात घरानों के साथ अनुबंध किए गए जहां निर्धारिती को निर्यात का पूरा एफ. ओ. बी. मूल्य और एफ. ओ. बी. मूल्य का 2.25% का निर्यात घर प्रीमियम प्राप्त हुआ। अधिनियम की धारा 80 एचएचसी के तहत कटौती का दावा करते समय, इस निर्यात गृह प्रीमियम को भी कुल कारोबार के हिस्से के रूप में दिखाया गया था, जो बिक्री पर विचार का हिस्सा था न कि कमीशन या सेवा शुल्क और तदनुसार कटौती का दावा किया गया था। एओ ने समझौते के खंड 12 के संदर्भ में कटौती के लिए इस तरह के दावे को इस अवलोकन के साथ खारिज कर दिया कि ऐसा प्रीमियम स्पष्ट रूप से एक कमीशन या सेवा शुल्क था। अपीलीय प्राधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती को जो प्राप्त हुआ वह केवल कुछ खर्चों की प्रतिपूर्ति या कमीशन या दलाली के लिए भुगतान था, जो धारा 80 एचएचसी के स्पष्टीकरण (बीएए) के खंड 1 के दायरे में आता है। हालांकि, आई. टी. ए. टी. ने अनुमति दी निर्धारिती की इस स्थिति को स्वीकार करते हुए अपील कि धारा 80 एचएचसी के तहत कटौती की गणना करते समय निर्यात घर का प्रीमियम 'व्यवसाय के लाभ' में शामिल था और यह कि निर्यात घर का प्रीमियम निर्धारिती द्वारा प्राप्त बिक्री मूल्य का एक अभिन्न हिस्सा था और इसे कमीशन या दलाली के रूप में नहीं लिया जा सकता था। राजस्व द्वारा की गई अपील को उच्च न्यायालय ने उसी मुद्दे पर अपने पहले के फैसले का पालन करते हुए खारिज कर दिया था।

16.2 . राजस्व द्वारा आगे की अपील में, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ सी पर्ल इंडस्ट्रीज बनाम में अन्य निर्णयों के संदर्भ में टिप्पणी की। सीआईटी

कोचीनः 2001 (127) ई. एल. टी. 649 (एससी) और आई. पी. सी. ए. प्रयोगशाला लिमिटेड v. डी. आयकर आयुक्त, मुंबई (2004) 266 आईटीआर 521 (एससी)

कि धारा 80 एचएचसी को विदेशी मुद्रा अर्जित करने वालों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शामिल किया गया था और इस धारा को उदार व्याख्या प्राप्त होनी चाहिए। इस न्यायालय ने निर्णय के संदर्भ में भी टिप्पणी की बजाज टेम्पो लिमिटेड बनाम। आयकर आयुक्त, बॉम्बेः (1992) 196 आई. टी. आर. 188 (एस. सी.) कि हमें धारा की व्याख्या करते समय हमेशा अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। विधायी इरादा अदालत की व्याख्या का आधार होना चाहिए।

16.3 . हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि बेबी मरीन एक्सपोर्ट्स में, अंततः इस न्यायालय ने निम्नलिखित कटौती के लिए निर्धारिती के दावे को बरकरार रखा

अधिनियम की धारा 80 एच. एच. सी. प्रावधान के लिए किसी भी उदार या विस्तारित अर्थ के रूप में नहीं है, बल्कि केवल उस प्रावधान में "सहायक निर्माता" शब्द की परिभाषा और मामले के तथ्यों पर इसके सीधे अनुप्रयोग के संदर्भ में इसके सादे निर्माण पर है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। निम्नलिखित परिच्छेदों से (पीपी पर। 334-335 आई. टी. आर.):

" धारा 80 एच. एच. सी. (1) के अनुसार, निर्यात घराने को अपनी कुल आय की गणना करने में निम्न सीमा तक कटौती का अधिकार है -

निर्धारिती द्वारा माल या माल के निर्यात से प्राप्त लाभ। जबकि, धारा 80 एचएचसी (1 ए) के अनुसार, सहायक निर्माता माल या माल की बिक्री से निर्धारिती द्वारा प्राप्त लाभ की कटौती का हकदार होगा। "सहायक निर्माता" शब्द को इस खंड में परिभाषित किया गया है।

और यह नीचे लिखा हैः

' सहायक निर्माता का अर्थ है एक व्यक्ति जो एक भारतीय कंपनी है या एक व्यक्ति (एक कंपनी के अलावा) जो भारत में निवासी है,

विनिर्माण (प्रसंस्करण सहित), वस्तु या माल और ऐसी वस्तु या माल को निर्यात के प्रयोजनों के लिए किसी निर्यात गृह या व्यापार गृह को बेचना ": उक्त परिभाषा के अनुसार, प्रतिवादी स्पष्ट रूप से समर्थन के दायरे में आता है।

निर्माता। धारा 80 एचएचसी (1 ए) के सादे निर्माण पर

निर्धारिती निर्माता के रूप में सहायक होगा

निर्धारिती द्वारा प्राप्त लाभ की कटौती का हकदार

माल या माल की बिक्री से।

प्रत्यर्थी-एक सहायक निर्माता ने माल या माल को निर्यात घराने को बेच दिया और पूरे एफओबी को प्राप्त किया

माल का मूल्य और 2.25 प्रतिशत का एक्सपोर्ट हाउस प्रीमियम। एफ. ओ. बी. मूल्य। समझौते का सुसंगत खंड 12

निर्णय और एम. एन. ए. टी. एच. एंड सी. ओ. के पूर्व भाग में पहले ही निकाला जा चुका है।

वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

उक्त खंड के अनुसार, निर्यात घराने का दायित्व है कि वह सहायक निर्माता को प्रति वर्ष 2.25 रुपये का प्रोत्साहन दे। प्रतिशत। समझौते की शर्तों के अनुसार एफ. ओ. बी. मूल्य पर।

प्रत्यर्थी, एक सहायक निर्माता, ने स्वीकार किया कि माल को उस निर्यात घराने को बेच दिया जिसके संबंध में निर्यात घराने ने उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत एक प्रमाण पत्र जारी किया है। के अनुसार

धारा के अनुसार, प्रत्यर्थी-निर्धारिती को कुल आय की गणना करने में निर्दिष्ट लाभ की सीमा तक कटौती की अनुमति दी जाएगी।

निर्धारिती द्वारा निर्यात घराने को माल की बिक्री से प्राप्त उप-धारा (1 ख) में।

अपीलीय न्यायाधिकरण निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच गया है

कि एक्सपोर्ट हाउस प्रीमियम और कुछ नहीं बल्कि निर्धारिती-एक्सपोर्ट हाउस के एक सहायक निर्माता द्वारा प्राप्त बिक्री मूल्य का एक अभिन्न हिस्सा है। न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि एक्सपोर्ट हाउस प्रीमियम को संभवतः दोनों में से एक नहीं माना जा सकता है। कमीशन या दलाली, एक व्यक्ति के रूप में अपने लिए कमीशन या दलाली अर्जित नहीं कर सकता है।

उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को बरकरार रखा है। में।

हमारा विचार है कि अपीलीय न्यायाधिकरण का आदेश आयकर की धारा 80 एचएचसी (1 ए) के उचित निर्माण पर आधारित है।

अधिनियम बनाएँ कि निर्यात गृह प्रीमियम निर्धारिती द्वारा निर्यात गृह से प्राप्त बिक्री मूल्य का एक अभिन्न अंग है।

***

***

***

अपीलार्थी का प्रस्तुत करना कि प्रीमियम अर्जित किया गया है

प्रत्यर्थी निर्धारिती द्वारा निर्यात से पूरी तरह से असंबंधित गलत है और किसी भी योग्यता से रहित है। अपीलार्थी का यह प्रस्तुतिकरण भी अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच समझौते की विशिष्ट शर्तों के विपरीत है।

धारा 80 एचएचसी (1 ए) के एक सादे निर्माण पर,

प्रत्यर्थी स्पष्ट रूप से कुल आय की गणना में निर्यात घराने से प्राप्त प्रीमियम राशि की कटौती का दावा करने का हकदार है। एक्सपोर्ट हाउस प्रीमियम को व्यावसायिक लाभ में शामिल किया जा सकता है क्योंकि यह इसका एक अभिन्न हिस्सा है

प्रत्यर्थी का व्यावसायिक संचालन जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा निर्यात घराने को माल की बिक्री शामिल है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिलीप कुमार एंड कंपनी

17. दिलीप कुमार एंड कंपनी (उपरोक्त) के मामले में संविधान पीठ को आधिकारिक घोषणा के लिए संदर्भित मुख्य प्रश्न यह था कि कर छूट प्रावधान/अधिसूचना की व्याख्या करते समय कौन सा व्याख्यात्मक नियम लागू किया जाना चाहिए, जब निर्धारिती की पात्रता या कर की दर के संदर्भ में इसकी प्रयोज्यता के बारे में अस्पष्टता है? संविधान पीठ को संदर्भित करना आवश्यक था

17.1 . दिलीप कुमार एंड कंपनी में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने पिछले कई फैसलों की जांच की, जिसमें एक अन्य निर्णय भी शामिल था। सी. सी. ई. बनाम में संविधान पीठ। हरि चंद श्री गोपालः (2011) 1 एस. सी. सी. 236 और यह भी कि यू. ओ. आई. बनाम के मामले में इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा। वुड पेपर्स लिमिटेड : (1990) 4 एस. सी. सी. 256 जिसमें, सिद्धांतों को स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि इस सवाल का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि क्या कोई विषय अधिसूचना में आता है या छूट खंड में आता है और एक बार अस्पष्टता या संदेह का समाधान छूट खंड की प्रयोज्यता की सख्ती से व्याख्या करके किया जाता है, तो न्यायालय छूट खंड का उदारता से अर्थ लगा सकता है। इस न्यायालय ने पाया कि वुड पेपर्स लिमिटेड (ऊपर) में, सी. सी. ई. बनाम के मामले में पहले के निर्णय में कुछ टिप्पणियां थीं। पारले एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड : (1989) 1 एस. सी. सी. 345 को भी पूरी स्पष्टता के साथ समझाया गया। इस न्यायालय ने पूर्ण अनुमोदन के साथ वुड पेपर लिमिटेड में दिए गए उद्धरणों को नोट किया जैसा कि निम्नलिखित में देखा जा सकता हैः

" 46. भारत संघ में दो विद्वान न्यायाधीशों के निर्णय में v. वुड पेपर्स लिमिटेड : (1990) 4 एस. सी. सी. 256 (संक्षिप्तता के लिए इसके बाद "वुड पेपर्स लिमिटेड केस" के रूप में संदर्भित), छूट प्राप्त करने के लिए पात्रता का पता लगाने के चरण और छूट की प्रकृति को लागू करने के चरण के बीच एक अंतर किया गया था। के आधार पर सी. सी. ई. बनाम में निर्णय। पारले एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेडः (1989) 1 एस. सी. सी. 345, यह आयोजित किया गया थाः (वुड पेपर्स लिमिटेड मामला, एस. सी. सी. पी. 262 , पैरा 6)

14 सन एक्सपोर्ट कार्पोरेशन में। वी. सीमा शुल्क कलेक्टर, (1997) 6 एस. सी. सी. 564 न्यायालय ने कानून को इस प्रकार कहा था (पृष्ठ 568 पर):

" यह मानते हुए भी कि दो विचार संभव हैं, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कराधान के मामलों में निर्धारिती के लिए अनुकूल एक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। "

" 6. ..... के स्तर पर दायरे का विस्तार या विस्तार न करें

प्रयोज्यता। लेकिन एक बार जब वह बाधा पार हो जाए, तो इसका अर्थ निकालें।

उदारतापूर्वक "।

इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तर्क पैरा 4 में पाया जाता है।

वुड पेपर्स लिमिटेड मामला, जिसमें लिखा हैः (एस. सी. सी पी. 260)

विशिष्ट उद्देश्य, आदि। यही कारण है कि इसका निर्माण, इसके विपरीत चार्जिंग प्रावधान, अलग-अलग टचस्टोन पर परीक्षण किया जाना है। में।

वास्तव में, छूट का प्रावधान एक अपवाद की तरह है और सामान्य है।

विधियों के निर्माण या व्याख्या का सिद्धांत

लेकिन एक बार अपवाद या छूट लागू होने के बाद कोई नियम लागू नहीं होता है। या सिद्धांत के लिए इसे सख्ती से समझने की आवश्यकता होती है। सच बोल रहा हूँ।

इसे व्याख्या करने के विभिन्न चरणों में लागू किया जाना है। कब सवाल यह है कि क्या कोई विषय अधिसूचना में आता है

या छूट खंड में तब यह प्रकृति में है अपवाद को सख्ती से और विषय के खिलाफ माना जाना चाहिए,

लेकिन एक बार अस्पष्टता या प्रयोज्यता के बारे में संदेह हटा दिया जाता है

और विषय अधिसूचना में आता है तो पूरा खेल होना चाहिए

इसे दिया जाए और यह एक व्यापक और उदारवाद की मांग करता है निर्माण "।

(जोर दिया गया)

***

***

***

3. उपरोक्त परिच्छेद में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय ने कहा किः (पारले खेल मामला, एस. सी. सी. पी. 357, पैरा 17)

" 17. जब किसी अधिसूचना के दो दृश्य संभव हों, तो यह होना चाहिए विषय के पक्ष में समझा जाता है क्योंकि अधिसूचना एक का हिस्सा है

राजकोषीय अधिनियम "।

उनका अवलोकन इस दृष्टिकोण का समर्थन करता प्रतीत हो सकता है कि अस्पष्टता

छूट के लिए एक अधिसूचना की व्याख्या [2020] 6 एस. सी. आर. के लाभ के लिए की जानी चाहिए।

कर के सामान्य नियम को उन लोगों के खिलाफ सख्ती से समझा जाना चाहिए जो अपने लाभ के लिए आह्वान करते हैं। यह बाद में समझाया गया था वुड पेपर्स लिमिटेड मामले में निर्णय। पैरा 6 में इसे इस प्रकार देखा गया थाः (एस. सी. सी पी. 262)

" 6. ..... सी. सी. ई. वी. में पारले एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड, इस न्यायालय ने जबकि

यह स्वीकार करते हुए कि छूट खंड का उदारता से अर्थ लगाया जाना चाहिए

केंद्रीय राजकोष और नमक अधिनियम की पहली अनुसूची की मद संख्या 68 और अभिनिर्धारित किया कि यह आत्मा और आत्मा के अनुरूप नहीं होना चाहिए

गैर-मादक पेय के लिए छूट देने के लिए कानून का कारण विचाराधीन अधिसूचना के तहत आधार '। तर्क या अनुपात है

एक ही। प्रयोज्यता के स्तर पर दायरे का विस्तार या विस्तार न करें।

लेकिन एक बार जब उस बाधा को पार कर लिया जाता है तो इसे उदारता से समझें। तब से

प्रतिवादी अधिसूचना के पहले खंड में नहीं आता था

खंड को एक उदार निर्माण देने का कोई सवाल ही नहीं था

और इसमें उल्लिखित प्रत्यर्थी द्वारा माल के उस उत्पादन को अभिनिर्धारित करें

अधिसूचना लाभ के हकदार थे।

59. उपरोक्त निर्णय, जो दो लोगों का भी निर्णय है-न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ ने पहली बार यह विचार रखा कि छूट के प्रावधानों के उदार और सख्त निर्माण को इसकी व्याख्या के विभिन्न चरणों में लागू किया जाना चाहिए। यह प्रश्न कि क्या कोई विषय अधिसूचना में आता है या छूट खंड में आता है, का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। जब एक बार अस्पष्टता या संदेह की प्रयोज्यता की व्याख्या करके हल किया जाता है

छूट खंड सख्ती से, न्यायालय व्यापक और उदार निर्माण प्रदान करते हुए पूर्ण खेल देकर अधिसूचना का अर्थ लगा सकता है। पारले निर्यात मामले का अनुपात निम्नानुसार निकाला गया हैः (वुड पेपर्स लिमिटेड मामला, एस. सी. सी. पी. 262 , पैरा 6)

" 6. ..... प्रयोज्यता के स्तर पर दायरे का विस्तार या विस्तार न करें।

लेकिन एक बार जब वह बाधा पार हो जाए, तो इसे उदारता से समझें।

60. इसके विपरीत दृष्टिकोण रखते हुए, हमें इससे अलग होने का कोई मजबूत और सम्मोहक कारण नहीं मिलता है। हम सम्मानपूर्वक इस दृष्टिकोण के प्रति अपनी सहमति दर्ज करते हैं जो बाद में आया हैः

हरि चंद मामले में संविधान पीठ द्वारा विस्तार से बताया गया।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

एमएनएटीएच एंड कंपनी। वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]17.2 . हरि चंद श्री गोपाल ए) मामले में संविधान पीठ के फैसले पर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान दिया गयाः

के साथ और पात्रता मानदंड के बीच का अंतर जिन शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है और जिन शर्तों का काफी हद तक पालन करने की आवश्यकता है, उनका संदर्भ

के साथ। संविधान पीठ ने हंसराज में अनुपात का पालन किया

गोरधनदास मामला, के पहलू पर कानून को दोहराने के लिए पैरा 29 में छूट खंड की व्याख्या इस प्रकार हैः (हरि चंद मामला, एस. सी. सी. पी. 247)

" 29. कानून अच्छी तरह से तय है कि एक व्यक्ति जो छूट का दावा करता है या रियायत को यह स्थापित करना होगा कि वह उस छूट का हकदार है

या रियायत। छूट प्रदान करने वाला प्रावधान,

रियायत या अपवाद, जैसा भी मामला हो, को कुछ अपवादों के साथ सख्ती से समझा जाना चाहिए

जिन व्यवस्थाओं पर प्रावधान रखा गया है

कानून और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और उद्देश्य।

कुछ शर्तों का पालन करने पर छूट उपलब्ध है, शर्तों का पालन करना होगा। अनिवार्य

उन शर्तों की आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए या

ठीक से पूरा किया गया, हालांकि कभी-कभी, कुछ अक्षांश दिखाया जा सकता है,

अधिसूचना देने के सार या सार को प्रभावित करता है छूट।

*** 66

***

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

17.3 . ऊपर के संदर्भ में और कई अन्य के संदर्भ में

दिलीप कुमार एंड कंपनी में, संविधान पीठ ने सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दियाः

" 66. संक्षेप में, हम संदर्भ धारण का उत्तर इस प्रकार देते हैंः

66.1. छूट अधिसूचना की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए।

प्रयोज्यता साबित करने का भार निर्धारिती पर होगा -

दिखाएँ कि उसका मामला छूट के मापदंडों के भीतर आता है

खंड या छूट अधिसूचना।

66.2. जब छूट अधिसूचना में अस्पष्टता हो

जो सख्त व्याख्या के अधीन है, ऐसे लाभ

66.3 . सन एक्सपोर्ट के मामले में अनुपात सही नहीं है और सभी ऐसे निर्णय जिन्होंने सन एक्सपोर्ट केसस्टैंड के समान दृष्टिकोण अपनाया

खारिज कर दिया "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

17.4 . जाहिर है, सामान्यीकृत, बल्कि व्यापक, प्रस्ताव

सन एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (ऊपर) के मामले में और अन्य मामलों में भी कहा गया है कि कराधान के मामलों में, जब दो विचार संभव हैं, तो निर्धारिती के लिए अनुकूल एक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसे दिलीप कुमार एंड कंपनी (ऊपर) में संविधान पीठ द्वारा विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया है। संविधान पीठ द्वारा यह अनिश्चित शब्दों में निर्धारित किया गया है कि छूट अधिसूचना की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए; इसकी प्रयोज्यता साबित करने का बोझ निर्धारिती पर है; और किसी भी अस्पष्टता के मामले में, विषय/निर्धारिती द्वारा इसके लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसकी व्याख्या राजस्व के पक्ष में की जाएगी।

रामनाथ एंड कंपनी। वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

18. अपीलार्थी की ओर से इस पर बार-बार जोर दिया गया है।

कि अधिनियम की धारा 80-0 अनिवार्य रूप से एक प्रोत्साहन प्रावधान है और इसलिए, इसकी व्याख्या और उदारता से लागू करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, हम देख सकते हैं कि कटौती, छूट, छूट आदि 1961 के अधिनियम द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों की विभिन्न प्रजातियां हैं। दूसरे शब्दों में, प्रोत्साहन एक सामान्य शब्द है और 'कटौती' इसकी प्रजातियों में से एक है; 'छूट' दूसरी है। इसके अलावा, धारा 80-ओ 1961 के अधिनियम में प्रोत्साहन से संबंधित प्रावधानों में से केवल एक है; और यहां तक कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने या बचाने के लिए प्रोत्साहन के संबंध में, अधिनियम में धारा 80 एचएचसी सहित अन्य प्रावधान हैं, जिसके तहत अपीलार्थी वास्तव में मूल्यांकन वर्ष से पहले लाभ ले रहा था।

19. विविध प्रावधानों पर अनावश्यक रूप से विस्तार किए बिना

विभिन्न प्रोत्साहनों से निपटने के लिए, यह ध्यान रखना पर्याप्त होगा कि प्रस्ताव कि प्रोत्साहन प्रावधानों को "उदार" प्राप्त होना चाहिए

जोरदार, किसी भी समान की व्याख्या और अनुप्रयोग पर लागू होगा छूट, कटौती, छूट आदि के लिए कराधान कानूनों में प्रस्ताव। , जो सभी अनिवार्य रूप से द्वारा दिए गए कर प्रोत्साहन का रूप हैं

सरकार किसी विशेष गतिविधि को उकसाने या प्रोत्साहित करने या समर्थन करने के लिए।

20. संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांत, जब

और यदि कटौती खंड में कोई अस्पष्टता है, तो यह इस परिणाम के साथ सख्त व्याख्या के अधीन है कि इस तरह की अस्पष्टता का लाभ निर्धारिती द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसकी व्याख्या राजस्व के पक्ष में की जाएगी। दिलीप कुमार एंड कंपनी (ऊपर) में संविधान पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए, बेबी में सामान्यीकृत टिप्पणियां समुद्री निर्यात (ऊपर) कुछ अन्य निर्णयों के संदर्भ में, कि

1 5 15 जैसा कि इस न्यायालय ने लिबर्टी इंडिया बनाम में संक्षिप्त रूप से कहा है। सी. आई. टी.: (2009) 9 एस. सी. सी. 328,1961 का अधिनियम मोटे तौर पर दो प्रकार के कर प्रोत्साहन प्रदान करता है, अर्थात् निवेश से जुड़े प्रोत्साहन और लाभ से जुड़े प्रोत्साहन। अध्याय VI-A जो कर कटौती के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करता है, अनिवार्य रूप से "लाभ से जुड़े प्रोत्साहन" की श्रेणी से संबंधित है। 339)। 1 6 16 बेशक, अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं जैसे कि व्यक्तियों के किसी विशेष वर्ग का समर्थन करना, जैसे कि अधिनियम की धारा 80 टीटीबी (वरिष्ठ नागरिक के मामले में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती के लिए) या अधिनियम की धारा 80 यू (भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति के मामले में कटौती के लिए)।

कर प्रोत्साहन प्रावधान को उदार व्याख्या प्राप्त होनी चाहिए, इसे कानून का एक ठोस बयान नहीं माना जा सकता है; बल्कि लागू होने वाले सिद्धांत

वुड पेपर्स लिमिटेड (उपर्युक्त) में उल्लिखित होंगे, जिन्हें संविधान पीठ द्वारा सटीक रूप से अनुमोदित किया गया है। इस प्रकार, कटौती का दावा करने के लिए पात्रता का पता लगाने के चरण पर और तब तक, इसकी प्रयोज्यता के उद्देश्य के लिए प्रावधान के दायरे और दायरे का विस्तार या विस्तार नहीं किया जा सकता है और यह सख्त व्याख्या के अधीन रहता है, लेकिन एक बार पात्रता होने पर।

इस तरह की कटौती का दावा करने वाले व्यक्ति के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो इसे अन्य आवश्यकताओं के संबंध में उदारता से समझा जा सकता है, जो औपचारिक या प्रकृति में निर्देशिका हो सकती हैं।

21. जैसा कि देखा गया है, अधिनियम की धारा 80-ओ का एक अनूठा उद्देश्य है और

इसलिए, इसकी अपनी विशेषताएँ हैं। धारा 80-ओ के तहत कटौती के दावे के उद्देश्य से जांच के लिए उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करना।

वर्तमान मामले में लागू होने वाला अधिनियम, स्पष्ट रूप से यह है कि पात्रता के उद्देश्य के लिए, सेवा या गतिविधि को अपने स्पष्टीकरण के साथ पढ़े गए प्रावधान द्वारा जो परिकल्पना की गई है, उसके अनुरूप होना चाहिए; और परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा आदि प्राप्त करने की अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाना है। उस चरण को पार करने और कोई विशेष गतिविधि धारा 80-ओ के दायरे में आने के बाद ही यह प्रावधान पूरी ताकत के साथ लागू होगा और इसे उदारता से लागू किया जा सकता है। इसलिए, मूल प्रश्न यह रहेगा कि क्या अपीलार्थी की सुझाई गई गतिविधि भारत से विदेश में अपने प्राचार्यों को ऐसी सेवा प्रदान करने की थी। जो प्रावधान द्वारा दिए गए विवरण का उत्तर देता है। जहाँ तक इस जांच का संबंध है, किसी भी उदार दृष्टिकोण की परिकल्पना नहीं की गई है। गतिविधि को अधिनियम की धारा 80-ओ की आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करना चाहिए।

22. इस मोड़ पर, हम निर्णय के संदर्भ में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियों के एक खंड से निपटने के लिए प्रेरित हैं।

अभिराम सिंह (ऊपर) का मामला। यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय ने 'शब्दकोश से बाहर एक किला' बनाने के खिलाफ आगाह किया है, लेकिन उच्च न्यायालय ने प्रावधान के उद्देश्य के बजाय पाठ और शब्दकोश पर बहुत अधिक भरोसा किया है। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर अपीलार्थी की ओर से आलोचना का यह हिस्सा पूरी तरह से अनुचित और अनावश्यक है। अभिराम सिंह के मामले में बहुमत के दृष्टिकोण से संदर्भित टिप्पणियां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3) की व्याख्या के संबंध में हुईं, जिसका उद्देश्य चुनाव अभियान के दौरान सांप्रदायिकता की अनुचित प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना है और समाज कल्याण और नैतिकता के पूरी तरह से अलग क्षेत्रों में काम करता है।

लोकतंत्र।

रामनाथ एंड कंपनी। वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

22.1 . यह सामान्य बात है कि लिखित पाठ के निर्माण की कोई भी प्रक्रिया मुख्य रूप से उपयोग की जाने वाली सादे भाषा की समझ के साथ शुरू होती है। में। किसी वैधानिक प्रावधान को समझने की ऐसी प्रक्रिया, जिसमें उपयोग किए गए किसी भी शब्द या वाक्यांश के अर्थ को उसके स्वाभाविक, सामान्य या व्याकरणिक अर्थ में समझा जाना चाहिए, जब तक कि वह कुछ बेतुका न हो या जब तक कि क़ानून का उद्देश्य इसके विपरीत न हो। 1 7 कराधान कानून के संदर्भ में, भाषा को स्पष्ट रूप से देखने की आवश्यकता हैः

इरादे या अनुमान के लिए कोई जगह नहीं के साथ अधिक स्पष्ट। 18 1 8 इस प्रक्रिया में, यदि किसी शब्द का प्राकृतिक, साधारण या व्याकरणिक अर्थ है या

वाक्यांश निर्विवाद रूप से उपलब्ध है और क़ानून की योजना और उद्देश्य में फिट बैठता है, इसे लागू करने की आवश्यकता हो सकती है। व्याख्या के अन्य मार्गदर्शक नियम आंतरिक सहायक होंगे जैसे कि क़ानून में ही परिभाषा या व्याख्या खंड। फिर भी, यदि आंतरिक सहायक समझ को पूरा नहीं करते हैं, तो न्यायिक निर्णयों जैसे बाहरी सहायकों का सहारा लें जो इसमें उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करते हैं।

विधियों का अर्थ समान रूप से करना, या उपयोग और व्यवहार का प्रभाव

आदि, अज्ञात नहीं है; और इसी क्रम में, यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि जब किसी शब्द को अधिनियम में ही परिभाषित नहीं किया जाता है, तो उस सामान्य अर्थ का पता लगाने के लिए शब्दकोशों का उल्लेख करने की अनुमति है जिसमें शब्द को आम बोलचाल में समझा जाता है। वास्तव में, के उद्देश्य के लिए

किसी भी अभिव्यक्ति के सामान्य अर्थ को इकट्ठा करते हुए, उसके शब्दकोश का सहारा लें

17 न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों में (14 वां edn.at पी. 91) शाब्दिक निर्माण के इस प्राथमिक नियम को कई अंकों के संदर्भ में कहा गया है

निर्णय, जिसमें क्रॉफर्ड बनाम शामिल है। स्पूनरः (1846) 4 एम. आई. ए.179 इस प्रकार हैः " कानून के शब्दों को पहले उनके प्राकृतिक, साधारण या लोकप्रिय अर्थों में समझा जाता है और वाक्यांशों और वाक्यों को उनके व्याकरणिक अर्थ के अनुसार समझा जाता है, जब तक कि यह कुछ बेतुका न हो या जब तक कि कानून में कुछ न हो।

संदर्भ में, या क़ानून के उद्देश्य में इसके विपरीत सुझाव देना।

18 यहाँ पहले से ही देखे गए सिद्धांतों के अलावा, यह इंगित करना लाभदायक होगा कि कर लगाने वाले कानूनों की व्याख्या के बुनियादी सिद्धांतों को फिर से लागू किया गया है। सी. आई. टी. बनाम में इस न्यायालय द्वारा संक्षिप्त किया गया। योकोगावा इंडिया लिमिटेड : (2017) 391 आईटीआर 274 (एससी) इस प्रकार हैः

" कर लगाने वाले कानूनों की व्याख्या के प्रमुख सिद्धांत केप ब्रांडी सिंडिकेट बनाम में रॉलेट, जे. की राय के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं। अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त जो वस्तुतः लोकस क्लासिकस बन गए हैं। उपरोक्त संख्या के बावजूद विषय के किसी भी और विस्तार की आवश्यकता को समाप्त कर देगा

उपलब्ध उदाहरण जैसे कि ऐसे सभी सिद्धांतों का विकास रॉलेट, जे. की निम्नलिखित राय के चार कोनों के भीतर है। : (केप ब्रांडी मामला, के. बी पी. 71) '... एक कराधान अधिनियम में केवल उस पर ध्यान देना

होता है जो स्पष्ट रूप से कहा गया है। किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है। कर के बारे में कोई इक्विटी नहीं है। कर के बारे में कोई अनुमान नहीं है। कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है, कुछ भी निहित नहीं है।

कोई भी केवल उपयोग की गई भाषा को निष्पक्ष रूप से देख सकता है। "[2020] 6 एस. सी. आर.

अर्थ बल्कि व्याख्या के शाब्दिक नियम में अंतःस्थापित है। इस पहलू को संविधान पीठ द्वारा व्यापक रूप से उजागर और स्पष्ट किया गया था। धन आयुक्त-कर, आंध्र प्रदेश बनाम के मामले में न्यायालय। प्रभारी अधिकारी (कोर्ट ऑफ वार्ड), पैगाहः (1976) 105 आई. टी. आर. 133 निम्नानुसार (पी. आई. टी. आर. का 137):

" 8. यह सच है कि राजा बिनॉय कुमार साहस रॉय के मामले में: [1957]

32 आई. टी. आर. 466 (एस. सी.) इस अदालत ने बताया कि शब्दों के अर्थ

संसद के अधिनियमों में उपयोग किया जाना आवश्यक रूप से एकत्र नहीं किया जाना चाहिए शब्दकोशों से जो संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं

मतलब होना चाहिए। फिर भी, वहाँ यह भी संकेत दिया गया था कि

जहाँ भरोसा करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है, शब्दकोश हो सकते हैं

अस्पष्टता को हल करने के लिए एक सहायता के रूप में उपयोग किया जाता है। साधारण शब्दकोश

अर्थ को केवल इसलिए त्याग नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह दिया गया है एक शब्दकोश। ऐसा करना शाब्दिक नियम को नष्ट करना होगा।

शब्दकोश का अर्थ है जो, कुछ अधिस्थापक के अभाव में या प्रस्थान को उचित ठहराने के लिए विशेष कारण होने चाहिए। ..... 99 '

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

22.2 . वर्तमान मामले की व्यवस्था में, एक उचित समझ के लिए

धारा 80-ओ और स्पष्टीकरण (iii) के प्रासंगिक प्रावधान की विषय-वस्तु और पाठ, जो धारा के सूक्ष्म अंतर को भी दर्शाते हैं।

"भारत से" और "भारत में" अभिव्यक्तियाँ, शाब्दिक शब्दार्थ का सहारा लेना अपरिहार्य रहा है। हालांकि, पूरी निष्पक्षता के साथ, उच्च न्यायालय ने न केवल शब्दार्थ और शब्दकोश के अर्थों पर चर्चा की है, बल्कि अधिनियम की धारा 80-0 के उद्देश्य और उद्देश्य को समान रूप से देखा है। इसलिए, इस मुद्दे पर और विस्तार किए बिना, वर्तमान उद्देश्य के लिए यह कहना पर्याप्त है कि अभिराम सिंह (ऊपर) में निर्णय के संदर्भ में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण के खिलाफ प्रस्तुतियाँ अपीलार्थी के कारण को आगे नहीं बढ़ाती हैं।

अधिनियम की धारा 80-ओ की व्याख्या और अनुप्रयोग

1961 निर्दिष्ट निर्णयों में

23. इस प्रकार लागू प्रावधान को ध्यान में रखते हुए

इसकी व्याख्या के लिए सिद्धांत, अब हम उन प्रासंगिक निर्णयों पर ध्यान दे सकते हैं जिनमें अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती के दावे पर अदालतों द्वारा दी गई तथ्य स्थितियों और विशेष परिस्थितियों में विचार किया गया है।

जे. बी. बोडा एंड कंपनी

रामनाथ एंड कंपनी। वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

24. जे. बी. बोड़ा एंड कंपनी (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय बल्कि उनकी ओर से आग्रह किए गए तर्कों का मुख्य आधार रहा है। अपीलार्थी।

24.1 . जे. बी. बोडा एंड कंपनी के मामले में, अपीलार्थी को नियुक्त किया गया था

पुनर्बीमा दलाल के रूप में दलाली व्यवसाय में। अपीलार्थी विभिन्न पुनर्बीमा कंपनियों के साथ जोखिम के एक हिस्से के पुनर्बीमे की व्यवस्था कर रहा था या तो सीधे या विदेशी दलालों के माध्यम से, जिसके खिलाफ उसे विदेशी कंपनियों द्वारा प्राप्त प्रीमियम का एक प्रतिशत दलाली के अपने हिस्से के रूप में प्राप्त हो रहा था। पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में, अपीलार्थी ने मेसर्स सेडगविक ऑफशोर रिसोर्सेज लिमिटेड से संपर्क किया। (लंदन दलाल) और इसमें शामिल जोखिम आदि के बारे में सभी विवरण प्रस्तुत किए, और असाइनमेंट के बारे में पुष्टि अपीलार्थी को सूचित की गई। इसके बाद, भारतीय समर्पण कंपनी ने आगे के संचरण के लिए अपीलार्थी को विदेशी पुनर्बीमा कंपनी को उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को सौंप दिया। अपीलार्थी ने बाद में देय राशि दिखाते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क किया

अपनी दलाली राशि की कटौती; और दलाली की इस राशि को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 9 में निहित प्रावधान के संदर्भ में संबंधित विदेशी प्रेषण के बिना परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा की रसीद होने का दावा किया गया था। हालाँकि, प्रत्यर्थी राजस्व ने यह रुख अपनाया कि अपीलार्थी के समझौतों को अधिनियम की धारा 80-ओ के उद्देश्य के लिए अनुमोदित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आय भारत में उत्पन्न हुई है और विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं हुई है। इसे निर्धारिती द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष असफल रूप से चुनौती दी गई थी और इसलिए, मामला इस न्यायालय के समक्ष अपील में था।

24.2 . यह तुरंत स्पष्ट है कि जे. बी. बोड़ा एंड कंपनी में, सवाल यह है कि क्या निर्धारिती द्वारा इसके बदले में प्राप्त विदेशी मुद्रा

विदेशी कंपनी को दी जाने वाली सेवाएं अधिनियम की धारा 80-0 के तहत कटौती के लिए पात्र थीं या नहीं, यहां तक कि उत्पन्न भी नहीं हुईं। ऐसा इस तथ्य के कारण था कि वास्तव में, निर्धारिती की गतिविधि को सीबीडीटी द्वारा अपने परिपत्र संख्या 731 दिनांक 1 में अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती के लिए पात्र होने के लिए स्वीकार किया गया था और निर्धारिती द्वारा राशि प्राप्त करने की विधि से संबंधित राजस्व द्वारा निर्धारिती के खिलाफ एकमात्र मुद्दा उठाया जाना चाहा गया था। उक्त परिपत्र में, राजस्व द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि 'भारत में एक पुनर्बीमा एजेंट द्वारा विदेशी प्राचार्यों को प्रेषण से पहले सकल प्रीमियम से दलाली की प्राप्ति भी अधिनियम की धारा 80-0 के तहत कटौती की हकदार होगी'। इस न्यायालय ने उक्त परिपत्र दिनांक 20.04.1995 और दो पैराग्राफ [2020] 6 एस. सी. आर. की सामग्री को नोट किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसमें इस न्यायालय द्वारा दिए गए जोर के साथ उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। आई. टी. आर. का 280):

" सिरकुलर नं. 731 DATED 20-12-1995

***

***

*

**

2. पुनर्बीमा दलाल, जो प्राचार्यों की ओर से भारत में काम कर रहे हैं

जहाज को समर्पण से पुनर्बीमा प्रीमियम एकत्र करने की आवश्यकता होती है भारत में बीमा कंपनियाँ और इसे अपने प्रधानाचारियों को भेजती हैं।

ऐसे मामलों में दलालों को अनुमति देकर दलाली का भुगतान किया जा सकता है।

उनके दलाली को एकत्र किए गए सकल प्रीमियम से काटने के लिए

या वे बस सकल प्रीमियम भेज सकते हैं और अपनी राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं। बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्रेषण के रूप में दलाली।

***

***

*

**

4. इस मामले की जांच की गई है। कटौती की शर्त धारा 80-ओ के तहत यह है कि रसीद परिवर्तनीय होनी चाहिए

विदेशी मुद्रा। जब कमीशन जहाज पर प्रेषित किया जाता है, तो यह ऐसी मुद्रा में होना चाहिए जिसे परिवर्तनीय विदेशी माना जाता है

FERA के अनुसार विनिमय करें। बोर्ड का विचार है कि

ऐसे मामलों में एक पुनर्बीमा एजेंट द्वारा दलाली की प्राप्ति

अपने विदेश में प्रेषण से पहले सकल प्रीमियम से भारत प्रधानाचार्य भी धारा के तहत कटौती के हकदार होंगे।

80-0 अधिनियम "।

(मूल में इटैलिक में जोर)

24.2. 1 . इस न्यायालय ने उक्त परिपत्र को राजस्व पर बाध्यकारी पाया और

विदेशी पुनर्बीमाकर्ता को औपचारिक प्रेषण और उनसे कमीशन प्राप्त करने पर राजस्व के आग्रह को भी व्यर्थ पाया गया। इस न्यायालय ने कहा कि इस तरह का "दोतरफा व्यापार" अनावश्यक था क्योंकि अंत में, आय भारत में वैध और अनुमेय तरीके से विदेशी मुद्रा में उत्पन्न हुई थी। इसलिए, इस न्यायालय ने राजस्व के रुख को अस्वीकार करते हुए इस मामले पर निष्कर्ष निकाला (पी। आई. टी. आर. का 281):

" इस मामले में सामने आए तथ्य स्पष्ट हैं कि कैसे

विदेशी पुनर्बीमा कंपनी को प्रेषण इसके माध्यम से किया जाता है

समझौते के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक

अपीलार्थी और विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के बीच, और कि

अनुलग्नक "ए" के साथ दाखिल प्रेषण विवरण जो रामनाथ एंड सी. ओ. है।

वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

इस मामले के तथ्यों पर औपचारिकता और एक अर्थहीन अनुष्ठान। लेन-देन की प्रकृति के अवलोकन पर और विशेष रूप से लेन-देन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक में दाखिल प्रेषण का विवरण, हम प्रतिवादी के इस विचार को बनाए रखने में असमर्थ हैं कि समझौते के तहत आय भारत में उत्पन्न होती है या यह राशि परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं होती है। हमारा विचार है कि आय भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित प्रमुख संस्थान के माध्यम से वैध और अनुमेय तरीके से प्राप्त की जाती है। इस दृष्टिकोण से, हम मानते हैं कि

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की कार्यवाही दिनांक मार्च 11 , 1986 , आयकर अधिनियम की धारा 80-0 के प्रयोजनों के लिए सेडगविक ऑफशोर रिसोर्सेज लिमिटेड, लंदन के साथ अपीलार्थी के समझौतों को मंजूरी देने से इनकार करना अनुचित और अवैध है। हम ऐसा घोषित करते हैं। हम प्रत्यर्थी को प्रक्रिया करने का निर्देश देते हैं

हमारे द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में समझौते

यहाँ ऊपर। अपील की अनुमति है। इसके बारे में कोई आदेश नहीं होगा

लागत "।

24.3 . यद्यपि अपीलार्थी की ओर से यह परिश्रमपूर्वक तर्क दिया गया है कि जे. बी. बोड़ा एंड कंपनी में निर्णय मामले में निर्णायक होना चाहिए क्योंकि पुनर्बीमा दलाल के दलाली को भी अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती के लिए पात्र माना गया था, लेकिन हमें डर है कि उक्त निर्णय की प्रश्न के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं है। धारा 80-0 के प्रयोजन के लिए पुनर्बीमा दलाल की संबंधित सेवाओं की पात्रता उस में शामिल एक प्रश्न भी नहीं था। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि बीमा व्यवसाय की अपनी विशिष्टताएँ हैं जहाँ जोखिम का कारक अद्वितीय महत्व का होता है और इसमें शामिल जोखिम की कोई भी जानकारी और मूल्यांकन अपने आप में एक विशेष [2020] 6 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बीमा व्यवसाय से संबंधित कार्य। जे. बी. बोड़ा एंड कंपनी में मामले के तथ्य पत्रक में, निर्णय के प्रत्येक प्रारंभिक पैराग्राफ में, यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि भारतीय या विदेशी बीमा कंपनियों द्वारा कवर किए गए बीमा जोखिम के संबंध में, अपीलकर्ता विभिन्न पुनर्बीमे के साथ जोखिम के एक हिस्से के पुनर्बीमे की व्यवस्था कर रहा था।

कंपनियाँ या तो सीधे या विदेशी दलालों के माध्यम से। जहाँ तक लंदन में एक दलाल के साथ अपीलार्थी की सेवाओं का संबंध है, न्यायालय ने अन्य बातों के साथ उल्लेख किया कि अपीलार्थी ने जोखिम के बारे में सभी विवरण प्रस्तुत किए हैं। सम्मिलित, देय प्रीमियम, कवरेज की अवधि और

जोखिम का वह भाग जिसका पुनर्बीमा किया जाना है। उक्त निर्धारिती की गतिविधियों के अधिक विवरण में प्रवेश किए बिना, यह कहने के लिए पर्याप्त है

वर्तमान उद्देश्य के लिए कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ, जैसे कि पुनर्बीमा दलाल का कार्य तकनीकी प्रकृति का नहीं है, केवल बीमा व्यवसाय की विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जा सकता है। किसी भी मामले में, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, इस पहलू को और विस्तार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें पूरी तरह से अलग प्रश्न शामिल है और इस न्यायालय द्वारा जे. बी. बोडा एंड कंपनी में निर्णय लिया गया है।

ई. पी. डब्ल्यू. दा कोस्टा

25. जे. बी. बोड़ा एंड कंपनी के मामले के अलावा, ई. पी. डब्ल्यू. दा कोस्टा (ऊपर) में निर्णय के संदर्भ में अपीलार्थी की ओर से बहुत अधिक सहायता मांगी गई है, जो दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय था और इसके खिलाफ अपील नहीं की गई थी।

25.1 . ई. पी. डब्ल्यू. दा कोस्टा (ऊपर) के मामले के तथ्य यह थे कि ब्रिटिश प्रसारण निगम ('बी. बी. सी.') में रुचि थी। यह जानते हुए कि भारत में श्रोताओं द्वारा इसके प्रसारण को कैसे प्राप्त किया गया और इसलिए, एक जनमत सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए याचिकाकर्ता की सेवाओं को लगाया गया

ताकि याचिकाकर्ता से जानकारी एकत्र करने के बाद वह अपने कार्यक्रमों में संशोधन करे। याचिकाकर्ता द्वारा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषयों आदि की एक विस्तृत श्रृंखला के दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर विशेष आर्थिक और जनमत अनुसंधान करने के लिए बी. बी. सी. के साथ एक समझौता किया गया था। अधिनियम की धारा 80-ओ के उद्देश्य के लिए इस समझौते की मंजूरी को सीबीडीटी द्वारा अनिवार्य रूप से इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि सेवा (रेडियो सुनने की आदतों का आकलन करने के लिए हिंदी भाषी क्षेत्रों में दर्शकों के शोध अध्ययन की) भारत में प्रदान की गई थी और विदेशी पक्ष को प्रदान की गई जानकारी धारा 80-ओ द्वारा परिकल्पित प्रकार की नहीं थी।

25.2 . उक्त निर्णय में, निश्चित रूप से, धारा 80-ओ के उद्देश्य के लिए सेवाओं की प्रकृति का प्रश्न शामिल था, लेकिन, उच्च रामनाथ एंड कंपनी।

वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

न्यायालय ने सटीक रूप से पाया कि निर्धारिती की गतिविधि विशाल आंकड़ों के उचित विश्लेषण के बाद वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने की है।

संग्रहित। राजस्व की ओर से विवाद को खारिज करते हुए, न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की (पृ. आई. टी. आर. का 755):

" श्री कृपाल आगे तर्क देते हैं कि जानकारी संप्रेषित की गई थी

बी. बी. सी. को याचिकाकर्ता द्वारा केवल डेटा है और वैज्ञानिक या

व्यावसायिक ज्ञान। शायद डेटा से अलग किया जा सकता है

ज्ञान का विश्लेषण किया जाता है और समझने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। द. याचिकाकर्ता द्वारा बी. बी. सी. को दी गई जानकारी में आना चाहिए

दूसरी श्रेणी या नहीं तो बी. बी. सी. ने प्रवेश नहीं किया होगा

केवल विश्लेषण के बिना और बिना जानकारी के द्रव्यमान समझने योग्य बी. बी. सी. के लिए उपयोगी नहीं होगा। इसकी जानकारी

इसलिए, यह केवल डेटा नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक ज्ञान है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

25.3 . ई. पी. डब्ल्यू. दा कोस्टा के मामले में इस निर्णय का संदर्भ

हम भी उन्हीं कमियों से पीड़ित हैं जो हमने जे. बी. बोडा एंड कंपनी में निर्णय के संबंध में टिप्पणी की है। अपीलार्थी सुझाव देगा कि ई. पी. डब्ल्यू. दा कोस्टा के मामले में निर्धारिती केवल संकलन कर रहा था।

डेटा और इसे बी. बी. सी. को अग्रेषित करना। न्यायालय ने सटीक रूप से बताया है कि यह केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं था, बल्कि यह उसका विश्लेषण था जो मूलधन और निर्धारिती के बीच समझौते का मूल था। एक बार फिर, सांख्यिकी और सांख्यिकीय विश्लेषण विज्ञान की एक विशिष्ट शाखा का विषय है। सांख्यिकी विज्ञान के संबंध में एक विस्तृत चर्चा में निर्धारिती की गतिविधि के संदर्भ में, न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अवलोकन किया (पीपी पर। 754-755 आई. टी. आर.):

" याचिकाकर्ता श्रोताओं को प्रश्नावली जारी करता है और

प्रश्नावली के उत्तरों से एकत्र की गई जानकारी है विभिन्न सांख्यिकीय तालिकाओं के रूप में संकलित। के अनुसार

वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी, वॉल्यूम। III, सांख्यिकी

संग्रह, विश्लेषण से संबंधित एक विज्ञान है,

संख्यात्मक डेटा के द्रव्यमान की व्याख्या और प्रस्तुति

और यह गणित की एक शाखा है। ऐसा प्रतीत होता है,

इसलिए, कि याचिकाकर्ता द्वारा संकलित सांख्यिकीय तालिकाएँ

संख्यात्मक डेटा के द्रव्यमान का विश्लेषण करना वाणिज्यिक या वैज्ञानिक [2020] 6 एस. सी. आर. है।

ज्ञान जो बी. बी. सी. को उपलब्ध कराया जाता है। के लिए, शब्द "

विज्ञान 66 "भी एक बहुत ही सामान्य शब्द है। चूँकि सांख्यिकी एक विज्ञान है

वेबस्टर्स के अनुसार, यहां तक कि एक अधिक विशेष अर्थ में, सांख्यिकीय जानकारी को वैज्ञानिक ज्ञान कहा जा सकता है।

एस का अर्थ। 80 - ओ. यदि व्यावसायिक या वैज्ञानिक

ज्ञान का अर्थ अमूर्त व्याख्या तक सीमित है

वाणिज्यिक या वैज्ञानिक सिद्धांत तब केवल वाणिज्यिक पर एक पुस्तक होती है।

या वैज्ञानिक विषय को वैज्ञानिक ज्ञान माना जा सकता है। लेकिन ज्ञान सामान्य या विशिष्ट हो सकता है। इस तरह का ज्ञान

बीबीसी के उपयोग के लिए संकलित, वर्गीकृत और उपयोगी बनाया गया था

इसे व्यावसायिक या वैज्ञानिक ज्ञान भी कहा जा सकता है। बीबीसी यह एक वाणिज्यिक निगम है। इसका कार्य प्रसार करना हो सकता है।

जानकारी, लेकिन इस कार्य के निर्वहन में इसकी आवश्यकता होती है इसके प्रसारण के तरीके के बारे में वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान

अलग-अलग देशों में प्राप्त होते हैं। ऐसी अत्यधिक संगठित चिंता क्योंकि बी. बी. सी. सामान्य जानकारी से संतुष्ट नहीं होगा

भारत में इसके प्रसारण की प्राप्ति। यह होगी जानकारी

भाषाओं के अनुसार विशिष्ट, विशिष्ट और विश्लेषण करने के लिए जिसमें प्रसारण किए जाते हैं और वर्गों के अनुसार

जनता जो इस तरह के प्रसारण सुनती है। प्रवृत्ति को देखते हुए

"विज्ञान और वैज्ञानिक" शब्दों को व्यापक अर्थ दें। ज्ञान ", के अर्थ को प्रतिबंधित करना संभव नहीं होगा

ये शब्द बहुत संकीर्ण हैं। हमारे विचार में वे शामिल होंगे

उपयोग के लिए याचिकाकर्ता द्वारा संकलित सांख्यिकीय तालिकाएँ

बी. बी. सी. ने आंकड़ों के रूप में खुद को मान्यता दी है

विज्ञान के रूप में। "

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

25.4 ई. पी. डब्ल्यू. दा कोस्टा में निर्णय, फिर से, नहीं बनता है

अपीलार्थी के पक्ष में।

बी. एल. पासी 26. अपीलार्थी की ओर से दलीलों के विपरीत, निर्णय

बी. एल. पासी (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय की सीमांत पीठ ने राजस्व द्वारा दृढ़ता से भरोसा किया है, लेकिन अपीलार्थी के आधे हिस्से को इन प्रस्तुतियों के साथ अलग करने की मांग की गई है कि इसमें कोई सामग्री नहीं है।

निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हम इस मामले की भी जांच कर सकते हैं।

आवश्यक विवरण।

रामनाथ एंड कंपनी। वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

26.1 . बी. एल. पासी में मामले के प्रासंगिक तथ्य यह थे कि एक जापानी उद्यम, सुमितोमो कॉर्पोरेशन, जापान, भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माताओं को शरीर के अंगों के निर्माण के लिए डाई की आपूर्ति करने में रुचि रखता था और अपीलार्थी (जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में विशाल अनुभव होने का दावा किया था) के साथ एक समझौता किया गया था, जिसके तहत अपीलार्थी को ऐसी सेवाएं प्रदान करनी थीं जिनमें औद्योगिक और वाणिज्यिक ज्ञान, बाजार के बारे में जानकारी देना शामिल था। शर्तों और ऑटोमोबाइल के भारतीय निर्माताओं और आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता भी, ताकि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में अपना व्यवसाय स्थापित करने में प्रिंसिपल की सहायता की जा सके। याचिकाकर्ता ने दावा किया

विदेशी उद्यम को दी गई ऐसी सेवाओं के कारण प्राप्त पारिश्रमिक के संदर्भ में अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती। ए. ओ. ने कटौती के लिए अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार कर दिया यह पता लगाना कि विचाराधीन सेवाएं कटौती के लिए योग्य नहीं हैं। हालाँकि, अपीलीय प्राधिकरण ने अपीलार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया लेकिन आई. टी. ए. टी. ने अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को उलट दिया और आई. टी. ए. टी. के निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया।

26.2 . आगे की अपील में, इस न्यायालय ने राजकोषीय प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पूर्व की धारा 85-सी के स्थान पर 1961 के अधिनियम में धारा 80-0 को शामिल करने की पृष्ठभूमि पर संक्षेप में ध्यान दिया।

भारतीय उद्योगों को हमारे देश के विदेशी मुद्रा को बढ़ाने और भारतीय तकनीकी ज्ञान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए नए विकासशील देशों और विदेशी कंपनियों को तकनीकी ज्ञान और तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए। तथ्यों की जांच करना

निर्धारण वर्ष 1997-98 से संबंधित मामले में, इस न्यायालय ने पाया कि हालांकि अपीलार्थी ने अपने प्रधान के साथ कई पत्रों का आदान-प्रदान किया था, लेकिन जानकारी कुछ ब्लूप्रिंट के रूप में थी और यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि ब्लूप्रिंट कैसे प्राप्त किए गए और भेजे गए थे; और इस तरह के ब्लूप्रिंट को निर्धारिती द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस न्यायालय ने यह भी पाया कि उक्त निर्धारिती को पाँच प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क प्राप्त करना था। भारत में अपने ग्राहकों को मूलधन के उत्पादों की बिक्री से योगदान करने योग्य राशि का, लेकिन फिर से, यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि कोई उत्पाद निर्धारिती द्वारा आपूर्ति किए गए खाके के आधार पर विकसित किया गया था या कि मूलधन निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करके उसके द्वारा विकसित किसी भी उत्पाद को बेचने में सक्षम था। इस प्रकार, इस न्यायालय ने पाया कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं थी कि विचाराधीन बिक्री निर्धारिती द्वारा जानकारी की सहायता से विकसित किसी भी उत्पाद की थी और समान रूप से, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं थी कि [2020] 6 एस. सी. आर. को देय सेवा शुल्क कैसे था।

देखें गणना की गई थी। इस न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह मत व्यक्त किया और पाया कि

(आईटीआर के पीपी 26-28 पर):

अभिलिखित करें कि अपीलार्थी द्वारा भेजी गई प्रमुख जानकारी सुमितोमो निगम के लिए ब्लूप्रिंट के रूप में था

दरवाजों पर मुहर लगाने के लिए डाई का निर्माण। कई पत्र थे

पक्षों के बीच आदान-प्रदान किया गया लेकिन रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है

यह खाका कैसे प्राप्त किया गया और उपरोक्त को भेजा गया

कंपनी। अभिलेख पर यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने ऐसा नहीं किया है सुमितोमो को भेजे गए खाके की प्रति प्रस्तुत की

आय-कर अधिनियम की धारा 80-0 के उत्पादन को अनिवार्य करती है दस्तावेज़ जिसके संबंध में राहत मांगी गई है। इसलिए हम,

जाँच करनी होगी कि क्या सेवाओं के रूप में प्रदान की गई है

अपीलार्थी द्वारा प्रदत्त खाका और जानकारी इसके अंतर्गत आती है। आय-कर अधिनियम की धारा 80-ओ की सीमा या इनमें से कोई भी

निर्धारिती को हकदार बनाने के लिए उसमें निर्धारित शर्तें - दावा कटौती।

***

***

*** अपीलार्थी द्वारा निगम को उपलब्ध कराया गया खाका

अपीलार्थी द्वारा प्रदान की गई तकनीकी सहायता मानी जा सकती है।

उन परिस्थितियों में निगम को यदि

खाका अभिलेख पर उपलब्ध है। उक्त खाका नहीं था

यहां तक कि निचले अधिकारियों के सामने पेश किया गया। ऐसी स्थिति में, जब

अपीलार्थी का दावा पूरी तरह से तकनीकी पर निर्भर है

निगम को ब्लूप्रिंट के रूप में दी गई सहायता,

इसके अलावा, अपीलार्थी को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के संबंध में 25 जनवरी के पत्र के संदर्भ में प्रदान की गई सेवाओं के लिए,

1995 , यह विशेष रूप से संदर्भित किया गया है कि पारिश्रमिक होगा

आपूर्ति की गई वाणिज्यिक और औद्योगिक जानकारी के लिए देय होगा

केवल तभी जब अपीलार्थी के परिणामों द्वारा तैयार की गई व्यावसायिक योजनाएँ

सकारात्मक रूप से। सुमितोमो निगम पास्को इंटरनेशनल को भुगतान करेगा

सेवा शुल्क 5 प्रतिशत के बराबर है। अनुबंध राशि ए. एम. एन. ए. टी. एच. एंड सी. ओ.

वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

सुमितोमो और भारत में उसके ग्राहकों के बीच इसकी बिक्री पर उत्पाद इस तरह से विकसित किए गए। उपरोक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट है

कि अपीलार्थी 5 की दर से सेवा शुल्क का हकदार था

प्रतिशत। सुमितोमो निगम के बीच संविदात्मक राशि

और भारत में इसके ग्राहकों ने अपने उत्पादों की बिक्री पर इस तरह से विकास किया

सुमितोमो निगम किसी भी उत्पाद को बेचने में सक्षम था। इसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करके विकसित किया गया

अपीलार्थी। इसका मतलब है कि अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है

सुमितोमो निगम द्वारा की गई बिक्री को साबित करने के लिए

विकसित किसी भी उत्पाद के संबंध में भारत में ग्राहक

अपीलार्थी की जानकारी की सहायता और उस पर भी

संगणित। पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम विचार कर रहे हैं

राय है कि मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में,

विदेशी कंपनी, के अर्थ के भीतर तकनीकी सेवाएं नहीं हैं आय -कर अधिनियम की धारा 80-0। अपीलार्थी असफल रहा

साबित करें कि उन्होंने सुमितोमो को तकनीकी सेवाएं प्रदान कीं

निगम और यह साबित करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज भी

निगम द्वारा उसे कथित भुगतान के लिए आधार। द.

पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्रों के लिए दावा नहीं किया जा सकता है

आयकर अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती प्राप्त करना।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

26.3 . बी. एल. पासी (ऊपर) का मामला ऐसा नहीं था जहाँ

हिंग बिल्कुल भी रिकॉर्ड में था। वास्तव में निर्धारिती द्वारा आदान-प्रदान किए गए पत्र

एच प्रिंसिपल रिकॉर्ड में थे, लेकिन जानकारी का मूल जो था

निर्धारिती द्वारा विदेशी कंपनी को नियमित रूप से आपूर्ति नहीं की गई थी

नष्ट कर दिया, और न ही यह दिखाया गया कि उस जानकारी का उपयोग कैसे किया गया था

विदेशी कंपनी और आगे, यह भी नहीं दिखाया गया था कि कैसे

निर्धारिती को देय उप-शुल्कों की गणना तब की जाती थी जब

विदेशी कंपनी द्वारा की जाने वाली बिक्री के आधार पर भुगतान।

महत्वपूर्ण तथ्य और कारक सीधे अधिनियम की धारा 80-ओ की आवश्यकताओं के साथ सह-संबंधित हैं; और निर्धारिती के पूरा करने में विफल रहने पर

आवश्यकतानुसार, धारा 80-0 के तहत कटौती का दावा विफल रहा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

थॉमस कुरियन

27. थॉमस कुरियन (ऊपर) एक और मामला था जहां, किसी भी विशिष्ट सामग्री की कमी के लिए गतिविधि/सेवा को जोड़ने के लिए धारा 80-ओ के साथ निर्धारिती को निम्नलिखित रूप में निर्यात के उद्देश्य के लिए केवल एक निरीक्षक या प्रमाणक माना गया थाः

" 6. उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने पर हम जो देखते हैं वह यह है कि निर्धारिती की सेवा निश्चित रूप से पेशेवर सेवाएँ हैं जो अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आती हैं। हालांकि, धारा 80 ओ के तहत कटौती की पात्रता के लिए दो शर्तों को पूरा करना होगा, पहला यह है कि सेवा भारत के बाहर प्रदान की जानी चाहिए और दूसरा यह है कि ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाना चाहिए। इस मामले में केवल एक शर्त पूरी की जाती है, अर्थात परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्रतिफल की प्राप्ति और जहां तक सेवा प्रदान करने का संबंध है, पूरी सेवा निर्धारिती द्वारा भारत में प्रदान की जाती है और कोई भी सेवा भारत के बाहर प्रदान नहीं की जाती है। निर्यातक माल भेजता है।

केवल निर्धारिती के योग्यता प्रमाण पत्र के साथ ताकि विदेशी खरीदार माल को अस्वीकार न कर सके। हमारे विचार में विदेशी खरीदारों के साथ निर्धारिती का संवाद बाहर सेवा प्रदान करने के बराबर नहीं है।

भारत "।

कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

28. जैसा कि देखा गया है, वर्तमान मामले में, सबसे पहले, निर्धारण अधिकारी ने प्रश्नगत मूल्यांकन पर विचार करते हुए यह मुद्दा उठाया।

महाद्वीपीय निर्माण (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय में व्याख्याओं के संदर्भ में अपीलार्थी से प्रश्न और स्पष्टीकरण मांगे गए। फिर, उच्च न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय में यह भी देखा है कि यह उन निर्णयों में से एक था जिन पर निर्धारिती के विद्वान वकील ने भरोसा किया था। हमारे समक्ष राजस्व की ओर से उत्तर प्रस्तुतियों में एक टिप्पणी की गई है कि अपीलार्थी ने इस निर्णय पर इस कारण से निर्भरता छोड़ दी है कि अनुपात अनिवार्य रूप से अपीलार्थी के खिलाफ काम करता है। अपीलार्थी की ओर से प्रतिक्रिया यह रही है कि राजस्व द्वारा इस निर्णय का संदर्भ पूरी तरह से अनावश्यक था क्योंकि उस पर भरोसा नहीं किया जा रहा था। गौर करने की जरूरत नहीं है। कि यह इस न्यायालय का निर्णय होने के कारण, उससे उत्पन्न होने वाले अनुपात और सिद्धांत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, चाहे वह अपीलार्थी द्वारा निर्भर किया गया हो या नहीं। इसके अलावा, उक्त निर्णय इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया है और इसमें एक बाध्यकारी मिसाल का बल है। रामनाथ एंड कंपनी को ध्यान में रखते हुए।

वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

महाद्वीपीय निर्माण (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में प्रस्तुतियाँ और उठाए गए प्रश्न हैं - अपरिहार्य है।

28.1 संक्षेप में कहें तो महाद्वीपीय निर्माण में मामले के प्रासंगिक तथ्यात्मक पहलू यह थे कि निर्धारिती एक नागरिक था।

निर्माण कंपनी जिसने विदेशों और भारत में बड़ी संख्या में परियोजनाओं को निष्पादित किया था। निर्धारिती ने अन्य बातों के साथ-साथ लीबिया में एक बांध और सिंचाई परियोजना, इराक में अबू सुखैर में एक फाइबर बोर्ड कारखाने और बगदाद में विशाल कारख जल आपूर्ति परियोजना के निर्माण के लिए आठ अनुबंध किए। इन अनुबंधों के लिए, निर्धारिती ने धारा 80-ओ के संदर्भ में सीबीडीटी की मंजूरी प्राप्त की। कटौती के अपने दावे में, विभिन्न मूल्यांकन वर्षों से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे, जिनमें सीबीडीटी की मंजूरी की प्रयोज्यता और कटौती की प्रकृति शामिल थी।

निर्धारिती की गतिविधियों के साथ-साथ यह भी सवाल कि क्या निर्धारिती केवल अधिनियम की धारा 80 एचएचबी के तहत कटौती का दावा करने का हकदार था, न कि अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत? इस मामले में उठाए गए कई मुद्दों पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था, जिनमें से सभी पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। 28.2 . इस मामले का प्रासंगिक पहलू यह है कि महाद्वीपीय निर्माण में अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती की पात्रता के संबंध में, इस न्यायालय ने कहा कि कर या कर कटौती के लिए किसी वस्तु की पात्रता को शायद ही पार्टियों द्वारा उसे दिए गए लेबल पर निर्भर किया जा सकता है। इस प्रकार, निर्धारिती कटौती का दावा करने का हकदार नहीं था।

धारा 80-ओ कुछ प्राप्तियों के संबंध में केवल इसलिए कि वे थीं

रॉयल्टी, शुल्क या कमीशन के रूप में वर्णित; और साथ ही, वस्तु पर किसी विशिष्ट लेबल की अनुपस्थिति कटौती का दावा करने के निर्धारिती के अधिकार के लिए विनाशकारी नहीं थी। इस न्यायालय ने बताया कि धारा 80-ओ द्वारा परिकल्पित प्रकार के अनुबंध आमतौर पर बहुत जटिल होते हैं और इसमें कई दायित्व और प्रतिक्रिया शामिल होती हैं और पक्षों के लिए विचार को अलग करना और इसे विभिन्न पक्षों को विभाजित करना हमेशा संभव नहीं होता है।

सामग्री या तत्व। हालाँकि, इस न्यायालय ने बताया कि समेकित प्राप्तियाँ और प्रतिक्रियाएँ हमेशा विभाजन योग्य होती हैं। इस संदर्भ में, अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत उक्त निर्धारिती की गतिविधियों और हकदारी के संबंध में, इस न्यायालय ने कहा कि विचाराधीन अनुबंध बाध्य हैं।

निर्धारिती धारा 80-ओ के तहत उल्लिखित प्रकृति की विदेशी सरकार को जानकारी उपलब्ध कराने और सेवाएं प्रदान करने के लिए और इसलिए, यह देखना राजस्व और निर्धारिती का कर्तव्य था कि ऐसी जानकारी और [2020] 6 एस. सी. आर. के लिए वैध रूप से देय प्रतिफल।

सी. ई. एस. को विभाजित किया जाता है और निर्धारिती को इस तरह के विचार की सीमा तक कटौती धारा 80-0 का लाभ दिया जाता है। इस न्यायालय द्वारा व्यापक रूप से निपटाए गए हस्तक्षेप के इस पहलू को उपयोगी रूप से निकाला जा सकता है। आई. टी. आर. का 119): -

" हमारे विचार में, श्री आहूजा द्वारा प्रतिपादित किसी भी प्रस्ताव को सही के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक पहले प्रस्ताव का संबंध है, हमारे लिए यह इंगित करना पर्याप्त है कि यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि किसी वस्तु की कर या कर कटौती के लिए पात्रता

पार्टियों द्वारा दिए गए लेबल पर शायद ही निर्भर किया जा सकता है। चूंकि निर्धारिती कुछ प्राप्तियों के संबंध में धारा 80-0 के तहत कटौती का दावा केवल इस आधार पर नहीं कर सकता है कि उन्हें पार्टियों के बीच अनुबंध में रॉयल्टी, शुल्क या कमीशन के रूप में वर्णित किया गया है। उसी टोकन से, एक विशिष्ट लेबल की अनुपस्थिति एक निर्धारिती के कटौती का दावा करने के अधिकार के लिए विनाशकारी नहीं हो सकती है, अगर वास्तव में, प्राप्तियों के लिए विचार को धारा में इंगित स्रोतों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दूसरा प्रस्ताव भी उतना ही असमर्थनीय है। धारा 80-0 द्वारा परिकल्पित प्रकार के अनुबंध आमतौर पर बहुत जटिल होते हैं और इसमें कई दायित्व और जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। पक्षकारों के लिए यह हमेशा संभव या सार्थक नहीं होता है कि वे विचार को विच्छेदित करें और इसे अनुबंध में शामिल विभिन्न अवयवों या तत्वों में विभाजित करें। न्यायाधिकरण और श्री आहूजा द्वारा अनुबंध की अविभाज्यता के रूप में संदर्भित मामले पूरी तरह से अलग संदर्भ में उत्पन्न हुए। आय-कर के प्रयोजनों के लिए, विभाजन का एक सिद्धांत हमेशा अलग-अलग संदर्भों में लागू किया गया है। समेकित प्राप्तियों और खर्चों को हमेशा इन संदर्भों में विभाजित करने योग्य माना गया है: (क) उनमें सम्मिलित पूँजी और राजस्व घटकों के; (ख) व्यापार और गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए देय व्यय के अंश; (ग) संचय या अनुलाभ के स्थानों के; और (घ) ऐसी प्राप्तियों या भुगतानों में कृषि और गैर-कृषि तत्वों के। यह एक ऐसा बिंदु है जिसे बहुत अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है और पीपी पर इस विषय पर अंशों के तहत उद्धृत निर्णय किए गए मामलों को संदर्भित करने के लिए पर्याप्त है। 47 ,

137 , 264 , 621 और कंगा और पालखीवाला की द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स (वॉल्यूम I, आठवां संस्करण) का 677। हम हैं,

इसलिए, यह राय कि यदि, जैसा कि हमने अभिनिर्धारित किया है, वर्तमान मामले में अनुबंध निर्धारिती को जानकारी उपलब्ध कराने और विदेशी सरकार को सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य करते हैं।

धारा 80-0 में उल्लिखित, यह राजस्व का कर्तव्य है और

निर्धारिती का यह देखने का अधिकार कि प्रतिफल ने रामनाथ एंड कंपनी को भुगतान किया है।

वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

वैध रूप से इस तरह के लिए जिम्मेदार अनुबंध के तहत

के तहत उपलब्ध कटौती का लाभ दिया गया है इस तरह के विचार की सीमा तक धारा "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

28.3 . यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महाद्वीपीय निर्माण में,

इस न्यायालय ने सीबीडीटी दिनांक 23.12.1975 और 30.04.1979 के उपरोक्त परिपत्रों पर ध्यान दिया और धारा 80-ओ के तहत कटौती के दावे के संदर्भ में निर्धारण अधिकारी के कार्यों को चित्रित किया, भले ही बोर्ड द्वारा निम्नलिखित मार्ग में मंजूरी दी गई हो।

(पी पर। आई. टी. आर. का 133):

" हालाँकि, हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि हमारा निष्कर्ष स्पष्ट करता है

आवेदक पर मूल्यांकन करते समय। अधिकारी को करना होगा स्वयं को संतुष्ट करें (i) कि वह राशि जिसके संबंध में राहत दी गई है

दावा किया जाता है कि राशि सूत्र के अनुसार प्राप्त की जाती है, निर्धारिती के आवेदन में बताए गए सिद्धांत या आधार और

जिस आधार पर छूट के लिए आवेदन मांगा गया था और बोर्ड द्वारा प्रदत्त; (iii) कि रसीदें (1975 से पहले)

संशोधन) एक लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया था या कि,

इसके बाद, राशि भारत में प्राप्त या लाई गई है।

निर्दिष्ट अवधि के भीतर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में। द.

इनमें से दूसरा कार्य विशेष रूप से अनुमोदन के रूप में महत्वपूर्ण है।

प्रत्येक मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए आंकड़े। न ही "के अनुसार और उसके अधीन" शब्दों का परिचय

इन धाराओं के प्रावधान और न ही उल्लिखित विभिन्न शर्तें

अनुमोदन पत्र में कुछ भी जोड़ें या कुछ भी अलग करें

अनुमोदन का दायरा "।

28.4 . उक्त निर्णय से तुरंत कुछ पहलू सामने आते हैं -

महाद्वीपीय निर्माण कि उस समय मौजूद अधिनियम की धारा 80 ओ के प्रावधानों के तहत भी, जिसके तहत कटौती का दावा करने के लिए सीबीडीटी की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता थी, इस न्यायालय ने रेखांकित

किया कि कटौती केवल धारा 80-ओ द्वारा परिकल्पित जानकारी और सेवाओं के लिए जिम्मेदार विचार के संबंध में उपलब्ध होगी और कटौती इस तरह के विचार की सीमा तक दी जाएगी; और ये सभी पहलू [2020] 6 एस. सी. आर.

करते समय निर्धारण अधिकारी द्वारा जाँच की जानी थी

मूल्यांकन।

खुर्शीद अनवर

29. विवादित फैसले में खुर्शीद अनवर (ऊपर) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर भी ध्यान दिया गया है। इसमें भी, अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती के दावे को आवश्यक सामग्री के अभाव में अस्वीकार कर दिया गया था, जबकि यह देखते हुए कि लाभ

धारा 80-ओ का दावा केवल उसी के लिए पूछकर नहीं किया जा सकता है; इसे अपेक्षित रिकॉर्ड के साथ प्रमाणित किया जाना है। उक्त मामले में, निर्धारण अधिकारी के प्रश्न पर, निर्धारिती ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया था लेकिन

अधिनियम की धारा 80-0 के चारों कोनों के भीतर मामले को लाने के लिए सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सके। उच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार अवलोकन किया (पृ. आई. टी. आर. का 474):

" उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में,

निर्धारिती ने कटौती के लिए अपने दावे को स्थापित नहीं किया है

प्रासंगिक अभिलेख प्रस्तुत करते हुए, न्यायाधिकरण ने आय-कर आयुक्त (अपील) के इस आधार पर दिए गए निष्कर्ष को उलटने में गलती की है कि निर्धारिती इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लाभ का हकदार नहीं था कि निर्धारिती द्वारा प्राप्त कमीशन आय-कर आयुक्त (अपील) के आदेश के पैरा 4 में उल्लिखित किसी भी गतिविधि के लिए नहीं था। न्यायाधिकरण द्वारा उक्त निष्कर्ष को उलटने का कोई कारण नहीं है। हमें यहां यह भी उल्लेख करना चाहिए कि दलीलों के दौरान, जैसा कि हमने पाया कि दावे के लिए कोई सहायक सामग्री नहीं थी, हमने निर्धारिती के वकील को हमारे अवलोकन के लिए उपलब्ध सामग्री, यदि कोई हो, पेश करने का निर्देश दिया। निर्धारिती के विद्वान वकील ने हालांकि 28 मार्च, 1998 को निर्धारिती का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था, लेकिन वह उक्त पत्र में की गई किसी भी दलील को बनाए रखने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत करने में असमर्थ थे। यह दिखाने के लिए किसी भी सामग्री के अभाव में कि विदेशी उद्यम को जो दिया गया था वह वाणिज्यिक या तकनीकी या वैज्ञानिक सहायता से संबंधित जानकारी थी, केवल इसलिए कि निर्धारिती और विदेशी उद्यम के बीच एक समझौता किया गया है, हम अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती के दावे को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार, कानून के दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के खिलाफ दिया जाता है। कर मामले की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। कोई लागत नहीं। "

30 .

रामनाथ एंड कंपनी। वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

30. उपरोक्त निर्णयों से, यह तुरंत हो सकता है

यह स्पष्ट किया गया है कि किसी विशेष विदेशी मुद्रा रसीद को कटौती के लिए धारा 80-ओ के दायरे में लाने के लिए, यह धारा 80-ओ द्वारा विचार की गई जानकारी और सेवा के लिए एक विचार होना चाहिए; और एक अनुबंध के मामले में जिसमें कई या बहुआयामी गतिविधियाँ और दायित्व, विदेशी मुद्रा में प्राप्त प्रत्येक प्रतिफल वास्तव में धारा 80-ओ के दायरे में नहीं आएगा। इसे प्रावधान द्वारा विचार की गई जानकारी या सेवा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और केवल विदेशी कानून के उस हिस्से के लिए।

कटौती। इस तरह की जांच निर्धारण अधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक है और इस अनिवार्य जांच के उद्देश्य से, निर्धारिती द्वारा धारा के लिए संदर्भित जानकारी/सेवा के साथ विदेशी मुद्रा रसीद को सह-संबंधित करने के लिए आवश्यक सामग्री रखी जानी चाहिए। 80 - ओ. स्पष्ट रूप से, निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसी जांच केवल तभी की जा सकती है जब यह दिखाने के लिए ठोस सामग्री रिकॉर्ड पर रखी जाए कि

आवश्यक सह-संबंध।

क्या अपीलार्थी एस. के अधीन दावा कटौती का हकदार है।

80-0

31. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, विदेशी संस्थाओं के साथ अपीलार्थी के समझौते मुख्य रूप से दर्शाते हैं कि अपीलार्थी

निरीक्षण; विदेशी प्रधानों को समुद्री खाद्य आपूर्ति की स्थिति और कीमतों का विश्लेषण उपलब्ध कराना; और विदेशी प्रधानों को बाजार में नवीनतम रुझानों से अवगत रखना और कीमतों को बातचीत और अंतिम रूप देना। समझौतों के अनुसार, ऐसी सेवाओं के बदले, अपीलार्थी को चालान राशि पर सहमत कमीशन प्राप्त करना था। 32. जे. बी. बोडा एंड कंपनी (प्रस्तावित बीमा/पुनर्बीमा से संबंधित जोखिम कारक पर सलाह देना) और ई. पी. डब्ल्यू. दा कोस्टा (बीमा के सांख्यिकीय विश्लेषण से संबंधित) के मामलों में जो देखा गया है, उसके विपरीत।

एकत्रित डेटा), अपीलार्थी की गतिविधियों/सेवाओं के संबंध में जो पता चलता है वह यह है कि अपीलार्थी अनिवार्य रूप से उचित पैकिंग में और प्रधानाचार्यों की संतुष्टि के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाले माल की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए था। यह अनिवार्य रूप से एक खरीद एजेंट का काम रहा है। हालांकि अभिव्यक्तियों की विशेषज्ञ जानकारी [2020] 6 एस. सी. आर.

33. यदि अपीलार्थी की सेवाओं की प्रकृति के बारे में अभी तक कोई संदेह बना हुआ है, तो इसे प्रभावी रूप से पूर्वनिर्धारित खंडों द्वारा शांत किया जाता है। विचाराधीन समझौते। हम संदर्भित समझौतों में डिफ़ॉल्ट खंडों को फिर से लिख सकते हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

" अनुच्छेद 4: होको आर. सी. को भुगतान करता है-सी एंड एफ आधार पर चालान राशि का सी. एन. 0.7% और कमीशन के रूप में प्रति माह यू. एस. $2,000.00। जब जापान में निरीक्षण के बाद माल की गुणवत्ता होको के लिए असंतोषजनक पाई जाती है, तो होको की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एजेंट शुल्क का भुगतान करें। "

GELAZURE, भुगतान के संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अभिकर्ता के शुल्क से "। रामनाथ एंड कंपनी।

वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

33.1 . दोनों समझौतों में, डिफ़ॉल्ट खंड यह स्पष्ट करते हैं कि यदि माल की गुणवत्ता असंतोषजनक पाई गई थी

अपने-अपने देशों में निरीक्षण के बाद प्रधानाचार्यों के पास एजेंट की फीस का भुगतान करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यदि यह अपीलार्थी द्वारा कुछ तकनीकी या भौतिक जानकारी प्रस्तुत करने का मामला था

जिसके लिए निर्णय लेने में विदेशी उद्यमों की सेवा की

खरीद, सामान्य परिस्थितियों में, ऐसी सेवा के पूरा होने और विदेशी उद्यमों द्वारा इसके उपयोग के बाद, अपीलार्थी को ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पेशेवर सेवा शुल्क प्राप्त होने की संभावना थी, लेकिन इसके विपरीत और इसके विपरीत, समझौतों में मूल के असंतुष्ट होने की स्थिति में अपीलार्थी को कोई भुगतान नहीं करने का प्रावधान है।

सामान। ये पूर्वनिर्धारित खंड अपीलार्थी के मामले को प्रभावी रूप से ध्वस्त कर देते हैं और राजस्व की प्रस्तुतियों को मजबूत करते हैं कि अपीलार्थी केवल एक खरीद एजेंट था और इससे अधिक कुछ नहीं। 34. इस मामले को एक और कोण से देखा जा सकता है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के अंतिम पैराग्राफ में संकेत दिया है। अगर ऐसा है तो

मान लिया कि समझौतों में उल्लिखित विभिन्न कार्यों में से, उनमें से कुछ में ऐसी सेवाएं शामिल थीं जो आवश्यकताओं का जवाब देती थीं

उसके द्वारा दिया गया था और विदेशी उद्यमों द्वारा इसका उपयोग कैसे किया गया था; और विदेशी मुद्रा रसीद का कितना हिस्सा था ऐसी विशेष सेवा के लिए जिम्मेदार। जाहिर है, अपीलार्थी ने इस तरह के विवरण नहीं दिए। जैसा कि देखा गया है, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील से एक स्पष्ट प्रश्न किया कि क्या सभी

समझौते में उल्लिखित सेवाएं इसके दायरे में आएंगी -

धारा 80-ओ। अपीलार्थी की ओर से इस प्रश्न का गूढ़ जवाब यह था कि 'यदि सेवाओं का प्राप्तकर्ता बाहर स्थित है, तो समझौते के संदर्भ में निर्धारिती द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं आती हैं। प्रावधान के दायरे में '। यह विशेष रूप से प्रतिवाद किया गया था

अपीलार्थी की ओर से यह स्थापित करना कि 'उसकी कौन सी सेवा कटौती के लिए योग्य है, इसका कोई परिणाम नहीं है, बल्कि अनावश्यक है'। हमारे विचार में, यह प्रतिक्रिया अधिनियम की धारा 80-0 की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा महाद्वीपीय निर्माण और बी. एल. पासी (ऊपर) में समझाया और लागू किया गया था, जैसा कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा खुर्शीद अनवर (ऊपर) में भी लागू किया गया था। बल्कि, यह रुख, हमारे विचार में, अपीलार्थी के मामले पर अंतिम पर्दा डालता है क्योंकि विचाराधीन समझौतों में अधिकांश सेवाएं आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले एजेंट की थीं;

और यदि सेवाओं का कोई हिस्सा धारा 80-0 के साथ सह-संबंधित है, तो विवरण [2020] 6 एस. सी. आर.

वे अत्यधिक महत्व के थे और मौलिक रूप से आवश्यक थे जो अपीलार्थी ने कभी प्रदान नहीं किए थे। केवल किसी विदेशी उद्यम के साथ अनुबंध करने और केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करने से अधिनियम की धारा 80-ओ लागू नहीं होती है।

35. सर्कुलर No.700 दिनांकित 23.03.1995 का प्रभाव केवल इस हद तक है कि एक बार सेवा 'भारत से' प्रदान की जाती है, भले ही विदेशी उद्यम द्वारा इसका अंतिम उपयोग भारत में हो, मामला अधिनियम की धारा 80-O से बाहर नहीं जा सकता है। यह स्पष्टीकरण प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रावधान की प्रकृति के अनुरूप है, लेकिन यह बुनियादी आवश्यकताओं को समाप्त नहीं करता है कि धारा 80-0 के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, सेवा भारत से विदेशी उद्यम को प्रदान की जानी चाहिए और सेवा की प्रकृति धारा 80-ओ में वर्णित होनी चाहिए। सेवा का अंतिम उपयोग भारत में हो सकता है, जैसा कि ई. पी. डब्ल्यू. दा कोस्टा (ऊपर) के मामले और ली एंड फंग और चकियाथ एजेंसियों (ऊपर) के मामलों द्वारा दर्शाया गया है, जिन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष उद्धृत किया गया था। हालाँकि, अपीलार्थी का दावा पूर्वगामी कारणों से सीमा पर विफल हो जाता है। सर्कुलर No.700 दिनांकित 23.03.1995 इस मामले में न तो किसी आवेदन का है और न ही अपीलार्थी को किसी सहायता का है। अपीलार्थी अधिनियम की धारा 80-ओ के तहत कटौती का दावा करने का हकदार नहीं है।

36. हमने यहाँ ऊपर जिस पर चर्चा की है, वह भी स्पष्ट है।

कि अपीलीय प्राधिकरण और आई. टी. ए. टी. ने भी वर्तमान मामले को पूरी तरह से गलत कोण से देखा था। जैसा कि देखा गया है, अपीलीय प्राधिकरण ने ई. पी. डब्ल्यू. दा कोस्टा (ऊपर) में टिप्पणियों को भी नहीं समझा और यह मान लिया कि प्रत्येक जानकारी वैज्ञानिक ज्ञान है। तथ्यों पर, अपीलीय प्राधिकरण ने कहा कि भले ही विदेशी उद्यमों के एजेंट के रूप में कार्य करते हुए, अपीलकर्ता जमे हुए समुद्री खाद्य पदार्थों के स्रोतों का पता लगा रहा था, जिससे विदेशी उद्यमों को संपर्क में लाया जा रहा था समुद्री भोजन के निर्माता या संसाधक, और स्थानीय पैकर्स के साथ बातचीत; और ये गतिविधियाँ, हालांकि भारत में की गई थीं, विदेशी उद्यमों की ओर से थीं। आई. टी. ए. टी. ने यद्यपि विचाराधीन समझौतों द्वारा विचार की गई विभिन्न सेवाओं पर ध्यान दिया और यह भी कहा कि अपीलार्थी को निर्माताओं के साथ दावे का निपटान करने की आवश्यकता जैसे खंड भारत में प्रदान की जाने वाली सेवाएं हो सकती हैं, लेकिन फिर बिना किसी ठोस सामग्री के यह मान लिया कि अन्य सेवाएं

भारत से प्रस्तुत किए गए थे और उस आधार पर, विदेशी पक्ष ने अपना निर्णय लिया। यहां तक कि इस संबंध में, पूछताछ के लिए प्रासंगिक और सटीक प्रश्नों पर भी ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि यह जांच नहीं की गई थी कि विचार का कौन सा हिस्सा रामनाथ एंड कंपनी की सेवाओं के लिए जिम्मेदार था।

वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

अधिनियम की धारा 80-0 द्वारा परिकल्पित, जो भारत से प्रस्तुत की गई थी। इसलिए, अपीलीय प्राधिकरण और आई. टी. ए. टी. के निष्कर्ष, प्रासंगिक पहलुओं की अनदेखी करते हुए अप्रासंगिक विचारों पर आधारित थे।

न तो बाध्यकारी प्रकृति का और न ही मामले का निर्णायक हो सकता था। इसलिए, न तो के. रवींद्रनाथन नायर (ऊपर) में निर्णय के संदर्भ में अपीलार्थी की ओर से की गई प्रस्तुतियों पर कुछ भी निर्भर करता है और न ही इस पहलू पर आगे किसी चर्चा की आवश्यकता है।

37. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक प्रश्नों के संदर्भ में पूरे मामले का सही विश्लेषण किया है और मामले में लागू कानून पर सही तरीके से आगे बढ़ा है। विवादित निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान किया गया है।

अपीलार्थी मेसर्स लक्ष्मी एजेंसीज-2016 के एसएलपी (सिविल) No.23699 से उत्पन्न अपील।

38. इस अपील में अन्य निर्धारिती फर्म मेसर्स लक्ष्मी एजेंसीज का भी ऐसा ही दावा शामिल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भारतीय समुद्री उत्पादों के विदेशी खरीदारों को सेवाएं देने के समान व्यवसाय में लगी हुई है। आकलन वर्ष 1997-98 के लिए, यह निर्धारिती फर्म, रुपये की कुल आय घोषित करते हुए।

31,81,180 / - , धारा 80-0 के तहत Rs.21,84,302/- की कटौती का दावा किया गया है, जो रुपये की शुद्ध आय का 50 प्रतिशत है। 43,68,604 / - ऐसे विदेशी खरीदारों से प्राप्त सेवा शुल्क के लिए। 38.1 . दिनांक 31.01.2000 के मूल्यांकन आदेश में, ए. ओ. ने इस अपीलार्थी की सेवाओं के संबंध में स्पष्टीकरण का उल्लेख किया।

निम्नलिखितः

..... निर्धारिती द्वारा दायर दिनांक 22.11.1999 के विस्तृत पत्र के अनुसार उसके द्वारा विदेशी उद्यमों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैंः

के माध्यम सेः

1. जमे हुए खाद्य/समुद्री उत्पादों के क्षेत्र में वाणिज्यिक और तकनीकी ज्ञान, अनुभव और कौशल को प्रभावित करना ताकि वे अपनी नीतियां बना सकें और उनके आयात के लिए निर्णय ले सकें।

भारत से;

2. गुणवत्ता और सुनिश्चित आपूर्ति के विश्वसनीय स्रोतों का पता लगाना

जमे हुए समुद्री भोजन/समुद्री उत्पाद और निर्धारिती की विशेषज्ञ राय को संप्रेषित करें और उन्हें निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए सलाह दें

भारत से आयात के लिए;

3. विशेष रूप से ऑर्गेनोलेप्टिक/बैक्टीरियोलॉजिकल विश्लेषण और [2020] 6 एस. सी. आर. के लिए ई. आई. ए./एल्योड्स/एस. जी. एस. जैसी एजेंसियों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना।

निर्धारिती की विशेषज्ञ टिप्पणियों और सलाह के साथ निरीक्षण के परिणामों को संप्रेषित करें। यह विदेशी उद्यमों को उनके लिए उपलब्ध कई देशों से विभिन्न स्रोतों से आयात के लिए निर्णय लेने में भी सक्षम बनाता है। 4. समुद्री भोजन का पूर्ण और विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध कराना।

उपरोक्त उद्देश्य के लिए स्थिति और मूल्य।

5. विदेशी खरीदारों को विनिर्माण में नवीनतम रुझानों/प्रक्रिया अनुप्रयोगों और सभी मूल्यवान वाणिज्यिक और आर्थिक जानकारी के बारे में सलाह देना और उन्हें सूचित करना जो प्रत्यक्ष रूप से और अधिक उपयोगी हो।

अप्रत्यक्ष रूप से भारत से अपने आयात व्यवसाय को व्यवस्थित करने, विकसित करने, नियंत्रित करने में उनकी सहायता करें। 6. भारतीय समुद्री उत्पादों के लिए बातचीत करने और कीमतों को अंतिम रूप देने में विदेशी खरीदारों की सहायता करना और उन्हें सभी नियमों और विनियमों के बारे में सलाह देना।

और इस तरह के आयात के लिए अन्य संबंधित जानकारी।

इस अपीलार्थी के मामले में, फिर से, ए. ओ. का विचार था कि सेवाएं भारत में प्रदान की जाती थीं और ऐसी सेवाओं के संबंध में विदेशी उद्यमों को प्राप्त सेवा शुल्क योग्य नहीं थे।धारा 80-ओ के तहत शिक्षा।

38.2 . इस अपीलार्थी के मामले में, अपीलीय प्राधिकरण

विदेशी उद्यमों के साथ समझौतों की शर्तों को विस्तार से समझाया

निम्नलिखित अनुच्छेदों में इसकी सामग्री को शामिल किया गया है:

निम्नानुसार: (क) आयात के उद्देश्य से जमे हुए समुद्री खाद्य पदार्थों/समुद्री उत्पादों की गुणवत्ता और सुनिश्चित आपूर्ति के विश्वसनीय स्रोत का पता लगाना।

" एन. ई. पी. टी. यू. एन. ई. "और एन. ई. पी. टी. यू. एन. ई. को अपनी विशेषज्ञ राय और सलाह दें। (ख) 'लक्ष्मी' द्वारा प्रदान की जाने वाली उपरोक्त सेवाओं के अलावा यह ई. एल. ए./एल. एल. ओ. वाई. डी. एस./जैसी एजेंसियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध रखेगा।

एस. जी. एस. विशेष रूप से ऑर्गेनोलाटिक/एक्टेरियोलॉजिकल विश्लेषण के लिए और

अपने विशेषज्ञ के साथ निरीक्षण के परिणाम को संप्रेषित करें

टिप्पणी और सलाह।

रामनाथ एंड कंपनी। वी. आय कर आयुक्त [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

(ग) समुद्री खाद्य आपूर्ति की स्थिति और कीमतों का पूर्ण और विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध कराना।

(घ) एन. ई. पी. टी. यू. एन. ई. को सलाह देना और उन्हें विनिर्माण में नवीनतम रुझानों/प्रक्रियाओं और सभी मूल्यवान अनुप्रयोगों के बारे में सूचित करना।

बाजारों के बारे में वाणिज्यिक और आर्थिक जानकारी,

सरकारी नीतियाँ, आदान-प्रदान में उतार-चढ़ाव, बैंकिंग कानून जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से "NEPTUNE" को भारत से अपने आयात व्यवसाय को व्यवस्थित करने, नियंत्रण विकसित करने या विनियमित करने में सहायता करेंगे।

ई) जमे हुए समुद्री उत्पादों के भारत निर्यातकों के लिए कीमतों को बातचीत और अंतिम रूप देना और इस तरह के और अन्य संबंधित संवाद करना।

"NEPTUNE" को जानकारी दें।

समझौते के अनुच्छेद 4 में कहा गया हैः
" एल. ए. एक्स. एम. आई. वह सब कुछ भी करेगा जो उच्चतम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

विभिन्न चरणों में पर्यवेक्षण सहित उत्पादों की गुणवत्ता स्वच्छता और ताजगी के मानक। "

3. अन्य सिद्धांतों के साथ किया गया समझौता (एसआईसी-प्रिंसिपल्स)

वे भी इसी तर्ज पर हैं।

38.3 . इस मामले में, निश्चित रूप से, अपीलीय प्राधिकरण ने संबंधित खरीदार के साथ और उसके लिए अपीलार्थी की विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान दिया और भारत में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए विदेशी उद्यमों से प्राप्त सेवा शुल्क के 20 प्रतिशत की अनुमति नहीं देते हुए, धारा 80-ओ के तहत विदेशी उद्यमों से प्राप्त ऐसे शुल्कों के 80 प्रतिशत से उत्पन्न शुद्ध आय की सीमा तक कटौती की अनुमति दी गई है।

38.4 . अपीलीय प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार पारित आदेश था

आई. टी. ए. में आई. टी. ए. टी. के समक्ष अपीलार्थी और राजस्व दोनों द्वारा चुनौती दी गई

सं. 580/कोच/2004 और आई. टी. ए. सं. 618/कोच/2004 क्रमशः। आई. टी. ए. टी. ने अन्य निर्धारिती रामनाथ एंड कंपनी (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है) के मामले में अपने पहले के निर्णय का उल्लेख किया और उसी का पालन करते हुए, अपीलार्थी की अपील को अनुमति दी और राजस्व को खारिज कर दिया और इस तरह, कुल मिलाकर कटौती के लिए अपीलार्थी के दावे को अनुमति दी।

38.5 . हालांकि, इस मामले के तथ्य पत्रक से ऐसा प्रतीत नहीं होता है

यदि इस अपीलार्थी के समझौतों में भी डिफ़ॉल्ट खंड थे जैसा कि हमने प्रमुख मामले में देखा है, लेकिन अन्य सभी प्रमुख विशेषताओं पर, समझौते एक ही प्रकृति के थे और फिर से, यह अपीलार्थी यह दिखाने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहा है कि क्या उसे कोई 800 प्राप्त हुए थे।

अधिनियम की धारा 80-ओ द्वारा परिकल्पित गतिविधियों के लिए एक विशिष्ट विचार। तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, यह अपीलकर्ता भी केवल एक खरीद एजेंट साबित होता है और उससे आगे नहीं। इसलिए यह याचिका भी खारिज की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

बी.

39. जिन पर यहाँ ऊपर चर्चा की गई है और आयोजित किया गया है, उनके लिए ये अपील विफल हो जाती हैं और इसलिए खारिज कर दी जाती हैं। कोई लागत नहीं।

अंकित ज्ञान